खण्ड-431, अंक-4
गुरुवार, 24 आषाढ़, शक संवत् 1921
(15 जुलाई, 1999 ई0)

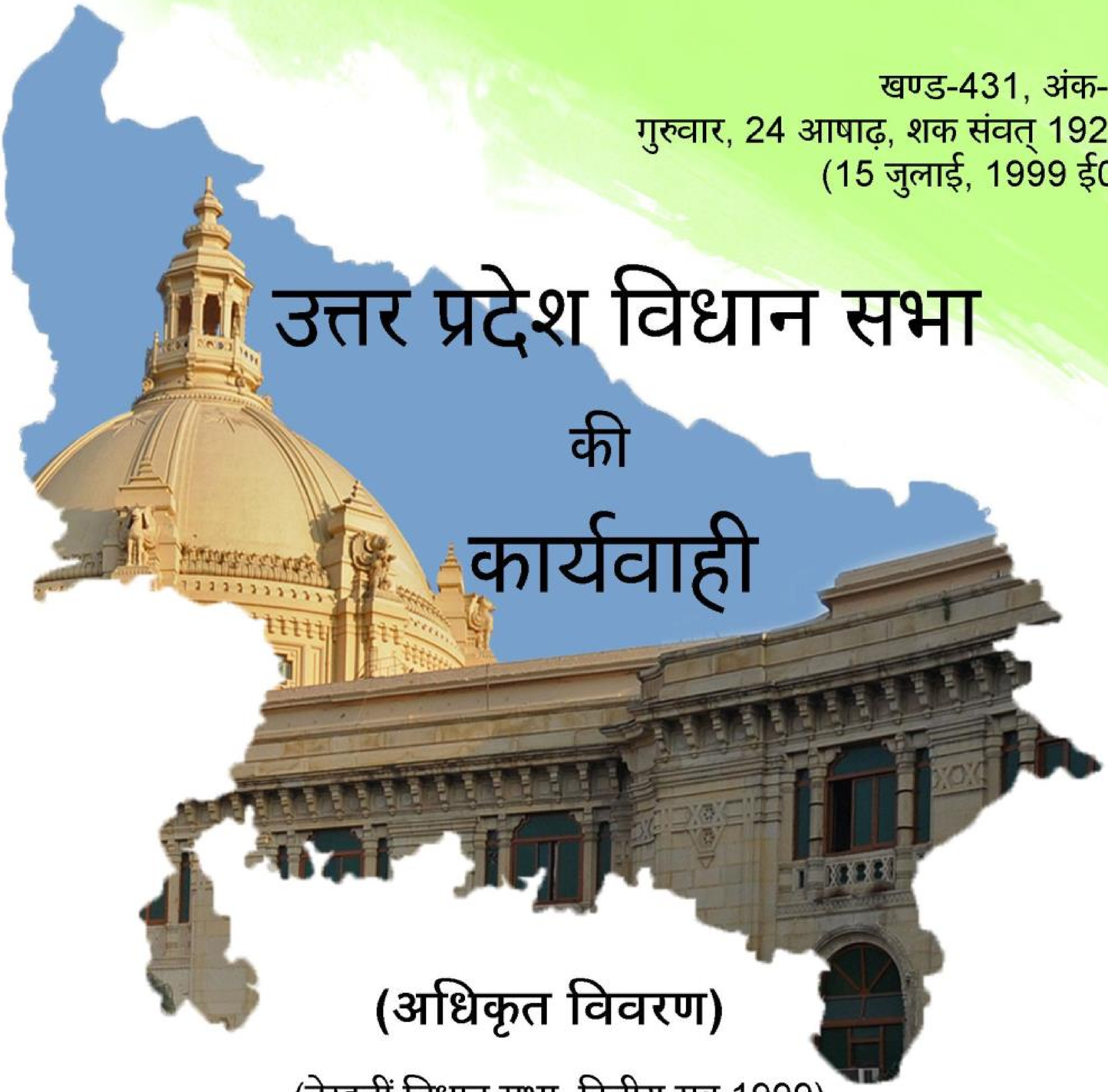

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1999)

खण्ड 431 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–54
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नन्दलाल सिंह पटेल एवं श्री फरजन्द अली बेग के निधन पर शोकोद्गार	55–59
कैप्टन टण्डन की पत्नी निधि टण्डन के साथ प्रदेश के एक राज्य मंत्री द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने पर आपत्ति	59
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	60
जनपद फतेहपुर के हस्वा क्षेत्रान्तर्गत विधायक निधि पं० दीन दयाल उपाध्याय, एस० आर० वाई० एवं अम्बेडकर योजना द्वारा निर्मित रोड में लगे उद्घाटन व शिलान्यास .त्थरों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तगत सूचना	60
जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में गड़रिया महाबीर गडेरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
जिला पंचायत हमीरपुर में गबन के आरोपी लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद आगरा के थाना रकाबगंज अन्तर्गत नई बस्ती बालूगंज क्षेत्र के मुसलमानों के विरुद्ध लगाये गये रासुका को समाप्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद मऊ में पारा तहरौल खाजा जहानपुर बांध के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
मेरठ महानगर में एक टाप रिचार्जिंग सिस्टम फिल्टर यूनिट योजना को क्रियान्वित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् भी असलहों के लाइसेंस न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	
महिलाओं के प्रतिनिधित्व विषयक संकल्प पर सभा के विनिश्चय हेतु दो बार प्रश्न उपस्थित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	64–65
दिनांक 31 मार्च, 1999 को नियम 52 की सूचना पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश का अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	66

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा और विधान परिषद् सदस्यों के विकास सम्बन्धी अधिकारों में भेदभाव उत्पन्न करने विषयक शासनादेश के संबंध में औचित्य का प्रश्न	66
प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के तीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	67–68
नियम 56 तथा नियम 51 के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट की गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा निदेश संख्या–19 के अनुसार कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	68
सदन की बैठक में भाग लेने के लिये आ रहे सदस्य, विधान सभा श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	69–70
प्रथम सत्र, 1999 के पांचवें बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–92 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	71–72
जनपद हरदोई में पुलिस द्वारा उत्पीड़न के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	72
विधान सभा में मंत्रियों द्वारा की गयी घोषणाओं का शासन द्वारा अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	73
गन्ना किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास (जारी)	73
वर्ष 1999 के विधान सभा के प्रथम सत्र में नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण–(सदन के पटल पर रखा गया)	74
गन्ना किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	74
कार्य सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–42 एवं 80 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	75
हापुड़ जांच आयोग, रिपोर्ट 1 अगम्न, 1994 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	76
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल) (खण्ड–I एवं खण्ड–II) (सदन के पटल पर रखा गया)	76
विनियोग लेखे, 1997-98 उत्तर प्रदेश सरकार तथा वित्त लेखे 1997-98, उत्तर प्रदेश सरकार– (सदन के पटल पर रखे गये)	76
कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां– (सदन के पटल पर रखी गयीं)	77

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री भगवान सिंह शाक्य, राज्य मंत्री के विरूद्ध श्री प्रमोद कुमार द्वारा उठायी गयी आपत्ति का मंत्री द्वारा खण्डन	77
उत्तर प्रदेश कृषि नीति (सदन के पटल पर रखी गयी)	78
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 (जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	78
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	78
उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (1998-99) का तृतीय प्रतिवेदन– (प्रस्तुत किया गया)	78
जनपद एटा के विद्युत उप केन्द्र मलावन से ग्राम-निगोह हसनपुर तक की विद्युत लाइन ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका– (उपस्थित की गयी)	78
जनपद एटा के गंजडुन्डवारा–मोहनपुर मार्ग को लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर सम्पूर्ण मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवीर सिंह पुण्डीर आदि की हस्ताक्षरित याचिका– (उपस्थित की गयी)	79
जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के ग्राम दुर्गन से ग्राम घोड़वल मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने विषयक श्री राज किशोर शुक्ल आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	79
जनपद–फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के ग्राम भुआपुर का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री रणजीत मिश्र आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	79
जनपद उन्नाव में इन्देमऊ बारा मार्ग के मध्य में अवशेष 3 कि०मी० मार्ग बरदहा से पुरौना तक को डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री प्रेमशंकर वर्मा आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	79
जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सुमेरपुर ग्राम बक्सर के सामने गंगा नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	79
जनपद उन्नाव, ब्लाक सुमेरपुर के अन्तर्गत मनकापुर से पाटन तक 6 किमी० लम्बे मार्ग को डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल वर्मा आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	80
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	80–82
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999 जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (सदन के पटल पर रखा गया)	106
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (पारित) ...	107–114
यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह 'विधि' रखे जाने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्धारित जारी चर्चा का स्थगन	114
इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकर नगर के चहुमुखी विकास के लिये लुम्बनी-दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराने और उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाये जाने के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव वापस)	115–119
इस सदन का निश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के निवासियों को सीवर लाइन की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव वापस)	119–120
यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	121
ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डे, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	121
प्रदेश के निर्धन व्यक्तियों को आवास विकास द्वारा ई० डब्लू एस०/आश्रय योजना अन्तर्गत आवंटित क्वार्टरों के बैनामे/रजिस्ट्री में आठ प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर 1 घंटे की चर्चा	121–122
प्रदेश में विद्युत कटौती के कारण कृषि उद्योग व्यापार तथा छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	123–132

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप राशन की दुकानों पर कम चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	132
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	132–134
नत्थी	135–136

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बृहस्पतिवार, दिनांक 15 जुलाई, 1999

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल, उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू राम, श्री	जालौन
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल,
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
यशवंत, श्री	आजमगढ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुवंर	पडरौना
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
राजेश कुमार सिंह, श्री	मुरादाबाद
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
रामाधार सिंह, श्री	हमीरपुर
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
शरदंवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
श्रीराम, श्री	मऊ
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 15 जुलाई, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कुल राजस्व बढ़ाने हेतु व्यापार कर में कर निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया की विशेष कार्य योजना की जानकारी

**1—श्री राम औतार शाक्य, कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या सरकार प्रदेश में कुल राजस्व को बढ़ाने के लिये व्यापार-कर में कर निर्धारण एवं वसूली की कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कुल राजस्व को बढ़ाने के लिये करापवंचन विरोधी कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है । करापवंचन को पकड़ने से कर निर्धारण के समय अधिक कर वसूल किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त व्यापार कर बकाया की प्रभावी वसूली हेतु प्रदेश के 14 बड़े जनपदों में बकाया वसूली करने हेतु विभाग के समस्त सहायक कमिश्नर (कर निर्धारण) एवं व्यापार कर अधिकारी (कर निर्धारण) को प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर का अधिकार प्रदान करते हुए दिनांक 1-10-98 से विभागीय वसूली योजना लागू की गयी है । इन कदमों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 1998-99 में व्यापार कर से लगभग रुपया 3377.89 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो वर्ष 1997-98 में प्राप्त राजस्व लगभग रुपया 3073.57 करोड़ से लगभग रुपया 304.32 करोड़ अधिक है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें कर निर्धारण और कर वसूली के दो बिन्दु हैं । इस जवाब में कर वसूली का तो जिक्र कर दिया गया है कि 98-99 में इतना वसूल किया गया और 97-98 में इतना था, इस प्रकार इतना ज्यादा हो गया । मेरा प्रश्न कर निर्धारण के बारे में भी था । जवाब में बता दिया कि करापवंचन को पकड़ने से कर निर्धारण के समय अधिक कर वसूल किया जा सकेगा । इस प्रकार कर वसूली पर ज्यादा जोर दिया है । मैं चाहता हूं कि कर निर्धारण के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दें, दूसरी बात जानना चाहता हूं कि जब आपने बता दिया कि 98-99 में इतना वसूल कर लिया है आप यह भी बता दें कि सबसे बड़े कौन से 20 बकायेदार हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न दो भागों में किया है । प्रश्न का जो पहला भाग है, इसको आप देख लें, उत्तर में कहा गया है कि करापवंचन को पकड़ने से कर निर्धारण के समय अधिक कर वसूल किया जा सकेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मेरा यह प्रश्न नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

आप विद्वान सदस्य हैं, आप मेरी पूरी बात सुन लें और जब उत्तर न आये, तब कहें । मान्यवर, जब हम करापवंचन पकड़ पायेंगे, तभी अधिक से अधिक वसूली हो सकेगी । वसूली तो कर निर्धारण के बाद होती है । असेसमेंट के पहले क्या किया है ? वह मैं बता रहा हूं । मान्यवर, बहुत से व्यापारी असेसमेंट में आते नहीं थे और कर से बच जाते थे । उनका कर निर्धारण नहीं होता था, इस लिये वह बच जाते थे । इसको हमने प्रभावी बनाया है । चेकिंग की जो चौकियां हैं, उनको प्रभावी बनाया है, ताकि बड़ी चेकिंग हो सके और बगैर कर दिये वह जा न सकें । असेसमेंट की नौबत तो तब आती है, जब व्यापारी को पकड़ा जायेगा । मान्यवर, दूसरे भाग में माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है.....

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि कितनी अधिक वसूली हो रही है 300 करोड़ रुपये आपने बताया है, मैं जानना चाहता हूं कि यह कितना प्रतिशत अधिक है और कुल बकाया कितना है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नेट बकाया 982 करोड़ है, अदालतों द्वारा स्टे है वह 4200 करोड़ है । जहां तक प्रतिशत की बात है, मैंने तो फीगर ही दे दी है, कहें तो कलकुलेटर मंगवा कर निकाल दूं ।

श्री अध्यक्ष–

10 प्रतिशत के करीब आता है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत दो वर्षों में कर की वसूली कितनी रही और यह भी बताने की कृपा करें कि अदालतों द्वारा कितने केसेज ऐसे हैं जो डिसाइड करने हैं ? कितने केसेज हाई कोर्ट में हैं और कितने दूसरी जगहों पर हैं ? वह माल मामले कितनी धनराशि के हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं अन्तिम प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । जो अदालतों में मामले लम्बित हैं, वह 1059 करोड़ रुपये के हैं और उनमें स्थगन आदेश दिया गया है, जहां तक "प्रशासनिक आदेश" की बात है लगभग 3954 करोड़ रुपये के मामले लम्बित हैं और बाकी प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है । जहां तक बाहर से आने वाले माल पर दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही कि जो माल बाहर से आता है, उसके आने पर क्या कोई विशेष टैक्स लगाने की योजना है, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन्ट्री टैक्स का जो मामला है, उसे अभी लागू नहीं किया गया है और विभिन्न संगठनों से विचार विमर्श चल रहा है और जब विचार विमर्श पूरा हो जायेगा, तो उसकी कोई कार्य योजना या रूप-रेखा तैयार की जायेगी और उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, बजट भाषण के दौरान यह बात कही गयी थी इन्ट्री टैक्स का मामला भारत सरकार को भेज दिया गया है और इस समय माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि विभिन्न संगठनों से विचार विमर्श चल रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में कौन सत्य है ? जब दूसरे प्रदेशों से माल आता है, उस पर टैक्स लगाने की बात कही है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, वही प्रक्रिया आज भी चल रही है । दो प्रकार से सेल्स टैक्स प्रदेश की सरकार वसूल करती है । 25 लाख टर्न ओवर वाले व्यापारी अपना फार्म भर कर दे देते हैं और जहां पर हमें संदेह होता है, तो वहां पर जांच कर ली जाती है और जिन व्यापारियों का 25 लाख से अधिक का टर्न ओवर है, उनकी संख्या लगभग 20 हजार है । हम एक लाख से अधिक टर्न ओवर वाले उत्पादकों को बुलाते हैं, किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न न हो इसकी पूरी-पूरी कोशिश की जाती है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० सदस्य को बताना चाहता हूं कि गत वर्ष की अपेक्षा वसूली बढ़ी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक ट्रिब्युनल्स में एक साल से ऊपर के कितने मामले लम्बित हैं और आप उनका निपटारा कराने के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस समय संख्या तो देना सम्भव नहीं है । हमारा उत्तर दो भागों में है, पहली बात तो यह है कि बहुत से लोगों के पते नहीं मालूम हो पाते हैं और जब नोटिस जाती है और वह उनको मिलती है, तो वह अपने केस को सेट एसाइड करने के लिये आते हैं ।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरलीकरण की जो प्रक्रिया अपनायी गयी है, उससे टैक्स की वसूली में कितना अंतर आया है और व्यापारियों को क्या फायदा दिया गया है ? आप सरलीकरण की नीति का कार्यान्वियन नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले विधायकों के प्रश्नों का उत्तर आ जाये, तब सरलीकरण का उत्तर दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें से जो ऐसे हैं वह 1 लाख 92 हजार हैं और इसमें से 1 लाख 73 हजार ऐसे व्यापारी हैं उनकी जो नीति बनी है उसके अनुसार अदालतों में आने की जरूरत नहीं है । केवल 20 हजार ऐसे हैं जिनका टर्न ओवर बहुत ज्यादा है जिनको अपने एकाउंट लेकर आने की जरूरत है तो मान्यवर, इससे ज्यादा सरलीकरण और क्या होगा ?

प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने की कार्य योजना की जानकारी

**2—श्री राम जग, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री संजय गर्ग–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

श्रम विभाग के अन्तर्गत जिला सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीयन एवं नियोजकों द्वारा नाम मंगाये जाने पर उनका सम्प्रेषण किया जाता है ।

अपितु शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1998-99 में "रोजगार संकल्प" के नाम से एक कार्य योजना दिनांक 12 अक्टूबर, 1998 से आरम्भ की गयी है।

रोजगार संकल्प योजनान्तर्गत 10 लाख लोगों को स्वतः रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका क्रियान्वयन शासन के विभिन्न विभागों यथा ग्राम्य विकास, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विकास, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, नगर विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का नोडल विभाग ग्राम्य विकास विभाग है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अचानक अस्वस्थ हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित किये दे रहा हूं। आप केवल जवाब पढ़ दीजिये।

(श्री हुकुम सिंह के उत्तर पढ़े जाने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष–

चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि मंत्री जी अचानक अस्वस्थ हो गये हैं इसलिये इसको स्थगित किया जाता है।

श्री राम जग–

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

जब अगली बार यह प्रश्न आयेगा तो अनुपूरक कर लीजियेगा अगले बृहस्पतिवार को जब आयेगा तो आप प्रश्न कर लीजियेगा।

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा हूं, अगर संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे देते हैं तो ठीक है।

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है और वर्ष 1999-2000 में कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने पर विचार कर रहे हैं और सरकार ने रोजगार देने के लिये क्या योजना बनायी है ? मैंने पूछा था कि क्या सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है ? तो उसका उत्तर आया है कि जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। सरकार के मंत्री और तमाम अन्य जो अधिकारी हैं वह तमाम पैसे का अपव्यय कर रहे हैं। अगर सरकार बेरोजगारों के प्रति गम्भीर है तो क्या जिस तरह से पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, जहां पर बामपंथी सरकारें हैं और अन्य प्रदेशों की जो सरकारें बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा की भांति बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 31 मार्च, 1999 तक बेरोजगारों की कुल पंजीकृत संख्या 26 लाख, 78 हजार, अड़तालिस है। आप ने बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में कुछ राज्य सरकारों का भी उल्लेख किया है। मान्यवर, जो 26 लाख 78 हजार लोग रजिस्टर्ड हैं उनको यदि कम से कम 100 रुपया प्रति माह भी

दिया जाये तो लगभग 321 करोड़ रुपया प्रति माह का खर्च आयेगा । वर्तमान वित्तीय संसाधनों को देखते हुए 321 करोड़ रुपया प्रति माह देना सम्भव नहीं होगा और न ही इसकी कोई उपयोगिता होगी । एक बात कही कि क्या योजना बेरोजगारों को रोजगार देने की है । ग्राम्य विकास की विभिन्न योजनायें चल रही हैं आई० आर० डी० पी०, जे० आर० वाई, एस० आर० वाई० की है । इसी तरह से गांधी ग्रामोद्योग योजना है व अन्य योजनायें हैं इससे लगभग 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य है।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से इस सदन को गुमराह किया है । मैं आपके माध्यम से एक स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा बेराजगारों को रोजगार देने की कोई योजना तैयार की गयी है । माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगारों का पंजीयन एवं नियोजकों द्वारा नाम मंगाये जाने पर उनका सम्प्रेक्षण किया जाता है । अभी समूह ''ग'' की जो भर्तियां हुईं क्या उनमें प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों से नाम मांगे गये थे या सीधे समाचार-पत्रों के माध्यम से आवेदन मांगे गये थे । आपने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 26 लाख 78 हजार है । आपके पिछले एक साल के कार्यकाल में पंजीकृत बेरोजगरों में से कितने लोगों को नौकरी दी गयी है । दूसरी बात आपने कहा कि रोजगार संकल्प योजना के अन्तर्गत 10 लाख लोगों को स्वतः रोजगार देने का लक्ष्य है । इनमें कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से स्वतः रोजगार उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, तीन हिस्सों में प्रश्न पूछा गया है । एक तो यह पूछा गया कि समूह ''ग'' की भर्ती या विभिन्न विभागों में भर्ती हुई थी तो क्या सेवा योजन कार्यालय से नाम मांगे गये थे या सीधे समाचार-पत्रों के माध्यम से मांगे गये थे । समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जरूर जारी किये गये थे । इसमें जो अर्हता रखते थे वह अप्लाई करते । समाचार-पत्रों से इसीलिए आवेदन मांगे गये थे कि जिनके नाम रोजगार दफ्तरों में दर्ज नहीं हैं उनको भी इसमें बैठने का अवसर मिल सके । परीक्षा रखी गयी, उसकी चयन प्रक्रिया निर्धारित थी, चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही भर्ती हुई । चाहे शिक्षकों का, चाहे समूह-ग, या कृषि विभाग में डिप्लोमा होल्डर की नियुक्ति हो । एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया ।

दूसरी बात यह पूछी गयी कि विभिन्न योजनायें कौन सी हैं । पाल जी वह योजनायें आज से नहीं चल रही हैं । आपको स्मरण करा दूं । आप भी मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं उससे पहले से ही यह योजना चल रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि बेरोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार दिलवाया है ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें सूचना की आवश्यकता होगी, आप अलग से प्रश्न पूछ लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालय खुले हुए हैं । 26 लाख 78 हजार बेरोजगार उनमें पंजीकृत हैं उनमें से कितने लोगों को रोजगार दिया गया ? अगर आप सीधे समाचार-पत्रों से ही आवेदन मांग रहे हैं तो इन कार्यालयों की उपयोगिता और सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी । प्रश्न तो केवल सिद्धान्त के बारे में है ।

श्री हुकुम सिंह–

पाल साहब विद्वान सदस्य हैं । उनके विद्वतापूर्ण प्रश्न होते हैं जिन लोगों के नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं उनको इन परीक्षाओं में बैठने से वंचित नहीं रखा गया । उनको भी अवसर प्राप्त था ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, बेरोजगारों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं एक पूर्ण बेरोजगार दूसरा आंशिक बेरोजगार । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 12 अक्टूबर 1998 से रोजगार संकल्प के अन्तर्गत 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य बनाया गया था । मंत्री जी ने अभी उत्तर में बताया कि लगभग साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार दिया गया. मैं जानना चाहता हूं कि उनमें कितने लोगों को आंशिक रोजगार दिया गया व कितने लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार दिया गया ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विकास, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, नगर विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण इन विभागों में कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया । रोजगार संकल्प को मूर्त रूप देने में इन विभागों की कितनी सहभागिता रही ?

श्री हुकुम सिंह–

यह जो मैंने चार लाख की बात बताई थी यह केवल एक कार्यक्रम के अन्तर्गत बताई थी । बाकी कार्यक्रमों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए । 10 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 9 लाख 60 हजार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

पूर्ण रोजगार कितने लोगों को दिया गया व आंशिक रोजगार कितने लोगों को दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

मैं श्री डंग जी की भावनाओं से सहमत हूं । यह जो योजनाएं हैं यह पूर्ण रोजगार की योजनाएं नहीं कही जा सकती हैं । यह योजनाएं जब तक चलती हैं तब तक रोजगार मिलता है । यह पार्सियली रोजगार योजनाएं हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

जिन विभागों का नाम लिया गया जैसे ग्राम्य विकास, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विकास, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, नगर विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण इन विभागों की रोजगार संकल्प को मूर्ति रूप देने में कितनी सहभागिता रही ?

श्री हुकुम सिंह–

यह ऐसी योजनाएं हैं जहां प्रोत्साहन दिया जाता है काम करने के लिए । आई०आर०डी०पी० योजना में गरीब आदमी भैंस, गाय, बैल आदि खरीदता है एवं उसको सब्सिडी दी जाती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आई०आर०डी०पी० योजना ही बन्द हो चुकी है ।

श्री हुकुम सिंह–

वर्ष 1998-99 में इस योजना में 3 लाख 96 हजार 26 परिवारों को लाभान्वित किया गया । मैं हवा में कोई बात नहीं बोलता हूं । आपने कह दिया कि यह योजना बन्द हो गयी । प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उसमें 91 हजार परिवारों को लाभान्वित किया गया । अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के

योजना है उसमें 91 हजार परिवारों को लाभान्वित किया गया । अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से 50 हजार परिवारों को लाभान्वित किया गया । इसी तरह से पिछड़ी जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से, अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से, जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से बहुत सारे परिवारों को लाभान्वित किया गया है । यह विभिन्न योजनाएं हैं जिनके माध्यम से समाज के शोषित, दलित और गरीब आदमी को लाभान्वित किया गया और प्रयास किया जा रहा है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो जायं केवल सरकारी नौकरी की तलाश में न रहें कि सरकारी नौकरी में जायेंगे । मान्यवर, एक कल्याणकारी सरकार की यही योजना होती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लाखों लोगों को स्वरोजगार दिया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस स्वरोजगार देने की बात यह कर रहे हैं और सरकार की तरफ से बड़े आत्म विश्वास के साथ उत्तर दे रहे हैं उस योजना में ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से काम हो रहा है । क्या मंत्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेगें ? आई०आर०डी०पी० की स्कीम की बात थी, वह बन्द हो गयी । डंग साहब ने भी बताया कि अल्पसंख्यकों को भी नहीं दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन विभागों के बारे में आपने बताया कि उनके माध्यम से स्वरोजगार दिया गया क्या उनके आंकड़ों की रैंडसम जांच करवायेगें । जो इम्प्लायमेंट कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनके कल्याण के लिये कौन सी योजना बना रहे हैं ? क्या उनको बेरोजगारी भत्ता देगें ?

श्री हुकुम सिंह–

रोजगार के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या सिर्फ यह है कि वे दफ्तर में आयें काम करें चपरासी, बाबू बनकर । हमने उनके लिये स्वरोजगार की व्यवस्था करी है ताकि वे अपने पैरों पे खड़े हो सकें । सबके लिये अलग-अलग लाइन है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

सरकार की क्या लाइन है बता दें । छोटी पर चलेगी या बड़ी पर ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री हुकुम सिंह–

यह अपनी-अपनी लाइन होनी है । जो उनकी लाइन थी वो उन्होने एडाप्ट कर ली । हमारी सरकारी लाइन है । मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है इसको इतने हल्के ढंग से लिया जा रहा है । जो सरकार की योजना है । विभिन्न समाज के वर्गों को जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके आर्थिक कठिनाई के कारण उनको सहायता देकर अनुदान प्रदान करें, रोजगार सृजित करें यह कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं वर्ष 1998-99 में रोजगार संकल्प योजना के माध्यम से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया इसमें

कितने को आंशिक रोजगार देने का लक्ष्य था ? कितनों को पूर्णकालिक रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

श्री हुकुम सिंह–

स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम अपने पैरों पर खड़े होने का कार्यक्रम था । अब किसके पास कितने वर्किंग आवर उपलब्ध हैं यह उस पर निर्भर करता है कि वह चार घंटे, छः घंटे काम करता है या फिर 24 घंटे काम कर सकता है । जिन कार्यक्रमों के माध्यम से योजना चलाई जा रही है उसमें विभिन्न विभागों को चिन्हित किया गया है, जिसमें ग्राम्य विकास, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विकास, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, नगर विकास में सूडा, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं उद्योग विभाग हैं । तो विभिन्न विभागों में योजनायें चलाई गई हैं । अब कितने पूर्णकालिक हैं यह बताना सम्भव नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 10 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया यह तो निश्चित होगा कि जे० आर० वाई० के तहत इतने लोगों को ऋण देंगे इतने लोगों को पूर्णकालिक रोजगार देंगे यह सब तो निश्चित रूप से निर्धारित रहा होगा ! मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो तरह के रोजगार हैं एक तो जिसको आप 12 महीने रोजगार नहीं दे सकते हैं उनको आंशिक रोजगार दो-चार महीनों के लिये देते हैं एक ऐसी योजना जिसके अन्तर्गत हम उनको ऋण देकर रोजगार मिले 12 महीने रोजगार मिल सके इसका लक्ष्य था तो 10 लाख लोगों में कितने पूर्णकालिक हैं कितने आंशिक हैं, इसका लक्ष्य होगा तो वह लक्ष्य क्या है और उसमें अचीव कितना किया ?

श्री हुकुम सिंह–

मैंने स्वतः रोजगार योजना का उल्लेख किया इसमें यह उल्लेख करना कि कितने आंशिक थे कितने पूर्णकालिक थे यह नहीं बताया जा सकता है अब जैसे किसी ने शहतूत के कीड़े का वृक्ष लगाया है वह 24 घंटे काम कर सकता है या 6 घंटे काम करता है यह तो बताया नहीं जा सकता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की समस्या समझ सकता हूं उन्होंने पत्रावली पढ़ी नहीं किसी तरह से घुमाफिराकर उत्तर दे रहे हैं । यह खुद आंकड़े बदल देते हैं मैं एक पूरा पैराग्राफ पढ़े देता हूं– "अपितु शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1998-99 में रोजगार संकल्प के नाम से एक कार्य योजना दिनांक 12 अक्टूबर, 1998 से आरम्भ की गयी है ।" मान्यवर, मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी संज्ञान लें महामहिम श्री सूरज भान जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं उनके अभिभाषण का संज्ञान लें जिसमें उन्होंने यह आश्वासन दिया था । आपकी सरकार की तरफ से कि–"मेरी सरकार ने चालू वर्ष के बजट में दस लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का वायदा किया था ।" शिक्षित बेरोजगारों को 10 लाख के विरुद्ध, जैसा कि महामहिम राज्यपाल जी ने भी वायदा किया था, कितने पूर्ण कालिक शिक्षित लोगों को सरकारी रोजगार दिया गया है, इसकी संख्या आप बता दें । चूंकि शब्द "शिक्षित बेरोजगार" का इस्तेमाल किया गया है । हमारी जानकारी है कि इस सरकार ने कई विभाग बन्द किये हैं और कोई उद्योग नहीं लगाये हैं तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए मैं पुनः पूछना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी के वायदे के अनुरूप और आपके प्रश्न के उत्तर के अनुरूप कितने शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी सेवा में लिया गया है ?

श्री हुकुम सिंह–

आंकड़े मेरे पास हैं, मैं मोटे तौर पर आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूं और सबकी जानकारी में है कि श्रेणी "ग" में पढ़े-लिखे नवयुवकों को रोजगार दिया गया है । लगभग 27 हजार बी० एड० और बी०

टी० सी० के लोगों को रोजगार दिया गया है और लगभग 8 हजार के करीब कृषि डिप्लोमा धारकों को रोजगार दिया गया है। आज ये कोई भी लोग बेकार नहीं हैं ये सभी लोग शिक्षित हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

दस लाख के विरुद्ध कुल कितने लोगों को सेवा में लिया गया है, इसे आप बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बताया तो सही कि लगभग 27 हजार के करीब बी० एड० और बी० टी० सी० के लोगों को रोजगार दिया गया है। साथ ही साथ एक पंक्ति इसमें और जोड़ दें, जिस भावना से यह सवाल पूछा जा रहा है आज पूरे प्रदेश में एक भी ऐसा बी० टी० सी० नवयुवक खाली नहीं है जिसको नौकरी में न रखा गया हो। मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि 10 लाख के विरुद्ध 9 लाख 60 हजार लोगों को रोजगार दिया जा चुका है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। इसलिये मैं विशेषाधिकार की सूचना दे रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 9 लाख 60 हजार लोगों को रोजगार दिया गया है परन्तु हमारी जानकारी है कि नहीं दिया गया है, माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों को पूर्णकालिक सेवा में नहीं लिया गया है जो आंकड़ा मंत्री जी बता रहे हैं वह गलत है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, लगभग 9 लाख 60 हजार नवयुवकों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया गया है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में रोजगार देने की बात पूछी है।

श्री अध्यक्ष–

स्वतः रोजगार योजना और सरकारी नौकरी में अंतर हैं। जो 9 लाख 60 हजार स्वतः रोजगार में आये हैं उनमें भी तो शिक्षित रहे होंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मैं कृपापूर्वक ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि जो अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित होते हैं। अब 9 लाख 60 हजार में कितने शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं? यह मैं नहीं बता सकता हूं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है उसके दूसरे पैराग्राफ में लिखा है अपितु शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1998-99 में "रोजगार संकल्प" के नाम से एक कार्य योजना दिनांक 12 अक्टूबर, 1998 से आरम्भ की गयी है। जो यह योजना है उसमें शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है और इसका लक्ष्य जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 10 लाख का था। या तो यह शिक्षित और अशिक्षित सबके लिये है। परन्तु जो उत्तर आया है वह शिक्षित बेरोजगारों के लिये है। तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 में कितने लोगों को रोजगार दिया गया यह बता दें?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि 9 लाख 60 हजार लोगों को रोजगार दिया है।

श्री बी० आर० वर्मा–

जिस कार्य योजना का ,जक्र किया गया है उस योजना में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये तो उसके अन्तर्गत कितने लोगों जो शिक्षित हैं, को रोजगार दिया है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अगर संख्या उपलब्ध हो तो बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें दोनों ही शामिल हो सकते हैं। इस समय संख्या मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में अक्षम है और उनके साथ धोखा कर रही है। इसलिये मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री मुन्ना चौहान–

अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा हो रही थी। सवाल यह उठता है कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में जो सेवा योजन कार्यालय की भूमिका है वह कितनी प्रभावी रह गयी है। अभी डा० डंग जी ने पूर्णकालिक और अंशकालिक रोजगार के बारे में और माननीय वी० आर० वर्मा जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से चर्चा की। सेवा योजन कार्यालय का यह दायित्व है कि सरकारी विभागों में जो रोजगार के अवसर हैं उसको देखें और उसका रजिस्ट्रेशन रखें। परन्तु वह अब अपने मार्ग से हट गया है। सरकारी क्षेत्रों में भी अब रोजगार के अवसर धीरे-धीरे कम हो गये हैं। उनका रोल यह हो गया है कि रोजगार के जो दूसरे क्षेत्र हैं प्राइवेट सेक्टर के, जहां कहीं अवसर हो सकता है वह सूचना उपलब्ध करायें। जब यह डिफंग हो गया है और सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं.....

श्री अध्यक्ष–

चौहान जी अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री मुन्ना चौहान–

तो यह दोनों के बीच में इन्टरफेसिंग का काम करें। आज ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार युवक हैं उनको सूचना समाचार-पत्र के माध्यम से नहीं मिल पाती है। तो यह प्राइवेट सेक्टर के साथ इन्टरेक्ट करें जिससे सूचना मिल सके। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या कोई ऐसी कार्य योजना है कि सरकारी विभागों के साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्र की संस्थानों में जो रोजगार के अवसर हैं उन्हें बेरोजगारों को उपलब्ध कराने के लिये रोजगार कार्यालय अपना रोल अदा करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अपेक्षा भी अधिकारियों से यही रहती है कि वे संस्थाओं से सम्पर्क कर रोजगार सुलभ कराने की व्यवस्था करते रहें।

(श्री रामजग के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आगे का प्रश्न लेने दें। इस पर काफी समय दे दिया है।

(इसी बीच श्री राम जग अपने दल के सदस्यों के साथ बेरोजगारों को रोजगार न मिलने के विरोध में सदन त्यागकर चले गये।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद बाराबंकी में सुमली नदी के सरसवां घाट पर राज्य सेतु निगम द्वारा अधूरे पुल को पूर्ण कराने के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

*1—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के सुमली नदी के सरसवां घाट पर राज्य सेतु निगम द्वारा अर्धनिर्मित पुल हेतु वर्ष 1995-96 में मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश से रुपये 45 लाख स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या अब तक उक्त पुल पूर्ण कराने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

सम्बन्धित प्रकरण मेरे विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न

वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में प्रदेश सरकार द्वारा खादों पर दी गयी सब्सिडी की जानकारी

*1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1998–99 में किस-किस प्रकार की खादों (फर्टिलाइजर) में कितनी सब्सिडी दी गयी है ? वित्तीय वर्ष 1999–2000 में किस-किस खाद पर कितनी सब्सिडी दिये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रदेश सरकार द्वारा खादों (फर्टिलाइजर्स) पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

खादों (फर्टिलाइजर्स) पर सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, खेती में कोई मुनाफा नहीं होता है और विभिन्न विश्वविद्यालयों की यह रिपोर्ट है कि उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। मान्यवर, अब जैसे ईंट का धंधा था सौ रुपये प्रति हजार मिलती थी आज वह 1500 रुपये प्रति हजार है इस तरह से गेहूं के दाम पांच गुना बढ़ गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

इसी तरीके से कारखाने से बनी हुई चीजें फर्टीलाइजर हो, ट्रैक्टर पार्ट हो, सीमेन्ट हो उनकी क्रय शक्ति कम हो गयी है । इसमें भावना यह है कि किस तरह से किसानों को लाभ पहुंचाया जाए, अपनी उपज का मूल्य प्राप्त कर सके । क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि किसानों को खाद खरीदने में कोई सहूलियत हो जाए ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न था कि खादों में कितनी सब्सिडी दी गई पिछले वित्तीय वर्ष में उसका उत्तर हमने दे दिया अगले वर्ष भी हमने बता दिया । मान्यवर, खाद पर जो सब्सिडी दी जा रही है वह भारत सरकार द्वारा दी जा रही है उसमें प्रदेश सरकार को कहीं आने की आवश्यकता नहीं है और हमारे पास ऐसे कोई संसाधन भी नहीं हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या मान्यवर, पूर्व सरकार ने कोई सब्सिडी दी थी ? क्या उ० प्र० सरकार इस पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मुझे यह जानकारी नहीं है कि प्रदेश की सरकारों ने फर्टिलाइजर में कोई सब्सिडी दी है । आज हमारे संसाधन नहीं हैं मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार जो सब्सिडी दे रही है वह पर्याप्त मात्रा में है और उसके मूल्यों को देखकर दिया जा रहा है ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, मुलायम सिंह यादव की सरकार में खाद पर सब्सिडी दी गई थी इसके अलावा हरियाणा और पंजाब दोनों ने खाद पर सब्सिडी दी है । तो क्या यह सरकार किसानों को सब्सिडी देने की योजना रख रही है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मेरे पास सूचना नहीं है कि पूर्व की प्रदेश सरकारों ने दिया है कि नहीं । हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि हम भी भारत सरकार के साथ फर्टिलाइजर पर उसको सब्सिडी दे सकें ।

श्री अध्यक्ष–

यह बता दें कि प्रदेश सरकार विचार कर रही है कि नहीं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इस प्रदेश सरकार को फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देना सम्भव नहीं है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जो इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने या किसी सरकार ने इस प्रकार की सब्सिडी दी है इसकी जानकारी हमें नहीं है तो माननीय सदस्यों की सूचना को सही मानते हुए कि उत्तर प्रदेश की पुरानी सरकार जो 93 में थी उसके पूर्व 89 में थी

श्री मुलायम सिंह जी की सरकार ने खादों में सब्सिडी की घोषणा की थी और इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने सब्सिडी दी थी । तो इसको सही मानते हुए क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस समस्या को देखते हुए खादों में सब्सिडी देगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय गौरी शंकर जी ने 89 की सरकार की बात कही है उस समय मैं भी कैबिनेट का सदस्य था मुझे यह इस समय याददास्त नहीं है कि उस समय फर्टिलाइजर्स पर प्रदेश सरकार ने कोई सब्सिडी दी थी अथवा नहीं दी थी लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि वित्तीय संसाधन को देखते हुए हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि हम फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दे पायें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है वह निहायत असंतोषजनक है इनका किसान विरोधी रवैया है मान्यवर, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

जनपद अम्बेडकर नगर में न्याय पंचायत स्तर पर पशुपालन विभाग द्वारा नियुक्त ले-इन्सीमिनेटर को विगत वर्ष का बकाया मानदेय भुगतान कराये जाने की मांग

*2—श्री लालजी वर्मा–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के समस्त विकास खण्डों के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुपालन विभाग द्वारा ले-इन्सीमिनेटर नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त ले-इन्सीमिनेटर को विगत वर्षों का मानदेय बकाया है ? यदि हां, तो कब से ? क्या मंत्री जी उक्त मानदेय का भुगतान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि दीनदयाल स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत ले-इन्सीमिनेटर नियुक्त किये गये थे ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, दीनदयाल स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत 6 महीने के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी थी, नियुक्ति नहीं की गयी थी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरे पास पत्र है, जिसके अन्तर्गत नियुक्ति की गयी थी । इसमें 3 महीने का शैक्षिक और 3 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को देने के बाद न्याय पंचायत में कार्य करने की बात कही गई है । इसमें आगे कहा गया है कि उन्हें इस हेतु निम्न धनराशि मानदेय हेतु प्राप्त होना

इसमें 10 रुपया प्रति पशु पालक से और 10 रुपया विभाग की ओर से कृत्रिम गर्भाधान हेतु मानदेय होगा । जनपद अम्बेडकर नगर में आज भी प्रत्येक न्याय पंचायत एवं विकास खण्डों में यह लोग कार्य कर रहे हैं,आज भी उनसे कार्य लिया जा रहा है तो क्या उन्हें मानदेय देने पर विचार करेंगे, या मानदेय दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, एक वर्ष तक प्रशिक्षण के दौरान मानदेय देने की व्यवस्था थी, वह सब दे दिया गया है और कोई बाकी नहीं है । विभाग द्वारा जो 10 रुपया दिया जा रहा था, वह अब भी दिया जा रहा है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि आज भी उन लोगों से काम लिया जा रहा है और इसमें कहीं भी एक वर्ष वाली बात नहीं कही गई है, क्या इस परिस्थिति को ध्यान में रखकर उनको मानदेय देने पर विचार करेंगे और यदि नहीं देंगे तो फिर उनसे काम क्यों लिया जा रहा है ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, स्वतः रोजगार के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी थी कि 6 महीने प्रशिक्षण के अन्तर्गत 300 रुपया प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा, इसके बाद एक वर्ष तक मानदेय दिया जायेगा ताकि तब तक व्यवस्था बन जाये । 20 रुपया प्रति पशु कृत्रिम गर्भाधान करने के लिये प्राविधान है, वह आज भी दिया जा रहा है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मानदेय की व्यवस्था एक वर्ष के लिये ही थी ।

श्री लालजी वर्मा–

यह 20 रुपया उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको दिलाने की आप व्यवस्था कब तक कर देंगे, मेरे यहां अम्बेडकर नगर में वह लोग बराबर काम कर रहे हैं ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमको बतायें, हम दिलायेंगे ।

(श्री लालजी वर्मा के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमें लिखकर दे दें । वैसे माननीय मंत्री जी आप इस बात का पता लगा लें कि जनपद अम्बेडकर नगर में दिया जा रहा है या नहीं ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि माननीय सदस्य लिखकर दे दें । हम जांच करवा कर पता लगवा लेंगे ।

प्रदेश सरकार द्वारा खेल नीति बनाये जाने की मांग

*3—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गिरते हुये खेल स्तर को दृष्टिगत रखते हुये इसके सुधार हेतु सरकार ने कोई ठोस नीति बनायी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश की खेल नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल, मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

खेल नीति विचाराधीन है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपकी खेल नीति क्या है ? जब इस विभाग का दायित्व माननीय मंत्री जी को सौंपा गया, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि प्रदेश में काफी दिनों से कोई खेल नीति नहीं है और वह प्रदेश के नवजवानों और उसकी विशाल जनसंख्या को देखते हुए कोई कारगर खेल नीति बनायेंगे । हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत से इसमें खिलाड़ी हैं, जब माननीय मंत्री जी ने बयान दिया था, तो उस समय प्रदेश की जनता को एहसास हुआ था कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ कुछ किया जायेगा, कोई नीति तैयार की जायेगी, जिससे यहां के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे । बयान दिये हुए डेढ़ साल हो गये हैं, लेकिन कोई नीति की घोषणा नहीं की गयी है, माननीय खेल मंत्री के खेलों में रुचि लेने के बाद भी खेल नीति की घोषणा नहीं हो पायी है । वह चाहते हैं कि खेल नीति की घोषणा हो जाये लेकिन माननीय मुख्य मंत्री उसके लिये तैयार नहीं, जब यह प्रश्न आया तो वह उठकर चले गये । तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर खेल नीति विचाराधीन है, तो वह किस स्तर पर है ? खेल विभाग तो बहुत ही छोटा विभाग है, 2-3 विभाग होंगे, उसमें समय लगने का कोई सवाल नहीं है, तो उसकी क्या समय सीमा होगी, जब खेल नीति घोषित हो जायेगी ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

सम्मानित विधायक जी ने जो प्रश्न किया है, उसके लिये सरकार चिन्तित है और मैंने अभी बताया कि खेल नीति अभी विचाराधीन है और सरकार शीघ्र ही इस पर विचार करके प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए जारी करने पर विचार कर रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि सरकार इसके लिये चिन्तित है कि खेल नीति घोषित हो जाये, वह गिरते हुए खेल स्तर से चिंतित हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके खेल मंत्री बनने के बाद जो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता खेल नीति बनाने की थी, उसको कब तक घोषित करेंगे ? क्या कारण है कि इतना समय व्यतीत हो गया है और वह खेल नीति घोषित नहीं कर पाये हैं, और आज तक वह विचाराधीन है । कल से यह सत्र उठ जायेगा और अगला सत्र किसके नेतृत्व में हो ? इसका कोई पता नहीं है । तो आप कोई समय सीमा बता दें ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यथाशीघ्र की बात कही है और इस प्रदेश में खेल प्रेमियों की बात हमने कही है । इसमें सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पहले भी रही है और आज भी है । रचना, निर्माण, विकास की सारी कल्पनाओं का इसमें समावेश है । जो खिलाड़ियों की कल्पना है, उसका भी समावेश इसमें किया गया है और मैंने पहले ही कहा है कि इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता है और खेल नीति को घोषित करने पर यथाशीघ्र विचार करेंगे ।

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह अपने संकल्प पर दृढ़ हैं कि वह खेल नीति को बनायेंगे । इसी संदर्भ में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आगरा में जो स्टेडियम है उसको अन्तर्राष्ट्रीय बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है।

श्री भरत सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी देहातों में रहती है। गंगा और यमुना के किनारे लम्बे चौड़े नवजवान हैं, उनके खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हर गांव में एक फील्ड की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे जिससे वहां के नवजवान खेल-खेल सकें। शहरों में तो आप स्टेडियम बना देते हैं देहात के बच्चे वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं, तो क्या आप देहातों में, गांवों में फील्ड की व्यवस्था करेंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

श्री भरत सिंह जी ने सुझाव दिया है, उसको जब आप खेल नीति बनायें तो विचार कर लीजियेगा।

एक सदस्य–

यह आपका विषय नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

यह कुंवर साहेब का विषय है और खेल में अभिभूत हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खेल नीति पर कब से विचार हो रहा है और कितने दिन तक खेल नीति तय हो जायेगी, इसका कितने दिन का कोर्स है ? किस तिथि से विचार कर रहे हैं और इसको कितने दिन में पूरा कर लेंगे ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मैं अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि सरकार खेल नीति बना रही है और मैंने सारे बिन्दुओं का समावेश किया है और मा० सदस्य ने इसमें नौकरी देने की बात कही थी। यह सरकार इस पर पालन करने की दिशा में 4 कदम नहीं, 40 कदम उठाये हैं कि एजूकेशन आदि सारी छूट दें। सरकार ने बैठक (राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय) के आधार पर पुलिस विभाग में सभी प्रकार की (लम्बाई, सीना, शिक्षा) छूट देकर खिलाड़ियों का पलायन रोक दिया है।

खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने, खादों के असंतुलित प्रयोग तथा रासायनिक खादों की कमी दूर करने हेतु प्रदेश सरकार के कार्य योजना की जानकारी

*4—श्री राजधारी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रदेश सरकार क्या कार्य योजना बना रही है ? क्या रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग तथा कृषि की समुचित नीति की कमी एवं बुवाई के समय रासायनिक खादों की कमी को दूर करने के लिये कोई स्थायी समाधान करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रदेश सरकार द्वारा खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये समय-समय पर विभिन्न विशेष कार्य योजनायें यथा राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण योजनायें संरक्षित कर क्रियान्वित की जा रही हैं।

रासायनिक खादों के असन्तुलित प्रयोग को रोकने के लिये मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के प्रयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिये व्यापक, प्रसार एवं प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं।

बुवाई के समय सहकारिता, यू० पी० एग्रो, गन्ना संघ एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से रासायनिक खादों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आपूर्ति व्यवस्था में सहायता के लिये रेल रैक प्वाइन्ट बनाने की भी कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कर रही है ? क्या भारत सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार 10 वर्ष के अन्दर खाद्यान्न को 2 गुना करने के लक्ष्य पर विचार कर रही है ? माननीय मंत्री जी ने बताया कि विशेष कार्यक्रम चलाया गया है। मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे साबित होगा कि उत्पादन बढ़ने के बजाय घटा है। 1997-98 में चावल का उत्पादन 121 लाख मी० टन था जो 98-99 में घटकर 116 लाख मी० टन रह गया। खरीफ की फसल का कुल उत्पादन 96-97 में 240 लाख मी० टन था जो 97-98 में 230.37 लाख मी० टन रह गया। इसी तरह से रबी का कुल उत्पादन 97-98 में 274.34 लाख मी० टन था जो 98-99 में घटकर 258 लाख मी० टन हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह आंकड़े कहते हैं कि उत्पादन बढ़ने के बजाय घटा है तो आपकी जो कृषि योजनायें हैं उनमें क्या कोई मौलिक परिवर्तन करने की योजना है। दूसरे आज रासायनिक खादों की कमी है। पूरा सदन जानता है कि पिछले 3-4 वर्षों में जब बुवाई का समय आता है तो रासायनिक खादों की कमी हो जाती है। इसके लिये क्या कोई स्थायी कार्यक्रम बन रहा है। आपने गन्ना संघ, एग्रो और रेल के रैक उपलब्ध कराने के संबंध में बताया। मेरा कहना है कि रासायनिक खादों का आयात कम हो रहा है। इसकी क्या व्यवस्था करेंगे ? तीसरे जो आपने गन्ना संघ की बात कही है इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो साधन सहकारी समितियां हैं उनमें से 60 प्रतिशत डिफाल्टर हैं। इन्हीं के माध्यम से खाद को दे रहे हैं तो कैसे व्यवस्था सुधरेगी ? मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने का माननीय मंत्री जी कष्ट करेंगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 1997-98 की तुलना वर्ष 1998-99 से की, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि 98-99 में बाढ़ आयी थी और उसके बाद गेहूं बुवाई शुरू हुई तो बरसात हो गयी जिससे बुवाई लेट हुई। इसका प्रभाव प्रदेश के उत्पादन पर पड़ा है उसके बावजूद जितना उत्पादन धान का हुआ है वह 1996-97 के उत्पादन से अधिक है। बाढ़ के कारण 1998-99 में हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सके क्योंकि एक विषम स्थिति पैदा हो गयी थी। अगर धान का उत्पादन घटा है तो निश्चित रूप से खरीफ का उत्पादन घटेगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल में धान व गेहूं बोयी जाती है। इसी प्रकार से यदि गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ तो पूरे रबी खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित हो जाता है। इस समय हमारी स्थिति काफी सुदृढ़ हो चुकी है। कोई कमी नहीं है।

दूसरी बात रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और आयात में कमी की बात आयी। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को सूचना कहां से मिली है, इतना जरूर बता सकता हूं 1997-98 में जहां 4 लाख मीट्रिक टन डी० ए० पी० का इस्तेमाल किया गया था वहां पर 1998-99 में साढ़े 6 लाख मीट्रिक टन के लगभग फास्फेटिक फर्टिलाईजर का इस्तेमाल किया गया है। जहां तक फास्फेट और पोटाश के खाद का सवाल है यह आयात होती है। हमारे यहां जो उत्पादन है वह बहुत कम है। लेकिन उसकी कोई कमी नहीं है न ही आयात में कमी आ रही है, उपलब्धता हमारे पास है। 1997-98 की रबी में जो कमी रही उसके कुछ कारण थे। लेकिन इस वर्ष रबी या खरीफ में कहीं पर भी खाद की उपलब्धता में कमी नहीं रही है। खरीफ के बाद भी आगामी रबी के लिये बफर स्टाक बनाना शुरू कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास इतना स्टाक रहेगा कि बुवाई के लिये कोई कमी नहीं होगी। हमने रैक प्वाइंट बनाने की बात इसलिये कही है कि हमारे रैक समय से नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि एक जगह से उतार कर दूसरे जगह पहुंचाना होता है। इसलिए रैक प्वाइंट बढ़ा रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण सवाल है इस पर चर्चा करा दें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं उत्तर दे रहा हूं। बलिया में सहकारी समितियां कमजोर हैं। वहां पर यू० पी० एग्रो को प्रबन्ध करने के लिये कह दिया गया है। प्रदेश में 3 जगह ऐसी हैं जहां सहकारी समितियां कमजोर हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मथुरा में मीरपुर तिराहे पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में पूर्व विधायक कुशल पाल सिंह द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

1—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक, श्री कुशल पाल सिंह ने गांव मीरपुर तहसील माठ, जिला मथुरा में भू-माफियाओं द्वारा मीरपुर तिराहे पर सार्वजनिक (पी०डब्लू०डी०), जिला परिषद व गांव सभा की जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा करने के बारे में कोई शिकायती-पत्र दिनांक 7-11-98 को दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी हां।

प्राप्त शिकायती-पत्र की मौके पर जांच की गयी और भू-माफिया का कब्जा नहीं पाया गया श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री जुगुल किशोर शर्मा को जिला पंचायत मथुरा द्वारा 6000 वर्ग फीट भूमि का दस वर्षीय पट्टा शासनादेश के ही तहत दिया गया है। मीरपुर स्थित खसरा नं० 62, 63 व 64 पर किसी भू-माफिया का कब्जा नहीं है।

जनपद गोरखपुर, तहसील—चौरी-चौरा के ग्राम परसौनी मठिया निवासिनी सती ज्ञान सरोवर दास को उ० प्र० भूमि व्यवस्था अधिनियम में कथित गलत लाभ देकर फर्जी आवंटन के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

2–श्रीमती गौरी देवी–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे शुक्रवार के अता० प्र० सं० 72 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परसौनी-मठिया, तहसील चौरी-चौरा, गोरखपुर की एक बेनामी, अस्तित्वहीन संस्था से संबंधित एक महिला के नाम धारा 122बी 4(एफ) उ० प्र० भूमि व्यवस्था अधिनियम में गलत लाभ देकर पुनः खारिज किया गया है ? क्या यह सत्य है कि संबंधित प्लाट में पुनः नाम अंकित कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है ? इस संबंध में पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के डी० एम० गोरखपुर व अपर आयुक्त (न्याय) व आयुक्त मण्डल गोरखपुर को दिनांक 1-7-98 ई० से अब तक कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

उप जिलाधिकारी, चौरी-चौरा द्वारा धारा 122 बी (4 एफ) तथा धारा 123(1) के अन्तर्गत किये गये बन्दोबस्त को उप जिला अधिकारी के आदेश दिनांक 3-8-98 तथा 20-8-98 द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध सम्बन्धित महिला सती ज्ञान सरोवर दास ने आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के न्यायालय में निगरानी दाखिल करके स्थगनादेश प्राप्त कर लिया इन दोनों निगरानियों को स्वीकार करते हुए अपर आयुक्त (न्यायिक) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ने आदेश दिनांक 3-8-98 तथा 20-3-98 को निरस्त कर दिया तथा सती ज्ञान सरोवर दास के पक्ष में बन्दोबस्त (सेटिल) कर दिया।

अब तक केवल एक पत्र प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वच्छता कार्यक्रम के लिए वर्ष 1997-98 में ब्लाकों को अधिकतम, न्यूनतम तथा औसतन आवंटित धनराशि का विवरण

3–श्री चेतराम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अधिकतम धनराशि किस ब्लाक को कितने रुपये निर्गत की गयी और न्यूनतम धनराशि किस ब्लाक को कितनी निर्गत की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि औसतन कितनी धनराशि वर्ष 1997-98 में प्रति ब्लाक दी गयी ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

वर्ष 1997-98 में प्रदेश में जनपद खीरी के विकास खण्ड बिजुआ को अधिकतम मु० 25.20 लाख और जनपद सुल्तानपुर तथा बलिया के विकास खण्ड क्रमशः संग्रामपुर को न्यूनतम मु० 00.07 लाख तथा बरुआखारी को मु० 00.07 लाख रुपया आवंटित किया गया।

वर्ष 1997-98 में प्रति विकास खण्ड औसतन 4.40 लाख रुपया की धनराशि उपलब्ध कराई गई।

जनपद देवरिया के ग्राम अहिरौली निवासी श्री रामधनी तीन वर्ष के लिये किसी चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित होने के बावजूद पुनः प्रधान पद पर निर्वाचित होने की शिकायतें

4–श्री बेचन राम–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत ग्राम अहिरौली निवासी श्री रामधनी पुत्र श्री खदेरू, अ०जा० द्वारा निर्वाचन क्षेत्र संख्या–194 (नौरंगियां) सुरक्षित क्षेत्र से बारहवीं विधान सभा का चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा था ? क्या खर्चों का विवरण जमा न करने के आरोप में वे तीन वर्ष तक कोई चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हुए थे ? यदि हां, तो क्या वे वर्ष 1995 के ग्राम प्रधान का चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए हैं ? क्या यह अवैधानिक है ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्वाचन को अवैध घोषित करते हुए कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजियाबाद, विकास खण्ड लोनी में एल० एम० सी० की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जों को हटाये जाने की मांग

5–श्री रूप चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विकास खण्ड में अब तक एल०एम०सी० की कितनी भूमि चिन्हित हुई है ? इसमें से कितनी भूमि पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा है ? सरकार इसे कब तक भू-माफियाओं से मुक्त करा लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

विकास खण्ड लोनी में एल० एम० सी० की कुल 578-10-10 बीघा भूमि चिन्हित की गयी ।

सर्वेक्षण के बाद 154.17-8 बीघा भूमि पर विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण पाये गये । जिन व्यक्तियों द्वारा ग्राम सभा की सम्पत्ति पर अवैधानिक अतिक्रमण किया गया है उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत बेदखली सम्बन्धी वाद योजित किये गये हैं, एवं न्यायिक आदेश पारित होने के बाद अतिक्रमण कर्ताओं को बेदखल करके ग्राम सभा सम्पत्ति को अतिक्रमण से मुक्त करायी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन लोगों को ग्राम समाज की बंजर भूमि के पट्टो को रद्द किये जाने की शिकायत

6–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में आसामी पट्टों से पट्टेदारों को खारिज कर बेदखल किया जा रहा है ? क्या वर्ष 1996 से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन लोगों को ग्राम समाज की बंजर भूमि के पट्टे आवंटित किये गये थे ? क्या जिला प्रशासन द्वारा उक्त पट्टेदारों की भूमि को अब खारिज किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

निर्धन भूमिहीन लोगों को कृषक प्रयोजन हेतु ग्राम सभा भूमि के पट्टे दिये जाने का प्राविधान है । पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने अथवा पट्टे की अवधि समाप्त होने की स्थिति में ही पट्टे निरस्त/समाप्त किये जा सकते हैं । किसी विशेष जनपद से ऐसी विशिष्ट शिकायत शासन के संज्ञान में नहीं है ।

जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम लखनी से मऊ–बलिया सरहद तक जाने वाले चकरोड को किसानों के अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग

7–श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम लखनी के मजरे बनहीं चौहान–अनुसूचित जाति बस्ती के मध्य मलेरीकोट–लखनी माइनर के टेल होते हुये ग्राम लखनी की मुख्य अनुसूचित जाति बस्ती से मऊ–बलिया सरहद तक जाने वाले चकरोड को किसानों द्वारा क्या अवैध रूप से जोतकर अपने खेतों में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्थानीय नागरिकों के आवागमन की असुविधा को देखते हुए उक्त चकरोड की पैमाइश करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां। प्रश्नगत चकरोड पर अवैध कब्जा था।

विवादित स्थल का ग्रामवासियों की उपस्थिति में सीमांकन करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

8 व 9—श्री अफजाल अहमद–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में उद्योग विभाग के पदों के पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर भुगतान किये जाने की मांग

10–डा० वकार अहमद शाह–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० 2864/18–1–98–25 (116)/98 दिनांक 10-11-98 द्वारा उद्योग विभाग के कतिपय पदों के पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर भुगतान (1-1-96 से 11-12-97 तक) कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें विलम्ब हेतु दोषी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग, निर्यात एवं प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

26 जनपदों में एरियर का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष जनपदों में भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद भदोही की ग्राम सभा जोहरपुर में स्थित जलमग्न भूमि को अपात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जाने विषयक राज्य मंत्री, सहकारिता को जिलाधिकारी, भदोही को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

11—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मा० राज्य मंत्री, सहकारिता के पत्रांक 1303 वी० आई० पी०/रा०म०स०/97, दिनांक 21-8-97 जो जिलाधिकारी, भदोही को सम्बोधित है और जो तहसील ज्ञानपुर के ग्राम सभा जोहरपुर में स्थित जलमग्न भूमि को अपात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

इन्द्राज निरस्त कर दिये गये हैं तथा भूखण्ड पुनः ग्राम सभा के खाते में अंकित करा दिया गया है।

जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष मोर्चा द्वारा दिये गये ज्ञापन पर की गयी जांच सम्बन्धी पत्रावली गायब होने एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

12—श्री राम विशुन आजाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष मोर्चा, बाराबंकी द्वारा श्री कपिल अस्थाना, जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी के आर्थिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरोध में दिनांक 20 अगस्त, 1997 को 19 सूत्रीय आरोपों का ज्ञापन जिलाधिकारी,

बाराबंकी को दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? क्या आरोपों की जांच कर जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी द्वारा जांच पत्रावली आरोप-पत्र सहित जिलाधिकारी, बाराबंकी को दिनांक 16 अप्रैल, 1998 को भेजी गयी थी ? क्या उक्त जांच पत्रावली गायब करा दी गयी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सितम्बर, 97 में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की दूसरी प्रति के आधार पर आरोप-पत्र गठित कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

पत्रावली यद्यपि गायब है परन्तु किसी के द्वारा गायब कराये जाने की कोई सूचना नहीं है जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली, बाराबंकी में धारा 379 मु० सं० 653/98 दि० 23-12-98 में दर्ज कराई गई है ।

जी नहीं । जब मूल पत्रावली ही गुम है तो जांच रिपोर्ट की कोई भी प्रति उपलब्ध होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के श्री राम खेलावन प्रधान, ग्राम सभा बरावां के खाते में तालाब के लगान की धनराशि के स्थानान्तरित किये जाने में विलम्ब के कारणों की जानकारी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

13–श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–6 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि शेष धनराशि रु० 3000/- को ग्राम सभा के खाते में शीघ्र हस्तानान्तरित कराने एवं दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये थे ? यदि हां, तो शासन के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में विलम्ब के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं, किन्तु प्रश्नगत धनराशि दिनांक 30-3-92 को ग्राम सभा संचित कोष में जमा कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम बधावर में कतिपय व्यक्तियों द्वारा आबादी के अन्दर स्थित सार्वजनिक मार्ग को बन्द किये जाने विषयक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य स० वि० स० के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

14—श्री बी०आर० वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा के उपरिपत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी थाना–रौनापार के ग्राम बधावर निवासी श्री मुनीष द्वारा 27-7-98 को जिलाधिकारी, आजमगढ़ को आबादी के अन्तर्गत स्थित सार्वजनिक मार्ग को उक्त ग्राम के निवासी सुखई, मुखई व सुखारी पुत्रगण भग्गल, चन्द्रिका आदि द्वारा बन्द कर दिये

जाने के संबंध में दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त रास्ता खुलवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नहीं, क्योंकि प्रश्नगत सार्वजनिक रास्ता मौजूद नहीं है ।

जनपद उन्नाव, तहसील हसनगंज के लेखपालों के बकाया देयों का भुगतान कराये जाने की मांग

15—श्री दीपक कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के लेखपालों के बकाया देयों 1-1-1992 से 31-12-1995 तक का प्रोन्नति वेतनमान 1-1-1996 से लागू वेतन आयोग के आधार पर नया वेतनमान, 1994-95 से बढ़े बोनस नकदीकरण 1995-96 में तीन माह में कटी हुई अन्तरिम राहत कटौती 1-1-1998 से 31-12-1998 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया है यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत अवधि के बकाया वेतन आदि के कुल 6 देयक तैयार कराये गये जिनमें से निम्नवत् 4 देयकों का भुगतान उनके सम्मुख अंकित तिथियों को कर दिया गया है ।

1—1/96 से 12/97 तक नवीन वेतनमान का बकाया बिल रु० 18,40,347/- दिनांक 27-5-99

2—1/98 से 11/98 तक महंगाई भत्ते का बिल रु० 2,18,983/- दिनांक 27-5-99

3—बकाया वेतन रु० 67,693/- दिनांक 27-5-99

4—प्रोन्नत वेतनमान रु० 20,961/- दिनांक 27-5-99

6 बिलों में से 4 बिलों का भुगतान कर दिया गया है । अवशेष के भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

जनपद महराजगंज, ग्राम सभा कोटवा में कतिपय व्यक्तियों द्वारा आम रास्ते पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग

16—श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा–कोटवा, थाना–घुघली, तहसील सदर, जनपद महराजगंज में स्थित आम रास्ते पर ठाकुर सिंह, रामअधार, राजदेव सिंह, रमाशंकर सिंह पुत्रगण–नगई राय द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आम रास्ते पर हुए अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की ग्राम पंचायत गड़रिया में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की जांच विषयक राज्य मंत्री, पंचायती राज के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

17—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पंचायती राज का पत्र संख्या–वी०आई०पी०/115/आर०एम०/पं०शा०/99, दिनांक 8-1-99 जो ग्राम पंचायत गड़रिया, ब्लाक जसपुरा, जनपद बांदा में जवाहर रोजगार योजना से कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां, किन्तु कथित पत्र का दिनांक 8-1-99 न होकर दिनांक 6-1-99 है ।

जिलाधिकारी, बांदा को जांच हेतु उक्त पत्र दिनांक 28-1-99 को भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

18—श्री राम सेवक सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में आबकारी विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्त किये गये मृतक आश्रितों के सम्बन्ध में जानकारी

19—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989–90 में उप आबकारी निरीक्षक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती हेतु आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के माध्यम से 34 पदों को विज्ञापित करने के उपरान्त एवं उक्त परीक्षा का मुख्य परीक्षाफल घोषित होने के पूर्व कुल कितने स्थान मृतक कर्मचारियों के कब और किस-किस वर्ग एवं श्रेणी तथा पदनाम से रिक्त हुये थे ? क्या मृतक कर्मचारियों के रिक्त सभी स्थानों पर उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 के अनुपालन में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है ? यदि हां, तो तत्समय उनकी अन्तिम शैक्षिक योग्यता क्या थी ? मृतक आश्रितों को कब और किस पद पर नियुक्ति प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां ।

प्रश्नगत अवधि में कुल दस स्थान रिक्त हुए थे जिनका विवरण निम्नवत् है :—

क्र०सं०	तिथि	श्रेणी	पदनाम
1	2	3	4
(1)	04-10-89	"घ"	सिपाही
(2)	17-10-89	"घ"	सिपाही
(3)	26-12-89	"घ"	आबकारी निरीक्षक
(4)	30-12-89	"घ"	सिपाही
(5)	10-01-90	"घ"	सिपाही
(6)	20-03-90	"घ"	सिपाही
(7)	31-03-90	"घ"	सिपाही

1	2	3	4
(8)	03-04-90	"ग"	लिपिक
(9)	06-05-90	"घ"	सिपाही
(10)	08-08-90	"ख"	सहायक आबकारी आयुक्त

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये गये कार्मिकों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	आश्रित का नाम	शैक्षिक योग्यता	नियुक्ति तिथि	पदनाम
1	महिपाल सिंह	हाईस्कूल	8-2-90	सिपाही
2	श्रीमती राजकुमारी उपाध्याय	इन्टर	30-7-90	लिपिक
3	राजकुमार सिंह	स्नातक	30-8-91	लिपिक
4	नम्रता शर्मा	स्नातक	3-9-91	लिपिक
5	जयनारायन सिंह	हायर सेकण्डरी	15-11-91	चपरासी
6	दिनेश प्रताप तिवारी	एम०एस०सी०	24-10-92	उप आबकारी निरीक्षक
7	दीपक प्रसाद रतूड़ी	कक्षा–8	17-10-94	चौकीदार
8	यशपाल सिंह	कक्षा–8	31-10-94	चपरासी

दो मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित नहीं किया गया है जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1—स्व० डी० के० सोती के आश्रितों द्वारा निर्धारित समय के अन्दर आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।

2—स्व० सेवालाल, लिपिक की पत्नी ने अपने पति के पिता के बड़े भाई के पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने का अनुरोध किया था, परन्तु मृतक आश्रित नियमावली 1974 की परिधि में न आने के कारण नियुक्ति प्रदान नहीं की गई ।

वर्ष 1990 से 1998 के मध्य आबकारी विभाग में मृतक आश्रितों को उप आबकारी निरीक्षक पद पर नियुक्ति तथा लिपिक के रिक्त एवं इन पर नियुक्त न किये जाने के कारणों की जानकारी

20—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990 से 1998 के मध्य कितने व्यक्तियों को मृतक आश्रित के रूप में आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है और उस समयान्तराल में विभाग के अन्तर्गत तत्समय कितने-कितने पद समूह "घ" एवं

समूह "ग" के अन्तर्गत लिपिक वर्ग के रिक्त चल रहे थे? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मृतक आश्रितों को किन कारणों से लिपिक के पद पर नियुक्ति नहीं प्रदान की गई ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप आबकारी निरीक्षक परीक्षा–1990 की गोपनीय प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति प्रदान करने में की गई अनियमितता के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

21—श्री रंग बहादुर पटेल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित अता०प्रश्न संख्या 112 के उत्तर के संबंध में क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप आबकारी निरीक्षक परीक्षा 1990 की गोपनीय प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति प्रदान करने में की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संदर्भ में विशेष सचिव, आबकारी उ०प्र० शासन द्वारा जिलाधिकारी इलाहाबाद को जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से व्यक्ति प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां ।

जांच आख्या शासन में मार्च, 1999 में प्राप्त हो गयी है । जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है जिसके उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

22—श्री छोटे लाल गंगवार–

[2 रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वर्ष 1998-99 में मद्य निषेध हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए व्यय धनराशि की जानकारी

23—श्री राम ललित चौधरी–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 में मद्य निषेध के लिये जागरूकता पैदा करने में सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई ? क्या जागरूकता पैदा करने वाले क्षेत्रों में लाइसेंस शुदा शराब की दुकानों की बिक्री में कोई कमी आई है ? यदि हां, तो शराब की बिक्री में पहले की अपेक्षा कितनी कमी आई है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

वित्तीय वर्ष 1998-99 में मद्य निषेध विभाग द्वारा कुल रु० 80,28,000/- का व्यय किया गया जिसमें से मद्य निषेध के लिये जागरूकता पैदा करने हेतु प्रचार पर 9,34,000 रुपये का व्यय किया गया ।

जी नहीं ।

राजकीय पशु चिकित्सालय हवलक रोड, लखनऊ के पशु औषधिक के स्थानान्तरण की मांग

24—श्री रामवीर सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 30 वर्ष से मण्डल में 24 वर्षों से जिले में तथा 16 वर्षों से एक ही अस्पताल में कार्यरत राजकीय पशु चिकित्सालय, हवलक रोड, लखनऊ के पशु औषधिक के स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी नहीं ।

वर्ष 1999-2000 में निर्धारित स्थानान्तरण नीति/मापदण्ड के अन्तर्गत न आने के कारण प्रश्नगत पशु चिकित्सालय के पशु औषधिक के स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया गया है ।

जनपद रायबरेली, ग्राम गढ़ा में ग्राम सभा की भूमि पर अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिये जाने संबंधी प्रस्ताव की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

25—श्री राम नक्षत्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में ब्लाक गढ़ा के ग्राम प्रधान एवं उप प्रधान द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अपात्र लोगों को पट्टा देने का मामला प्रकाश में आया है ? क्या उप प्रधान के घर वालों को लगभग दस बीघा भूमि का पट्टा दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

जिन अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिया गया था, जांच करके उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही करके दोषी लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है ।

उप संभागीय अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी पटियाली (एटा) कार्यालय में कार्यरत श्री रामबाबू शर्मा के निलम्बन अवधि के अवशेष एरियर के भुगतान की जानकारी

26—श्री रामपाल वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि किस शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों की मांग पर बोनस का भुगतान किये जाने का प्राविधान है ? क्या शासनादेश के अनुसार स्वतः आहरित करके कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाता है ? निलम्बन अवधि 6-2-1980 से 3-1-1993 का देय अवशेष वेतन ऐरियर का कितना रुपया किस तिथि को बैंक से आहरित करके किस तिथि को कर्मचारियों को भुगतान किया गया है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं, ऐसा कोई शासनादेश नहीं है ।

जी हां ।

अवधि	भुगतान की धनराशि	भुगतान की तिथि
दि० 06-2-80 से 31-12-92 तक	रुपया 1,54,860.25	28-9-98

कृषि निदेशालय के पत्र में उल्लिखित कर्मचारियों को तदर्थ नोशनल प्रोन्नति के कारण उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति तिथि से वित्त विभाग के शासनादेशानुसार वित्तीय लाभ अनुमन्य कराने की मांग

27—श्री रामपाल वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के संदर्भ में कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के पत्रांक ए० बी० (1)/1618/वि–2, दिनांक 1-10-1996 में उल्लिखित कर्मचारियों को कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रोन्नति तिथि

से वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या जी–2-1[illegible]0/दस–302-78, दिनांक 3-7-1978 के अनुसार क्या वित्तीय/आर्थिक लाभ अनुमन्य होगा ? क्या सरकार शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को वित्तीय लाभ अनुमन्य कराये जाने का आदेश शासन स्तर से निर्[illegible] करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

नोशनल प्रोन्नति में प्राविधान नहीं है ।

उप कृषि निदेशक (प्रसार) जनपद उन्नाव के कार्यालय में [illegible]तीय श्रेणी कर्मियों की तैनाती की अवधि तथा स्थानान्तरण की मांग

28—श्री रामपाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के कार्यालय में कौन-कौन से तृतीय श्रेणी (लिपिक व स्टेनों वर्गीय) कर्मचारी किन-किन तिथियों से तैनात हैं ? शासन की स्पष्ट स्थानान्तरित नीति के अन्तर्गत कर्मचारियों को स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार वर्ष 1998-99 में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने वाले कर्मचारियों को अन्यत्र जनपद में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के कार्यालय में लिपिक/आशुलिपिक कर्मचारी उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि से कार्यरत हैं ।

सर्वश्री :–

(1) मुरलीधर मिश्रा आशुलिपिक	30-1-99
(2) सी० के० गुप्ता वरिष्ठ लिपिक	1-12-96
(3) योगेश कुमार निगम वरिष्ठ लिपिक	16-5-97
(4) राम आसरे वर्मा वरिष्ठ लिपिक	1-7-96
(5) राम कुमार वरिष्ठ लिपिक	1-2-99
(6) चन्द्र प्रकाश अवस्थी कनिष्ठ लिपिक	1-7-95
(7) श्रीमती ममता राय निगम कनिष्ठ लिपिक	9-7-92
(8) बृजनन्दन कनिष्ठ लिपिक	18-2-99

अराजपत्रित कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण की आवश्यकता प्रकट न होने के कारण किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड अजमतगढ की पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समिति कतिपय ग्राम सभाओं के मत्स्य तालाबों का पट्टा न दिये जाने के संबंध में जानकारी

29—श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड अजमतगढ़ तह०–सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ की मत्स्य जीवी सहकारी समिति की पंजीकृत सं०–193 के कार्यक्षेत्र के तहत शासन की नीति एवं शासनादेश के क्रम में ग्राम [illegible] (1) मसोना, (2) अहिरोली, (3) धुसवां (कटाई), (4) पोखईघास, (5) [illegible], (6) [illegible] (7) नरहन (जमीन नरहन), (8) इशरहा,

(9) दिघवनिया, (10) पारलकुण्डा (कईता), (11) अम्मा आईमा (बरम्हौली), (12) बालीपुर (कोड़री) आदि मत्स्य तालाबों का पट्टा स्थानीय मत्स्य जीवी सहकारी समिति को नहीं दिया गया ? क्या उपरोक्त ग्राम सभाओं के मत्स्य तालाबों के पट्टे की कार्यवाही को निरस्त कराकर स्थानीय मत्स्य जीवी सहकारी समिति को दिलाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि सम्बन्धित ग्रामों में मत्स्य पालन पट्टा निष्पादन के पूर्व विकास खण्ड अजमतगढ़ की मत्स्य जीवी सहकारी समिति पंजीकृत सं० 193 द्वारा मत्स्य पालन पट्टा लेने हेतु कोई पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

जनपद फैजाबाद, ग्राम अमसिन के गाटा संख्या 554 पर खड़ी फसल की अपील न्यायालय में विचाराधीन होने तथा क्रियान्वयन के स्थगित होने के बावजूद परिवर्तन किये जाने की शिकायत

30—श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के ग्राम अमसिन के गाटा संख्या 554 पर 8 फरवरी को खड़ी फसल पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय में अपील विचाराधीन होते हुए भी और चकबन्दी अधिकारी गोसाईगंज के आदेश दिनांक 22-9-90 का क्रियान्वयन स्थगित होने के बावजूद भी चकबन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी दोषी चकबन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

31—श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जिले की सदर तहसील के ग्राम अमसिन के वाद संख्या 3991–प्रेम पियारी बनाम सरकार के वाद में चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-9-90 को सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा अपील संख्या 1145 उदयराज आदि बनाम सरकार के माध्यम से निरस्त करके पुनः पैमाइश कराकर गुण दोष के आधार पर निस्तारण करने हेतु चकबन्दी अधिकारी को निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम अमसिन में गाटा संख्या 554 के सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय पर अपील संख्या 1145 उदयराज आदि बनाम सरकार विचाराधीन होते हुए भी चकबन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए खड़ी फसल पर फसलों को क्षति पहुंचाकर दिनांक 8-2-92 को पैमाइश करके गाटा संख्या 554 पर कब्जा परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रत्यावर्तन के उपरान्त अभी वाद का निस्तारण चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में लम्बित है।

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी, श्री राम सेवक निवासी ग्राम पिण्डरा द्वारा भूमि सम्बन्धी विवाद विषयक, उपसंचालक चकबंदी वाराणसी को दिये गये पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

32—श्री श्रीराम यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम सेवक पुत्र स्व० श्री विश्वनाथ एवं अन्य निवासीगण ग्राम पिण्डरा परगना–कोल असला, थाना–फूलपुर, तह० व जिला–वाराणसी के भूमि सम्बन्धी विवाद विषयक प्रार्थना-पत्र दि० 12-11-97 जो ज़िलाधिकारी, वाराणसी के पत्र सं०–3400 3495/एस० कैम्प–97 दि० 15-11-97 द्वारा उप संचालक चकबन्दी (प्रशासन) वाराणसी को भेजा गया था उस पर उप संचालक चकबन्दी (प्रशासन) वाराणसी द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां। प्रार्थना-पत्र पर उप संचालक चकबन्दी (प्रशासन) वाराणसी द्वारा जांच करायी गयी। मूल चकदार नरायन आदि को दि० 20-4-80 को कब्जा परिवर्तन कराया जा चुका है, जिसके बैदार राम सेवक आदि हैं, इन्हें मूल चकदार से स्वयं कब्जा लेना था। चकबन्दी विभाग स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं बचती, जिससे प्रार्थीगण के अधिवक्ता सहमत हुए थे। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत, ग्राम सभा पिपरिया करम में दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों को आवंटित पट्टे पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

33—श्री गोपाल कृष्ण सक्सेना–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा पिपरिया करम, तहसील पूरनपुर, जनपद पीलीभीत में 36 दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों को एस० डी० एम० पूरनपुर व ग्राम प्रधान पिपरिया करम द्वारा ग्राम समाज की भूमि के पट्टे आवंटित किये गये हैं ? क्या ओम प्रकाश पुत्र श्री भगवानदीन, मोहन लाल पुत्र श्री डोरी लाल, आदि 36 पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

प्रश्नगत पट्टे एक साल की अवधि के लिये किये गये थे। पट्टों का नवीनीकरण पट्टेदारों द्वारा नहीं कराया गया अतः पट्टे नियत अवधि समाप्त होने के बाद निरस्त हो गये।

जनपद बहराइच में वर्ष 1999 में हुए अग्निकाण्डों से क्षति तथा राहत हेतु वितरित धनराशि की जानकारी

34—श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में वर्ष 1999 में अब तक अग्निकाण्ड में कितने घर जले तथा कितने लोगों व जानवरों की मृत्यु हो गई है और कितनी क्षति हुई है ? राहत हेतु कितना धन वितरित हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद बहराइच में वर्ष 1999 में दिनांक 1-4-99 से 7-7-99 तक अग्नि काण्ड से कुल 2019 घर जले हैं तथा 6 लोगों व 96 जानवरों की मृत्यु हुई और रु० 1,17,14,665.00 की अनुमानित क्षति हुई है।

राहत कार्य हेतु 27,08620/- रुपये की धनराशि अब तक वितरित की गयी है। राहत वितरण अवशेष नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के राजस्व ग्राम मइला एवं भुआशहीद में बंजर जमीन पर दिये गये अनियमित पट्टों को निरस्त किये जाने की मांग

35—श्रीमती माया प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व ग्राम मइला एवं भुआशहीद, तहसील सहजनवां, जनपद गोरखपुर की बंजर जमीन आराजी सं० 490, 271, 382, 266, 381, 366, 356, 307, 349, 358 क्रमशः हीरा यादव, गिलास, राहत अली, इसरावती पत्नी हीरा यादव, राधेश्याम, श्री राम, चन्द्रावती पत्नी रामदरस को अनियमित ढंग से दिये गये पट्टों की जांच सी० आर० ओ०, गोरखपुर द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 97 को की गयी थी ? यदि हां, तो क्या समस्त पट्टे निरस्त कर दिये गये ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक निरस्त कर दिये जायेंगे ? क्या यह भी सही है कि पट्टे धारकों द्वारा आयुक्त के यहां से स्थगन प्राप्त है ? यदि हां, तो कब का ? क्या उक्त स्थगन समाप्त कर उक्त बंजर जमीन पर ग्राम सभा को कब्जा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जांच में आ० नं० 490 स्थित ग्राम मइला तथा आ० नं० 349/2 व 358 ग्राम भुआशहीद से किये गये पट्टे अनियमित पाये गये अतएव उनको निरस्त करने के लिये सक्षम अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया गया। वाद की सुनवाई करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 25-5-98 द्वारा पट्टो को निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी कार्यालय को आयुक्त के यहां से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को भूमि आवंटन की व्यवस्था की जानकारी

36—श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि परम्परागत मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्भकारों (प्रजापति) के लिये बर्तन पकाने एवं मिट्टी की व्यवस्था के लिये भूमि आवंटन की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 126(1) एवं नियमावली के नियम 115 के द्वारा भूमि प्रबन्ध समितियों को कुम्हार जाति को मिट्टी की व्यवस्था के लिये भूमि आवंटन की व्यवस्था है, जिस पर कार्यवाही करते हुए आवंटन किया जा रहा है ।

जनपद जौनपुर के ग्राम सराय सीतम में नवीन परती भूमि पर श्री मधु यादव का कब्जा हटवाये जाने की जानकारी

37—श्री श्रीराम यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सराय सीतम, ग्राम सभा दुहावार, परगना व तहसील मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर में आराजी सं०–23/332 एअर नवीन परती से 006 एअर की आबादी से श्री मधु यादव के कब्जे को हटवाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्नगत स्थल नवीन परती की भूमि है, आबादी नहीं थी । मधु यादव द्वारा इस खाली भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके कब्जा किया जा रहा था । क्षेत्रीय जनता के आक्रोश के दबाव में स्वयं मधु यादव द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया था ।

38—श्री रंग बहादुर पटेल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उप आबकारी निरीक्षक सेवा संवर्ग में दो मृतक आश्रितों की नियुक्ति में हुई अनियमितता की जानकारी

39—श्री रंग बहादुर पटेल–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले गुरुवार के अता० प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के क्रम में क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी विभाग में वर्ष 1989-90 में उप-आबकारी निरीक्षक सेवा संवर्ग में दो मृतक आश्रितों को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अनुसार नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं और किस मृतक कर्मचारी के विरुद्ध नियुक्ति प्रदान की गयी ? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि वर्ष 1990 में श्री यशवंत उपाध्याय बनाम आबकारी आयुक्त, रिट सं०–337, 28/90 के जवाबी हलफनामे में चार मृतक आश्रितों को पदभार ग्रहण कराना स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो मंत्री जी उन अभ्यर्थियों के नाम व पता बतायेंगे एवं किन मृतक कर्मचारियों के विरुद्ध उनकी नियुक्ति की गयी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई में श्री राजकुमार, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा सचिव, पशुधन को दिये गये पत्र में वर्णित स्थान पर पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग

40—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राज कुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 24-3-1999 जो कि पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में था तथा जिसे मंत्री जी द्वारा अपने पत्रांक 465/वी०आई०पी०/जी/99, दिनांक 31-3-99 द्वारा सचिव, पशुधन को चिकित्सालय खोलने हेतु

भेजा गया था ? क्या चिकित्सालय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? क्या यह भी सही है कि पत्र में वर्णित स्थान पर चिकित्सालय खोलने हेतु जनपद हरदोई से जिला योजना में वर्ष 1999 में प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया था ? यदि हां, तो प्रश्नगत स्थान पर चिकित्सालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में बजट व्यवस्था होने पर यथा समय स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, ग्राम सालेहनगर में फर्जी इन्द्राज निरस्त किये जाने की मांग

41—श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खसरा नं०–168/5 स्थित ग्राम सालेहनगर परगना बिजनौर तहसील व जनपद लखनऊ के संबंध में श्री बाबूलाल आदि निवासी ग्राम उपरोक्त ने 24-6-96 व दिनांक 16-7-96 व दिनांक 25-5-97 व दिनांक 8-6-97 को फर्जी इन्द्राज खारिज कर अनुसूचित जाति आबादी दर्ज करने के लिये शासन व जिला प्रशासन को देने पर नायब तहसीलदार बिजनौर ने दिनांक 18-10-97 को अपनी जांच आख्या उप जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो क्या फर्जी इन्द्राज खारिज हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

हां, खसरा सं० 168/5 स्थित ग्राम सालेहनगर परगना बिजनौर, जिला लखनऊ पर कथित फर्जी इन्द्राज निरस्त किये जाने हेतु बाबूलाल आदि निवासी ग्राम उपरोक्त के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं । तथा इस संबंध में जांच आख्या नायब तहसीलदार बिजनौर द्वारा दिनांक 18-10-97 को न्यायालय उप जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुई है ।

हां, उक्त आख्या के आधार पर मुकदमा सं० 106/27/98-99 आदेश दिनांक 8-7-99 द्वारा उक्त फर्जी इन्द्राज निरस्त कर नियमानुसार मुताबिक बंदोबस्त बजंर दर्ज कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरिद्वार, ग्राम कांगड़ी में स्थित मदिरा की दुकानों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

42—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्द्धशासकीय पत्रांक 412 ई–2/तेरह–99-204/98, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग–2, लखनऊ दिनांक 5 जनवरी, 1999 के तृतीय पैराग्राफ में गुरुकुल कांगड़ी के महत्व को देखते हुए उक्त दुकानों को अगली नीलामी से पूर्व अन्यत्र स्थानान्तरित कराने के लिये सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जनपद हरिद्वार के ग्राम कांगड़ी मार्ग पर स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकान को आगामी वार्षिक व्यवस्थापन के पूर्व अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रयास करने के निर्देश शासन के पत्र दि० 28-1-99 के द्वारा दिये गये थे । प्रश्न में उल्लिखित पत्र दि० 5-1-99 के द्वारा मा० विधायक को उपरोक्त से अवगत कराया गया था । प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत दुकानों से ग्राम कांगड़ी की दूरी लगभग 1 किमी० है तथा यह दुकानें वर्ष 1992-93 से चल रही है, अतः इन दुकानों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद बस्ती, ग्राम खरहदिया में किये गये अनियमित पट्टों को निरस्त कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

43—श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खरहदिया, ग्राम सभा अतरौराझाम, विकास खण्ड विक्रमजोत, तहसील–हरैया, जनपद बस्ती में श्रेणी (6) जलमग्न भूमि (तालाब) की नवैयत बदलकर वर्ष 1996 में पट्टा ठाकुर/अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति को किया गया है ? क्या उनमें से कुछ लोग ग्राम बेतावां में पहले से ही पट्टेदार हैं ? क्या यह भी सही है कि एक ही परिवार के तीन-तीन लोगों को पट्टा दिया गया है तथा एक नाबालिग के नाम भी पट्टा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पट्टों को तत्काल निरस्त करेगी तथा गलत तरीके से पट्टा करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां । किन्तु इन व्यक्तियों की पूर्व पट्टों की भूमि घाघरा नदी में विलीन हो गयी है ।

जी हां ।

प्रश्नगत अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । प्रकरण के जांचोपरान्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद कानपुर देहात, ग्राम सुजौर में स्थित देशी शराब की दुकान को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

44—श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999, पांचवें गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–5 के उत्तर के क्रम में क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–सुजौर, पो०–पनियांमऊ, जनपद कानपुर (देहात) में स्थित देशी शराब की दुकान वर्तमान में जहां स्थानान्तरित कर स्थापित की गयी है उसके 50 मीटर दूर सरस्वती ज्ञान विद्या मन्दिर स्थापित है ? यदि हां, तो क्या सरकार देशी शराब की दुकान आबादी से बाहर ऐसे स्थान पर स्थानान्तरित करेगी जहां पर कोई शिक्षण संस्था/धार्मिक स्थान न हो ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर देहात, ग्राम सुजौर में स्थित शराब की दुकान का ठेका निरस्त किये जाने की मांग

45—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती उमा देवी, ग्राम–सुजौर, पो०–अमरौधा, जिला कानपुर देहात का, ग्राम–सुजौर स्थित देशी शराब की दुकान का ठेका निरस्त करने के संबंध में शिकायती पत्र सुश्री सोनिया सक्सेना, परामर्शदाता राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–8/103/99/ रा०म०आ०/एस०एन०, दिनांक 8-2-99 के माध्यम से जिलाधिकारी, कानपुर देहात को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी उक्त देशी शराब की दुकान का ठेका निरस्त करने के संबंध में आदेश निर्गत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां । प्रश्नगत देशी शराब की दुकान को जांचोपरान्त पूर्व स्थान से हटाकर नये स्थान, जो कि उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल खण्ड प्रथम के प्रस्तर–328 में निहित प्राविधानों के अनुरूप है, पर स्थानान्तरित कर दिया गया है, अतः दुकान का ठेका निरस्त किये जाने का औचित्य नहीं है ।

उपरोक्त स्थिति से राष्ट्रीय महिला आयोग को जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 11-3-99 को अवगत भी करा दिया गया है ।

46—श्री राम सेवक सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक पदों की भर्ती में नियमानुसार नियुक्तियां न करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

47—श्री राम सेवक सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी आयुक्त ने उप आबकारी निरीक्षक पद हेतु 1989 में 34 पदों हेतु विज्ञापन किया था ? शासन द्वारा नवनियुक्तियों पर रोक लगने के उपरान्त आबकारी आयुक्त ने 3 मई, 1990 के पत्र के माध्यम से कितने पदों पर चयन हेतु छूट प्रदान करने की शासन से स्वीकृति मांगी थी ? क्या 30 पदों पर ही नियुक्ति हेतु छूट मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शेष रिक्त पदों पर नियुक्तियां नियमानुसार की गयी थी ? क्या मंत्री इस कृत्य के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आबकारी आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 3 मई, 1990 द्वारा उप आबकारी निरीक्षक के 30 पदों पर नियुक्ति हेतु छूट प्रदान करने की शासन से स्वीकृति मांगी थी ।

जी हां ।

प्रश्नगत अवधि में उप आबकारी निरीक्षक के 30 पद रिक्त थे और 30 चीनी मिलों में उत्पादित शीरे एवं उस पर प्रशासनिक प्रभार के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की सुरक्षा हेतु उप आबकारी निरीक्षकों को नियुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियुक्तियां नियमानुसार की गई हैं।

जनपद मऊ, विकास खण्ड कोपागंज में अम्बेडकर मार्ग सम्पर्क योजना के अन्तर्गत बनवाई गई सड़कों को पिच रोड बनाये जाने की मांग

48—श्री समरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड कोपागंज में अम्बेडकर मार्ग सम्पर्क योजना के अन्तर्गत टड़ियांव से पारामुबारकपुर एवं धवरिया साथ बरलाई मार्ग से बसारथपुर तक सड़क निर्माण का कार्य कृषि मण्डी परिषद् की निर्माण इकाई द्वारा प्रारम्भ किया गया था? क्या सड़क पर गिट्टी कुटाई कर दी गयी है ? यदि हां, तो किस तिथि में गिट्टी कुटाई करायी गयी है ? पेंटिंग कार्य अभी तक क्यों नहीं कराया गया ? क्या गिट्टियों के उभरने से यातायात दुष्कर हो गया है ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? उक्त मार्ग को कब तक पिच रोड बना दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

जी हां।

क्रमशः दिनांक 25-11-97 एवं 25-8-97।

प्रश्नगत मार्गों का निर्माण चयन अनुबन्ध के अन्तर्गत कराया जा रहा है, दिनांक 27-5-98 को मण्डी परिषद् द्वारा सभी चयन अनुबन्ध वाले कार्यों पर धन अवमुक्त न करने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण पेंटिंग का कार्य नहीं कराया जा सका। दिनांक 21-6-99 को शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यों को पुरानी दरों पर पूर्ण करा लिया जाए तथा भविष्य में चयन अनुबन्ध से कार्य न कराये जायें। इसके क्रम में इन कार्यों को पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण ही यातायात में असुविधा हो रही है।

चूंकि यह एक नीतिगत निर्णय था, इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जानी है।

इस मार्ग के अवशेष निर्माण कार्य को पुनः प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लेते हुए कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद फैजाबाद, तहसील सदर, ग्राम अमसिन में चक निर्माण प्रक्रिया मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किये जाने के बावजूद चकबंदी अधिकारी, फैजाबाद द्वारा आपत्तियों की सुनवाई का औचित्य

49—श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जिले की सदर तहसील में ग्राम अमसिन में धारा 20 चकबन्दी अधिनियम व बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के स्तर के निराकरण के पूर्व ही कुछ गाटों पर दिनांक 8-2-1992 को अनियमित रूप से कब्जा परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो किन-किन गाटों पर और क्यों ? क्या यह भी सही है कि फैजाबाद जिले की सदर तहसील में ग्राम अमसिन का सर्वे मैप गलत होने के कारण मा० उच्च न्यायालय बेंच लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 472/सन् 1992 रामराज वर्मा बनाम कलेक्टर आदि के परिपेक्ष्य में दिनांक 21-7-1993 को चक निर्माण संबंधी प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी है ? यदि हां, तो दिनांक 13-1-99, 18-1-99, 12-1-99 व 22-1-99 को चकबन्दी अधिकारी, फैजाबाद के द्वारा धारा 20 की आपत्तियों की सुनवाई/निस्तारण किस आधार पर किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

कोई सुनवाई नहीं की गयी ।

जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील डुमरियागंज में चकबंदी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने की मांग

50—श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर में कई वर्षों से चकबन्दी का कार्य हो रहा है और लगभग एक वर्ष से चकबन्दी अधिकारी नियुक्त नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या किसानों की परेशानी दूर करने हेतु चकबन्दी अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

सिद्धार्थनगर में सम्प्रति चकबंदी अधिकारी के 4 पदों के विरुद्ध 2 भरे हैं तथा 2 रिक्त हैं । प्रदेश स्तर पर चकबंदी अधिकारी के 230 पदों में से 160 भरे हैं तथा 70 रिक्त हैं । रिक्त पदों को नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही चल रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद लखनऊ, ग्राम सालेहनगर में खसरों में फर्जी इन्द्राज खारिज करने हेतु मुख्य मंत्री को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

51—श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सालेह नगर परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ के खसरा नं० 104, 313, 798, 897, 956, 1005, 96, 110, 174, 956, 1005, 98, 956/2 कुल रकबा 29 बीघा 10 विस्वांसी से भगवान वल्द सावन मल व खसरा नं०–188, 544, 680, 69, 314, 334, 342, 370, 457, 530, 351, 532, 747, 789 से रमेश चन्द्र वल्द भगवान दास कुल रकबा 18 बीघा 19 विस्वांसी से खसरा नं० 168/5, 511, 172, 172, 175 कुल 3 बीघा 10 विस्वांसी से राजरानी पत्नी भगवान दास का नाम 1356 फ० में फर्जी इन्द्राज खारिज करने हेतु श्री शशि भूषण रावत सभासद शारदा नगर वार्ड लखनऊ का पत्र दिनांक 23-3-99 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र के प्रस्तर–3 में अंकित गाटा संख्या–168/5 जो खतौनी 1402 फ० से 1407 फसली में शैलेन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द्र का नाम अंकित था, उसे जांच कार्यवाही के अन्तर्गत धारा–33/39, उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम में फर्जी पाते हुए उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ के न्यायालय के आदेश दिनांक 8-7-99 व मुकदमा सं० 106/27/98-99 शैलेन्द्र कुमार बनाम सरकार के द्वारा निरस्त किया जा चुका है । शेष प्रश्न एवं प्रार्थना-पत्र में वर्णित अन्य गाटा संख्यायें वर्तमान में खतौनी 1402 फसली से 1407 फसली में कथित फर्जी खातेदार भगवान दास बल्द सावन मल, रमेश चन्द्र पुत्र भगवान दास, राजरानी पत्नी भगवान दास के नाम दर्ज नहीं है । इन गाटों के बारे में

अभिलेखागार में दाखिल खतौनी 1356 फसली में फर्जी इन्द्राज किये जाने की बात कही गयी है । जिसके संबंध में जांच कराई जा रही है । उल्लेखनीय है कि चूंकि वर्तमान खतौनी में फर्जी इन्द्राज नहीं है । अतः इसके आधार पर उक्त व्यक्तियों का वर्तमान में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । 1356 फसली में अंकित कथित फर्जी खातेदारों के संबंध में जांच की कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम बरावां में गाटों के भू-अभिलेखों में अनियमितता के दोषी कर्मियों तथा उक्त गाटों के भू-अभिलेखों को पूर्ववत किये जाने संबंधी जानकारी

52—श्री रमेश राही–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के 4 ये गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व अभिलेखों में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि गाटा संख्या 70, 279, व 324 ग्राम बरावां परगना व तहसील रुदौली जनपद फैजाबाद की परीक्षण रिपोर्ट क्या है ? इस मामले में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ? क्या उक्त गाटा संख्या को खतौनी व अन्य भू-अभिलेखों में पूर्ववत क्रमशः तालाब व पशुचर अंकित करने की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

परीक्षण के उपरान्त गाटा संख्या–70 के संबंध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई । गाटा संख्या–324 को पशुचर के स्थान पर बंजर अंकित करने की अनियमितता प्रकाश में आयी । गाटा संख्या–324 व 279 पशुचर का विनिमय अनुपात निर्धारित करके चकों में प्रविष्ट करने विषयक अनियमितताएं पाई गई । अनियमितता के लिये दोषी पाये गये तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी के विषय में विवरण मांगा गया है ।

जी नहीं ।

ग्राम का प्रख्यापन अन्तर्गत धारा–52 जोत चकबंदी अधिनियम दिनांक 1-6-1991 को हो जाने के कारण जोत चकबंदी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही विधिसंगत नहीं है । अतः दुरुस्ती की कार्यवाही तहसील स्तर से ही की जा सकती है जिसके लिये जिलाधिकारी, फैजाबाद को निदेशालय के पत्रांक 10775 दिनांक 12-7-99 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है ।

53—श्री रमेश राही–

[2रे सोमवार में अता० प्र० सं० 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ ग्राम सभा भगैसरा में पुलिस विभाग द्वारा पंचायत भवन पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

54—श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत, भगैसरा ब्लाक सदर प्रतापगढ़ जनपद प्रतापगढ़ के पंचायत भवन पर पुलिस विभाग द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा गया है ? यदि हां, तो क्या पंचायत भवन को खाली कराने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

ग्राम भगैसरा एवं आस-पास के क्षेत्र में स्थानीय जनता की मांग पर शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में पुलिस चौकी पृथ्वीगंज की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी । पुलिस चौकी के

कर्मचारियों को वहां ठहरने की व्यवस्था न हो पाने के कारण ग्राम प्रधान की सहमति से ग्राम पंचायत भवन जो खाली पड़ा हुआ था, उसमें अस्थाई पुलिस चौकी खोली गई ।

सुरक्षा की दृष्टि से इस चौकी को भगैसरा में तब तक रखा जायेगा जब तक की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती ।

प्रदेश में कृषि विभाग के अन्तर्गत अधिकारी पदों की संख्या एवं वर्गवार नियुक्ति का विवरण

55—श्री राम ललित चौधरी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग में प्रदेश में संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला कृषि अधिकारी तथा भूमि संरक्षण अधिकारी आदि के कुल कितने पद हैं और उक्त पदों पर अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कृषि विभाग में प्रदेश में संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक, उप निदेशक एवं अन्य श्रेणी–1 के कुल 168 पद है तथा श्रेणी–2 के अन्तर्गत जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी तथा अन्य श्रेणी–2 के कुल 754 पद हैं ।

स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत विभिन्न वर्गों के अधिकारियों की स्थिति निम्नवत् है :–

अल्प संख्यक		पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी–1	5	33	36	—
श्रेणी–2	15	96	97	—
	20	129	133	—

जनपद मथुरा तहसील सदर में जमुनापार पैठ की भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों में अनियमितता करने वाले दोषी कर्मियों के विरुद्ध तथा क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यवाही की मांग

56—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद की सदर तहसील के अन्तर्गत स्थित जमुनापार पैठ की भूमि संबंधी दस्तावेजों में हेराफेरी एवं गड़बड़ी की जांच की जा रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाये गये हैं ? क्या सरकार राजस्व हानि की क्षति पूर्ति के लिये कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा ग्राम जतीपुरा से गांठौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

57—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के जतीपुरा से गांठौली मार्ग जो जीर्ण-शीर्ण हो गया है क्या उसका निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

दिसम्बर, 1999 तक ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आबकारी विभाग द्वारा उप आबकारी निरीक्षक तथा लिपिक पदों पर वार्षिक चयन न करने के दोषी के संबंध में जानकारी

58—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 19, 20 एवं 21 के संदर्भ में क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 8/9/1975 कार्मिक–2, दिनांक 29-5-79 के अनुसार प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिये वैध रहती है ? क्या यह सत्य है कि उक्त शासनादेश जिला चयन समिति हेतु है और उप आबकारी निरीक्षक परीक्षा राज्य स्तरीय थी एवं लिपिक वर्ग के उच्च वेतनमान की थी ? क्या प्रतीक्षा सूची एक वर्ष जहां पर वैध रहती है वहां पर प्रति वर्ष चयन हेतु कार्मिक विभाग ने निर्देश भी दिये हैं ? यदि हां, तो प्रति वर्ष न चयन करने के लिये दोषी कौन हैं ?

सूर्य प्रताप शाही–

शासनादेश संख्या–8-4-1975 कार्मिक–2, दिनांक 29-5-79 के अनुसार प्रतीक्षा सूची एक वर्ष की अवधि के लिए ही वैध होती है ।

जी हां ।

जो पद लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की परिधि में है उनके लिये वार्षिक चयन हेतु कार्मिक विभाग के 25 मार्च, 1985 के कार्यालय -ज्ञाप में निर्देश दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उप आबकारी निरीक्षक का पद उ० प्र० लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं है ।

प्रदेश के जनपदों में कार्यरत कृषि रक्षा अनुसंधान केन्द्रों के संबंध में कतिपय जानकारी

59—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने जनपदों में कृषि रक्षा अनुसंधान केन्द्र कार्यरत हैं ? क्या सरकार जनपदों में स्थित कृषि रक्षा अनुसंधान केन्द्रों को प्रभावशाली बनाने के लिये उसके कार्यों की समीक्षा करके कार्य क्षमता में सुधार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रदेश के किसी भी जनपद में कृषि रक्षा अनुसंधान केन्द्र स्थापित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के पशु पालन विभाग में स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी पदों में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

60—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पशुपालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? क्या रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

पशुपालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कुल 9080 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 900 पद रिक्त चल रहे हैं ।

शासन के कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 20-1-91–का–2-1997, दिनांक 3-11-97 में नई नियुक्तियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त किये जाने के उपरान्त यथा समय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पशु पालन विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की जी०पी०एफ० स्वीकृति मण्डल स्तर से कराये जाने की मांग

61—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तीन माह का मूल वेतन से अधिक के जी०पी०एफ० की स्वीकृति प्रदेश के विभागाध्यक्ष स्तर से होती है ? यदि हां, तो क्या इससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जी०पी०एफ० स्वीकृत कराने में समय एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तीन माह से अधिक के जी०पी०एफ० की स्वीकृति मण्डल स्तर से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

जी हां ।

कर्मचारियों की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग की सहमति से इस बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती मण्डल पशु पालन विभाग में अप्रशिक्षित फार्मासिस्ट पद पर भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में चतुर्थ श्रेणी का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

62—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998–99 के समूह "ग" की परीक्षा में बस्ती मण्डल के पशुपालन विभाग में अप्रशिक्षित फार्मासिस्ट की परीक्षा सम्पन्न हुई थी ? यदि हां, तो कितने पदों हेतु परीक्षा हुई थी ? क्या उक्त रिक्त पदों में से चतुर्थ श्रेणी का 20 प्रतिशत का प्रोन्नति कोटा पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

कुल 17 पदों हेतु ।

जी नहीं । नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर ग्राम पंचायत बड़ागांव में राजकीय पशु चिकित्सालय की बाउन्ड्रीवाल बनवाये जाने की मांग

63—श्री रमेश राही–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्राम पंचायत बड़ागांव में राजकीय पशु चिकित्सालय बने हुये कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं परन्तु आज तक बाउन्ड्रीवाल नहीं बनाई गई है जबकि कई वर्षों से ब्लाक में बाउन्ड्रीवाल बनाने का धन पड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां, परन्तु पशु चिकित्सालय बड़ागांव के बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु कोई धन नहीं दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

64—श्री समरपाल सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

जनपद मऊ की ग्राम सभा इन्दारा में चकबन्दी कार्य शुरू किये जाने तथा ग्राम सभा के खाने में दर्ज भूमि की जानकारी

65—श्री समरपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ग्राम सभा इन्दारा में चकबन्दी का कार्य किस वर्ष में शुरू किया गया था ? चकबन्दी के दौरान सार्वजनिक उपयोग हेतु किसानों की भूमि से कितने प्रतिशत भूमि की कटौती की गई ? इन्दारा गांव सभा का कुल रकबा कितना है ? इस समय इन्दारा गांव सभा के खाते में कुल कितनी भूमि है ? वहां धारा 52 का प्रकाशन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम इन्दारा में चकबन्दी कार्य वर्ष 1972 में शुरू किया गया था। चकबन्दी के दौरान सार्वजनिक उपयोग हेतु किसानों की भूमि से 7 प्रतिशत भूमि की कटौती की गई। इन्दारा गांव सभा का कुल रकवा 2056.726 एकड़ है। इस समय इन्दारा गांव सभा के खाते में कुल 147.894 एकड़ भूमि है। ग्राम का धारा– 52 का प्रकाशन मार्च, 2000 तक कराने का लक्ष्य रखा गया है।

जनपद बस्ती के गांव चकचई तप्पा गौर में भूखण्ड संख्या 74 ख से अनधिकृत कब्जा हटाये जाने की मांग

66—श्री अक्षयवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदम्बा प्रसाद पुत्र श्री राम औतार निवासी गांव चकचई तप्पा गौर तहसील हरैया जिला बस्ती के भूखण्ड संख्या 74 ख रकबा 0-1-10 में से राम सागर, राधेश्याम व अन्य का अतिक्रमण हटवाने विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-5-99 जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त अतिक्रमण हटवा कर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी हरैया बस्ती के आदेश दिनांक 5-4-99 का पालन करते हुए अनाधिकृत कब्जा थानाध्यक्ष गौर द्वारा हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अनधिकृत कब्जा कब तक हटवा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उटता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जिला बस्ती में श्री जगदम्बा प्रसाद बनाम दुर्बली निवासी ग्राम–चकचई तहसील हरैया के गाटा संख्या 92/449 रकबा 1-6-0 के बाद के निर्णयानुसार कार्यवाही करने तथा संवैधानिक रूप से विपक्षी के पक्ष में किये जाने की शिकायत

67–श्री अक्षयवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगदम्बा प्रसाद बनाम दुर्बली निवासी ग्राम चकचई तहसील हरैया जिला बस्ती के गाटा संख्या 92/449 रकबा 1-6-0 के वाद संख्या 186 में उप जिलाधिकारी हरैया बस्ती के निर्णय दिनांक 7-1-99 का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि राजस्व निरीक्षक पैकवलिया ने थाना गौर के सहयोग से दिनांक 22-4-99 को अवैधानिक रूप से धन की उगाही करके उक्त जमीन को नाप कर विपक्षी दुर्बली के पक्ष में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त आदेश का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार फिर से प्रकरण में उक्त न्यायालय के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

उपजिलाधिकारी हरैया के न्यायालय में ग्राम चकचई के गाटा सं० 94क/0-3-4 के सीमांकन हेतु दुर्बली-बनाम-जगदम्बा प्रसाद वाद सं०–186 एल०आर० ऐक्ट की धारा–41 में दिनांक 27-2-98 को योजित किया गया, उपजिलाधिकारी के न्यायालय के निर्णय दिनांक 7-1-99 द्वारा उपरोक्त वाद वादी (दुर्बली) की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया । अतः अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

न्यायालय उपजिलाधिकारी हरैया के आदेश दि० 24-6-98 के अनुपालन में राजस्व निरीक्षक पैकोलिया द्वारा दिनांक 22-4-99 को पक्षों को सूचित करने के बाद थाना गौर के पुलिस बल की उपस्थिति में गाटा सं० 94क/0-3-4 का सीमांकन नियमानुसार किया गया है ।

प्रश्न नहीं उटता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि उप जिलाधिकारी हरैया के न्यायालय के निर्णय दिनांक 7-1-99 द्वारा उपरोक्त वाद खारिज कर दिया गया है तथा राजस्व निरीक्षक को सूचित नहीं किया गया । अतः राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के शाहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत नवसृजित तहसील सवायजपुर में सम्मिलित कतिपय ग्राम तहसील शाहाबाद में सम्मिलित किये जाने की मांग

68—श्री बाबू खां—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 89-शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नवसृजित तहसील सवायजपुर जो लगभग 200 से अधिक गांव तहसील शाहाबाद से हटाकर तहसील सवायजपुर में जोड़े गये हैं और जिसमें 40 गांव ऐसे हैं जो तहसील शाहाबाद से 15 कि०मी० के अन्दर हैं और सवायजपुर तहसील से 50 कि०मी० दूर है वहां की जनता को घोर असुविधा हो रही है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

तहसील शाहाबाद के विकास खण्ड भरखनी के 183 राजस्व ग्राम नवसृजित तहसील सवायजपुर में सम्मिलित किये गये हैं । ग्राम वासियों को तहसील मुख्यालय शाहाबाद अथवा सवायजपुर जाने में सुविधा में कोई अन्तर नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के शाहाबाद से पाली मार्ग पर ग्राम बैजूपुर में अग्निकाण्ड में हुई मौतों के परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने की मांग

69-श्री बाबू खां—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 89-शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शाहाबाद से पाली मार्ग पर गांव दरियापुर बलभद्र से होते हुये ग्राम बैजूपुर में अग्नि से 1 पुरुष 2 महिला व 1 बच्ची की मृत्यु मई 1999 में हो गयी थी ? क्या इनके परिवार जनों को कोई आर्थिक मदद दी गयी ? यदि हां, तो कितनी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

माह अप्रैल 23, 1999 को रात्रि में ग्राम बैजूपुर में अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई थी जिसमें श्री श्रीपाल पुत्र मनोहर व श्रीमती सुशीला पत्नी सरोज कान्त व श्रीमती सरवती पत्नी मनोहर लाल तथा कु० सपना पुत्री सरोज कान्त की अग्निकाण्ड में जलकर मृत्यु हो गयी थी ।

जी हां, अनुग्रह अनुदान की आर्थिक मदद दी गयी है ।

मृतक श्रीपाल के वारिस/उत्तराधिकारी श्रीमती चन्द्रावती विधवा श्रीपाल को मु० 50,000/- व मृतका श्रीमती सरवती के वारिस/उत्तराधिकारी श्री मनोहर पुत्र राम लाल को मु० 25,000/- व मृतका श्रीमती सुशीला तथा कु० सपना के वारिस उत्तराधिकारी श्री सरोज कान्त पुत्र श्रीपाल को प्रति मृतक 25000/- की दर से दो मृतकों के लिये मु० 50,000/- की अनुग्रह अनुदान कुल रु० 1,25,000/- की धनराशि चेक के द्वारा दिनांक 3-5-99 को वितरित की गयी है ।

जिला फैजाबाद तहसील बीकापुर ग्राम मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर की भूमि के पेड़ों की नीलामी एवं पट्टे की स्वीकृति

70–श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद की भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 15-1-98 को सीलिंग आवासीय वृक्षारोपण ग्राम समाज में उगे बबूल के पेड़ों की नीलामी की स्वीकृति एवं पट्टे की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान नहीं की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त लम्बित पट्टे कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रस्ताव नियम विरूद्ध एवं अनियमित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद तहसील बीकापुर ग्राम मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर की भूमि पर व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

71–श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद में ग्राम समाज भूमि खाता संख्या-1126 रकबा 922/4. 4 राजस्व अभिलेखों में सन् 1976 से अंकित भूमि के पट्टों का अनुमोदन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किये जाने से सम्बन्धित शिकायती-पत्र 7-12-98 जो परगना अधिकारी बीकापुर को प्रधान, मुकीमपुर द्वारा दिया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद के खाता सं० 1126 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा 8 धूर के भूमि आवंटन से सम्बन्धित प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया है क्योंकि भूमि विवादित है एवं माननीय अपर आयुक्त प्रशासन, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद के न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 12-1-98 द्वारा स्थगन आदेश पारित है ।

जी हां ।

मामला न्यायालय में विचाराधीन होने एवं स्थगन आदेश पारित होने के कारण अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर, विकास खण्ड बाजार शुकुल स्थित राजस्व ग्राम-धनेसा राजपूत ग्राम पंचायत दक्खिन गांव क्यार से असम्बद्ध कर पूर्वत ग्राम सभा घोषित किये जाने की मांग

72–कुंवर सर्वेश कुमार–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड बाजार शुकुल के अन्तर्गत स्थित वर्तमान में राजस्व ग्राम–धनेसा राजपूत वर्ष 1994-95 में सम्पन्न हुये पंचायत चुनाव से पूर्व अलग ग्राम सभा थी ? क्या वर्ष 1994-95 में ही सम्पन्न हुये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसकी आबादी मानक से कम दिखाकर इसे ग्राम पंचायत दक्खिन गांव क्यार से सम्बद्ध कर दिया गया है ? क्या उक्त राजस्व ग्राम की वर्तमान में आबादी लगभग 2000 के आस-पास है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त राजस्व ग्राम की पुनः जनगणना करवाकर अलग ग्राम पंचायत घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया, ब्लाक भलुवनी, ग्राम महुई श्रीकान्त के तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम अधार द्वारा ग्राम समाज की भूमि आवंटन में अनियमितता की पुनः उच्च स्तरीय जांच की मांग

73–श्री अफजाल अहमद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवें गुरूवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जांच अधिकारी ने मौके पर बिना गये ही गांव के लोगों से बिना पूछताछ किये ही रिपोर्ट भेज दी थी ? क्या जहां पर कार्य नहीं हुआ है उसको भी फर्जी दर्शा दिया गया है ? यदि हां, तो जांच अधिकारी कौन थे ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने एवं कार्यों का सत्यापन के समय गांव के लोगों से भी पूछताछ करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

74–श्री अफजाल अहमद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवे गुरूवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नगत पट्टा अब तक निरस्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? विलम्ब का कारण क्या है ? क्या सरकार तत्काल पट्टा निरस्त करने एवं दोषी पूर्व प्रधान के विरुद्ध फर्जी प्रस्ताव बनाने के आरोप में अपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश देगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती तहसील हरैया में सीजनल अमीनों द्वारा वसूली गई रकम में घपलों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

75–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम कुमार यादव, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् का शिकायती-पत्र दिनांक 7-5-99 जो तहसील हरैया, जनपद-बस्ती में सीजनल अमीनों द्वारा वसूली गयी रकम में किये गये घपलों के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर जांचोपरान्त क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री राम कुमार यादव, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 28-5-99 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत पत्र की जांच कराकार श्री शक्ति शरन यादव, संग्रह अमीन के विरुद्ध अस्थाई गबन के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । श्री यादव को उक्त प्रकरण में दिनांक 28-6-99 को आरोप-पत्र हस्तगत करा दिया गया है । आरोप-पत्र का जवाब प्राप्त होते ही मामले में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

जनपद बदायूं, तहसील सहसवान/बिल्सी, ग्राम खेड़ा, परगना कोट में पुनः चकबन्दी कराये जाने के प्रस्ताव पर चकबन्दी आयुक्त से मांगी गयी आख्या तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

76–श्री भोला शंकर मौर्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले गुरुवार के अता० प्रश्न संख्या–44 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खेड़ा परगना कोट तहसील लासी, जनपद बदायूं की चकबन्दी हेतु चकबन्दी आयुक्त से कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या वह आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो आख्या क्या है और उस पर अब तक कार्यवाही हेतु अधिसूचना जारी न करने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मा० सदस्य के इस प्रश्न में उल्लिखित प्रश्न हेतु पूर्व में दिये गये उत्तर के क्रम में स्थिति यह है कि प्रश्नगत नीतिगत प्रकरण में चकबन्दी आयुक्त को दिनांक 27-5-99 को निर्देश दिये गये हैं कि वे समीक्षा करके चकबंदी अधिनियम की सुसंगत धारा–4क (1) तथा 4क (2) के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों/तहसीलों में दुबारा चकबंदी कराये जाने का संकलित प्रस्ताव/कार्ययोजना शासन को भेजें । चकबंदी आयुक्त से उक्त प्रस्ताव अभी प्रतीक्षित है ।

जनपद बदायूं में मंडी समिति बिलसी द्वारा बिलसी से कुदरकी मार्ग की स्वीकृति हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् का पत्र पर शीघ्र मार्ग निर्माण की मांग

77–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 6241/95 दिनांक 1-5-1997 के द्वारा जनपद बदायूं में मंडी समिति बिलसी द्वारा विलसी से कुदरनी मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर अब तक कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी मार्ग पर शीघ्र निर्माण कार्य कराने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां । राज्य कृषि उत्पादन मंण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०–624/95-1313, दिनांक 8-5-97 द्वारा इस मार्ग की स्वीकृति दी गयी थी ।

लायबेल्टीज (दायित्वों) के अधिक सृजित हो जाने के कारण मण्डी परिषद् के पत्रांक–4246 दिनांक 17-10-97 द्वारा उक्त मार्ग की स्वीकृति निरस्त कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

78–श्री समर पाल सिंह–

[2रे मंगलवार में अता० प्र० सं० 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड खसरहा, ग्राम पंचायत चिउटहा में सम्पर्क मार्ग नाली एवं खड़ंजा निर्माण विषयक विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

79–श्री बाबू खां–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत चिउटहा विकास खण्ड खसरहा जिला सिद्धार्थनगर में सम्पर्क मार्ग, नाली एवं खड़ंजा निर्माण कराने विषयक श्री अक्षयवर लाल विधायक का पत्र माह मार्च/अप्रैल, 1999 में पंचायती राज विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? सरकार उक्त कार्य कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जनहित में औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद हरिद्वार में ग्राम मुस्तफाबाद में पंचायत घर का निर्माण किये जाने के संबंध में निर्देश

80. श्री अम्बरीष कुमार–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 7-1-99 द्वारा ग्राम मुस्तफाबाद जनपद हरिद्वार में पंचायत घर निर्माण करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी हरिद्वार को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो पंचायत घर का निर्माण कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण प्रश्नगत पंचायत घर का निर्माण सम्भव नहीं है ।

जनपद आजमगढ़, विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में वर्ष 1998 में बाढ़, अतिवृष्टि से पूर्ण रूप से ध्वस्त, क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण हेतु पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दिया गया अनुदान का विवरण

81.—श्री राम प्यारे सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि की विभीषिका से पूर्णरूप से ध्वस्त भवनों के निर्माण हेतु मुख्य मंत्री द्वारा 25 हजार रुपये नगद एवं प्रभावित व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो सगड़ी (आजमगढ़) विधान सभा के अन्तर्गत किन-किन गांवों में कितने मकान पूर्ण ध्वस्त हुये तथा कितने क्षतिग्रस्त हुये ? किन-किन लोगों को कितनी धनराशि तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने भवनों का निर्माण कराया गया ? कितने प्रभावित व्यक्ति उक्त सहायता से अभी वंचित हैं ? उन्हें कब तक उक्त सहायता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । बाढ़, अतिवृष्टि से कम से कम 3 कमरों के पक्के ध्वस्त भवन जिनकी छत व दीवाल दोनों जमीन पर गिर गये हों, ऐसे गृह स्वामियों को रु० 25,000/- गृह अनुदान तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बाढ़/अतिवृष्टि से पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त गृह स्वामियों को इन्दिरा आवास सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी थी ।

विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत बाढ़/अतिवृष्टि से 2394 मकान पूर्णरूप से ध्वस्त हुए तथा कुल 7327 मकान क्षतिग्रस्त हुए । प्रभावित ग्रामों की सूची प्राप्त की जा रही है ।

प्रभावित पात्र 4915 व्यक्तियों को रु० 68,71,000/- गृह अनुदान वितरण किया जा चुका है । इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 375 परिवारों के लिये भवन निर्माण कराया जा रहा है । लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण प्राप्त किया जा रहा है ।

कुल 2085 प्रभावित व्यक्ति अभी गृह अनुदान से तथा 1664 परिवार इन्दिरा आवास की सुविधा से वंचित हैं । उक्त सुविधा प्रभावितों को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बस्ती, ग्राम समाज की भूमि पर बढ़ते अवैध कब्जों को रोकने के सम्बन्ध में सिविल जज (जू०डि०) जिला बस्ती के समक्ष दायर रिट याचिका के निर्णयानुसार कार्यवाही की मांग

82–श्री हरदेव सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्र० संख्या 65 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 194 पर अवैध मकान बन चुका है जिसकी पुष्टि मा० सिविल जज (जू०डि०) जिला बस्ती के समक्ष दायर रिट याचिका सं० 313/96 में पारित निर्णय से हो चुकी है ? क्या मंत्री जी उक्त भूमि के खाली कराने संबंधी ग्राम प्रधानों के प्रार्थना-पत्रों दिनांक 26-4-93 व 18-11-95 के आधार पर उपरोक्त भूमि की जांच पड़ताल कराकर खाली करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव में स्थापित पारा पौधशाला के रख-रखाव में अनियमितता के भौतिक सत्यापन के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

83–श्री संजय गर्ग–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में पारा पौधशाला की स्थापना भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती इकाई द्वारा वर्ष 1995 में की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उसमें किन-किन प्रजातियों के पौध लगाये गये हैं ? वर्षवार उन पौधों पर मदवार कितना-कितना व्यय हुआ है ? क्या यह सही है कि उन पौधों के रख-रखाव में अनियमिततायें की गयी हैं ? क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं । जनपद उन्नाव में पारा पौधशाला की स्थापना वर्ष 1995 में नहीं की गयी थी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में भूमि संरक्षण इकाई गोमती में मापन पुस्तिकाओं के गायब होने का प्रकरण

84–श्री संजय गर्ग–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में भूमि संरक्षण इकाई गोमती में मापन पुस्तिकायें (क्षेत्रीय कार्य से सम्बन्धित) वर्ष 1996 से गायब कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक सं०–भू०सं०गो०/लेखा/97-98 523/दिनांक 4-8-97 के क्रम में चार्ज लिस्ट दी गयी है ? यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं । वर्ष 1996 से माप पुस्तिकायें गायब नहीं हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम पंचायतों की नियंत्रणाधीन रिक्त पदों पर मृतक आश्रित को नौकरी देने का प्रकरण

85–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाने की योजनान्तर्गत जिन श्रेणियों (कैडर) के कर्मचारियों को ग्राम पंचायतों के नियन्त्रण में किया गया है, वे कैडर मृत घोषित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम पंचायतों के नियन्त्रणाधीन कर्मचारियों पर मृतक आश्रित को नौकरी देने का शासनादेश लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

ग्राम पंचायतों के नियंत्रणाधीन लाये गये कर्मियों से सम्बन्धित आदेश दिनांक 1-7-99 के प्रस्तर-4 में इंगित समस्त राजकीय कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों से सम्बन्धित सभी संवर्गों में कार्मिक की सेवानिवृत्ति मृत्यु त्याग-पत्र या अन्य किसी भी प्रकार से होने वाली रिक्ति के विपरीत अब राज्य सरकार या उनके किसी अधिकारी या संस्था के द्वारा कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी । बहुउद्देशीय पंचायत कर्मी की रिक्तियों के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के कार्यों के संचालन हेतु भविष्य में उ० प्र० पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1999 की धारा–2 उपधारा–2 के उपबन्धों के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् नियुक्ति की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में भूमि संरक्षण इकाई गोमती की पारा पौधशाला के निर्माण में मिट्टी का कार्य कराने में हुई अनियमितता की जांच की मांग

86–श्री संजय गर्ग–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में भूमि संरक्षण इकाई गोमती की पारा पौधशाला के निर्माण हेतु वर्ष 1995 में मिट्टी का कार्य कराने हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी थीं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्तियों के टेण्डर स्वीकार किये गये थे ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती के निकट सम्बन्धी द्वारा कराकर अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं । वर्ष 1995 में जनपद उन्नाव में भूमि संरक्षण इकाई गोमती की पारा पौधशाला के निर्माण हेतु मिट्टी का कार्य कराने हेतु कोई निविदायें आमंत्रित नहीं की गयी थीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में भूमि संरक्षण इकाई गोमती द्वारा वर्ष 1995 में पारा पौधशाला का निर्माण ऊसर भूमि पर कराने का औचित्य

87—श्री संजय गर्ग–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में भूमि संरक्षण इकाई गोमती द्वारा वर्ष 1995 में पारा पौधशाला का निर्माण ऊसर भूमि पर किया गया है ? क्या यह सही है कि इसकी स्थापना हेतु 8.5 से अधिक पी०एच० मान के तकनीकी आधार पर होना प्रस्तावित थी ? यदि हां, तो ऊसर भूमि पर स्थापना का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि इसकी स्थापना में घोर अनियमिततायें बरती गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं । जनपद उन्नाव में भूमि संरक्षण इकाई गोमती द्वारा वर्ष 1995 में पारा पौधशाला का निर्माण नहीं किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया, तहसील मुख्यालय बिल्थरा रोड पर तहसील स्तरीय कृषि सेवा केन्द्र और एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन केन्द्र खोले जाने की मांग

88–श्री अफजाल अहमद–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के तहसील मुख्यालय बिल्थरा रोड पर तहसील स्तरीय कृषि सेवा केन्द्र और एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन का केन्द्र न खोले जाने से जनता, खासकर ट्रैक्टर कास्तकारों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां उक्त केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

बलिया जनपद के तहसील मुख्यालय बिल्थरा रोड पर यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का उर्वरक बिक्री केन्द्र कार्यरत है । बलिया जनपद में जनपद स्तर पर उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम का सेवा केन्द्र एवं यू० पी० स्टेट एग्रो, इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का सेवाकेन्द्र कार्य कर रहा है, जहां से विभिन्न कृषि यंत्र/ट्रैक्टर तथा संयंत्रों का वितरण/विक्रय सुनिश्चित कराते हुए जनपद के कृषकों को ट्रैक्टर सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करायी जा रही हैं ।

तहसील मुख्यालय बिल्थरा रोड में सम्प्रति ऐसा कोई केन्द्र खोला जाना व्यावसायिक दृष्टि से प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद स्तर पर कार्यरत उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम एवं यू० पी० एग्रो के सेवा केन्द्रों के माध्यम से तहसील मुख्यालय बिल्थरा रोड के काश्तकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है ।

सुपर फास्फेट एवं एन० पी० के० बनाने वाली यूनिटें तथा इकाईवार उत्पादनों का विवरण

89–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के सुपर फास्फेट एवं एन०पी०के० बनाने वाली कितनी यूनिटें हैं और उन में कितनी यूनिट चालू हैं ? वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में प्रति यूनिट खाद का उत्पादन कितना हुआ ? क्या चालू यूनिटों में सरकार द्वारा प्रति यूनिट निर्धारित मात्रा में उत्पादन किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उत्तर प्रदेश में सुपर फास्फेट की 18, एन० पी० के० की 17 तथा सुपर फास्फेट एवं एन० पी० के० की 9 कुल 44 यूनिटें स्थापित हैं। जिनमें से क्रमशः 17, 11 एवं 9 अर्थात् कुल 37 यूनिटें कार्यशील हैं। वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में प्रति यूनिट सुपर फास्फेट एवं एन० पी० के० मिश्रण के उत्पादन का विवरण संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा किसी यूनिट की उत्पादन की मात्रा निर्धारित नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

(नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 135-136 पर)

जनपद देवरिया, तहसील रुद्रपुर के मोहन प्रसाद व ओम प्रकाश मिश्र लेखपाल द्वारा अनियमित तरीके से जमीन इन्द्राज की शिकायत तथा भू-अभिलेखों को ठीक करने का मामला

90–श्री अक्षयवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर तहसील के मोहन प्रसाद व ओम प्रकाश मिश्र, लेखपाल द्वारा अनियमित रूप से अभिनन्दन, सूर्यनरायन, रामजी पुत्रगण कोदई, ग्राम करहकोल की भू-आराजी सं० 470 ग रकबा 0.061 हे० का नाम खारिज करके हरी, रूदल, दिलीप, पुत्रगण रामचन्द्र के खाता सं०–368 में दर्ज कर दिये जाने तथा सूर्य नरायन का विभिन्न भूमि नम्बरानों से नाम खारिज कर दिये जाने के संबंध में उनके पत्र सं० 438/98 दिनांक 29-1-98 पत्र सं० 358/वी० आई० पी०/98 दिनांक 27-5-98 तथा मुख्य मंत्री जी के पत्र सं० देव 62/सी० एम० 3/98 दिनांक 4-2-98, पत्र सं० 1739/सी० एम०/वी० आई० पी०/98 दिनांक 9-6-98, पत्र सं० 510/सी० एम० 3/98 दिनांक 30-6-98 द्वारा आदेश पारित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त दोषी लेखपाल को दण्डित कराकर भू-अभिलेखों में सुधार करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम करहकोल तप्पा नगवाटीकर परगना सिलहट, तहसील रुद्रपुर, जिला देवरिया के फसली 1404 से 1409 तक खाता सं०–8 में गाटा सं० 470 ग रकवा 0.061 हे० से अभिनन्दन सूर्य नरायन व रामजी पुत्रगण कोदई व हरी व रूदल बालिग व दिलीप ना० उम्र 16 वर्ष का नाम खाता सं०–8 में अंकित था, किन्तु अनियमित रूप से 470 ग रकबा 0.061 हे० को काट दिया गया था और खाता सं० 368 में हरी, रूदल, दिलीप पुत्रगण रामचन्दर के नाम भूखण्ड सं० 470 ग रकबा 0.061 है, अंकित कर दिया गया था जो त्रुटि पूर्ण था। दिनांक 15-6-99 को पूर्ववत गाटा सं० 470 ग को खाता सं० 8 में अंकित रहने का आदेश पारित कर दिया गया है। खाता सं० 4 में अभिनन्दन, रामजी पुत्रगण कोदई के नाम के साथ सूर्यनरायन पुत्र कोदई का नाम सहखातेदार के रूप में अंकित कर दिया गया है। दोषी लेखपाल श्री मोहन प्रसाद की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है तथा एक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकते हुए निलम्बन अवधि का अवशेष वेतन न देने का दण्ड दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नवसृजित जनपद हेतु विधिक प्रक्रिया एवं मानक के विपरीत सृजित श्रावस्ती जनपद को समाप्त कर बहराइच जिले में शामिल करने की मांग

91–श्री अक्षयवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये जनपद बनाये जाने की विधिक प्रक्रिया एवं मानक क्या है ? क्या श्रावस्ती जनपद गठन के पूर्व विधिक प्रक्रिया पूर्ण की गयी है ? क्या यह सत्य है कि श्रावस्ती जनपद मानक के अनुरूप नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्रावस्ती जनपद को समाप्त कर बहराइच जनपद में सम्मिलित किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत मंत्रि परिषद् के निर्णय से नये जनपद सृजित किये जाते हैं। यह निर्णय राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की आख्या/संस्तुति प्राप्त करके अथवा सीधे विचार कर के लिये जाते हैं। नये जनपद के सृजन के लिये वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निम्नवत् मानक निर्धारित किये गये हैं :––

न्यूनतम आबादी	15 लाख
न्यूनतम क्षेत्रफल	5 हजार वर्ग किमी०
न्यूनतम तहसीलों की संख्या	3
न्यूनतम थानों की संख्या	12
न्यूनतम विकास खण्डों की संख्या	10
लेखपाल क्षेत्र की संख्या	300

जी हां। उ० प्र० भू-रा० अधि० की धारा–11 के अन्तर्गत मा० मंत्रि परिषद् के निर्णय से जनपद श्रावस्ती का गठन हुआ है।

जी हां।

मा० मंत्रि परिषद् की उप समिति के समक्ष नवसृजित जनपदों की उपयोगिता, बायबिलिटी, आने वाले व्यय भार एवं क्षेत्रीय जनता की सुविधा आदि पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों, मन्दिरों, मस्जिदों के निकट शराब की दुकान अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

92–श्री सतीश जतारिया–

क्या सरकार को जानकारी है कि झांसी जनपद के बबीना विधान सभा के क्षेत्र के अन्तर्गत राब की कई दुकानें विद्यालयों, मन्दिर तथा हाई-वे रोड और मस्जिदों के अत्यधिक नजदीक खुली हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सर्वे कराकर ऐसी दुकानों को अन्यत्र स्थानान्तरित करायेगी ? यदि ां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शराब की कोई दुकान विद्यालयों, मन्दिरों, हाइ-वे रोड और मस्जिदों के बिल्कुल निकट नहीं खुली हुई हैं। दुकानों का स्थल उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या तथा स्थिति नियमावली, 1968 (यथा संशोधित) के नियम–5 में निहित प्राविधानों के अनुरूप है, इस कारण प्रश्नगत दुकानों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद लखनऊ, तहसील मोहनलालगंज स्थित यू० पी० एस्बेस्टस सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहीत भूमि को मुक्त कराये जाने की मांग

93–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ, तहसील मोहनलाल गंज, लखनऊ स्थित यू०पी० एस्बेस्टस सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री लिमिटेड द्वारा लगभग 12 बीघा ग्राम समाज की भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर बाउन्ड्री वाल बना रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार फैक्ट्री की भूमि की पैमाइश कराकर अधिग्रहीत भूमि को मुक्त कराते हुये उन्हें दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

12 बीघा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा नहीं है, बल्कि खसरा सं०–1259 ख/0-0-5 पर फैक्ट्री का अवैध कब्जा पाया गया जिसके बे-दखली की कार्यवाही संबंधी वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । इसका वाद सं०–259 है । अगली तारीख 17-7-99 है । वाद के निर्णयोपरान्त विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बस्ती में बौछारी सिंचाई के लिये स्प्रिंगकलर सेट के आवंटन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र तथा कृत कार्यवाही

94–श्री राम ललित चौधरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1999 के प्रथम सप्ताह में जनपद बस्ती में बौछारी सिंचाई के लिये स्प्रिंगकलर सेट के आवंटन के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी, हां ।

जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया, विकास खण्ड सीयर, ग्राम सभा भदौसरा तरछापार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों एवं क्षतिपूर्ति का विवरण

95–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न 94 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 292 परिवार एवं 147 हेक्टेयर खरीफ की फसल प्रभावित होने की बात स्वीकार की गयी है ? यदि हां, तो वह परिवार कौन-कौन हैं, जो प्रभावित हुये हैं और फसलें किन-किन किसानों की नष्ट हुई हैं ? चेक जो एक हजार रुपये प्रति व्यक्ति को दिये जाने की बात कहीं गयी है वह चेक किन-किन लोगों को दी गई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

सूची मा० सदस्य को उपलब्ध करा दी गयी है ।

सूची मा० सदस्य को उपलब्ध करा दी गई है ।

96—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[3रे गुरुवार के लिये स्थगित]

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 पहले ले लें ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नन्द लाल सिंह पटेल एवं श्री फरजन्द अली बेग के निधन पर शोकोद्गार

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह--)-

मान्यवर, मैं अत्यंत व्यथित मन से माननीय सदन को सूचित कर देना चाहता हूं कि नन्द लाल सिंह पटेल जो इस माननीय सदन के सदस्य रह चुके हैं उनका देहान्त हो गया । उनका जन्म 28 जनवरी, 1952 को ग्राम केशवपुर करछना जिला इलाहाबाद में हुआ था उन्होंने एम० ए०, एल० एल० बी० शिक्षा ग्रहण की थी । वर्ष 1993 के मध्यावधि चुनाव में वह करछना क्षेत्र से चुनकर आये थे । श्री नन्द लाल सिंह शुरू से ही विभिन्न आन्दोलनों से जुड़े रहे और केन्द्रीय कारागार नैनी इलाहाबाद में बंदी रहे। उनका अभूतपूर्व योगदान, शिक्षा, समाज और राजनीति के क्षेत्र में रहा । सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल में वह परिवहन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे । उनके आकस्मिक निधन से केवल उस क्षेत्र की ही हानि नहीं हुई है बल्कि समस्त प्रदेश से एक बहुत ही योग्य राजनीतिज्ञ नेता उठ गया है मेरा आग्रह है कि इस सदन की भावनाएं और हमारे दल की भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

इसी प्रकार भूतपूर्व सदस्य श्री फरजन्द अली बेग का स्वर्गवास 30 मई, 1999 को उनके पैतृक गांव में हो गया । वह 73 वर्ष के थे । 1974 के सामान्य निर्वाचन में वह सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ से भारतीय क्रांति दल के टिकट से चुनकर आये । वह हिन्दू मुस्लिम एकता के भारी हामीकार व सामाजिक समरसता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा उनके निधन से न केवल अलीगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीतिक जीवन में एक अभाव हो गया । हमारा आग्रह है कि सदन की शोक-संवेदनायें एवं हमारे दल की शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भूतपूर्व सदस्य श्री नन्दलाल सिंह पटेल के निधन पर हम शोक-संवेदनायें व्यक्त कर रहे हैं । जीवन क्षण भंगुर है उस पर हम जब विचार करते हैं तो हमें याद आती है संत कबीर की वह लाइनें "पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा परभात", "माली आवत देखके कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल्ह हमारी बार" हम सबको जाना है लेकिन कब किसका समय आयेगा यह हमारे बस में नहीं है घड़ी की टिक-टिक कब बन्द हो जायेगी इसका हमें पता नहीं है । जिस घड़ी में हमारे बीच से श्री नन्द लाल सिंह जी गये हैं आज हमें उनकी याद आती है और भगवत गीता की वह लाइनें कि जीवन क्या है । "वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानिदेही" अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े त्यागकर नये कपड़े धारण कर लेता है उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्यागकर नया शरीर धारण करती है । श्री नन्द लाल सिंह जी का जन्म 28 जनवरी, 1952 को केशवपुर करछना, जिला इलाहाबाद में हुआ था वह एम० ए०, एल० एल० बी० थे । वर्ष 1993 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र करछना इलाहाबाद से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वह विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए । आपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद वकालत शुरू कर दी थी अनेक आंदोलनों के दौरान वर्ष 75, 82 और 1990 में धारा 144 के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में वह बन्दी रहे । वह अर्जक संघ और ई० सी० सी० कालेज इलाहाबाद की हिन्दी परिषद् के मंत्री भी 1972-73 में रहे ।

[12 बजकर 30 मिनट]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुश्री मायावती जी के मंत्रिमण्डल में उन्होंने परिवहन विभाग को सुशोभित किया था । सामाजिक परिवर्तन के लिये कार्य करने हेतु उनकी प्रतिबद्धता थी । विशेष रूप से श्री नन्द लाल सिंह पटेल जी के निधन से न केवल इलाहाबाद में बल्कि पूरे प्रदेश में एक कुशल राजनेता और समाजसेवी खो दिया है । आज हम उनकी याद में यहां पर शोक-संवेदना प्रकट कर रहे हैं । प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि हमारे संवेदना के ये स्वर उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें । इसी क्रम में श्री फरजन्द अली बेग जी के निधन से हम लोग बहुत दुखी हैं । श्री बेग का निधन 30 मई, 1999 को उनके पैतृक गांव में हुआ था । वे लगभग 73 वर्ष के थे ।

श्री फरजन्द अली बेग का जन्म 1926 में ग्राम असोई, तहसील–सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में हुआ और इनकी प्रारम्भिक शिक्षा भी यहीं पर हुई । 1974 में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट से वह सिकन्दराराऊ से निर्वाचित होकर इस आदरणीय सदन में आये थे । वह सादा जीवन एवं उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे तथा हिन्दू मुस्लिम सभी के साथ उनका एक समान व्यवहार रहता था । उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ईमानदारी और कर्मठता के साथ व्यतीत किया । श्री बेग के निधन से जनपद अलीगढ़ ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है । हम उनकी याद आज यहां ताजा कर रहे हैं । मान्यवर, संवेदना के ये स्वर मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । मान्यवर, इस मौके पर मैं उद्धव शतक की उन पंक्तियों का उल्लेख यहां करना प्रासंगिक समझता हूं । क्योंकि मान्यवर, मनुष्य चला जाता है परन्तु केवल उसकी बातें याद रह जाती हैं । इसलिए सभी को जीवन की क्षणभंगुरता को समझना चाहिए और अपनी कृतियों के पद चिन्ह छोड़ने का प्रयास करना चाहिए ।

"जोगन की भोगन की विकल वियोगन की,
जग में न जागती जमाते रह जायेगी ।
कहते रत्नाकर न सुख के रहे जो दिन,
तो ये दुखद्वन्द की न रातें रह जायेंगी ।
प्रेम नेम छोड़ ज्ञान क्षेम जो बनावत हो,
अरे भीत ही नहीं तो क्या छातें रह जायेंगी ।
घातें रह जायेंगी न कान्ह की कृपा से इती,
उधो बस कहिवे की बातें रह जायेंगी ।"

मान्यवर, बस यही केवल शेष रह जायेगा । इसलिए श्री नन्द लाल सिंह पटेल तथा श्री फरजन्द अली बेग के निधन पर जो शोकोद्गार हमने व्यक्त किये हैं वह इन दोनों परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, दो भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री नन्द लाल सिंह पटेल और श्री फरजन्द अली बेग के निधन के संबंध में माननीय श्री संसदीय कार्य मंत्री जी तथा श्री गौरी शंकर एडवोकेट जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, मरना तो सबको होता है । लेकिन कुछ ऐसी घटनायें होती हैं जो मनःस्थल पर अंकित हो जाती हैं । श्री नन्द लाल सिंह पटेल जी के साथ मुझे 10 साल तक एक ही दल में रहकर काम करने का मौका मिला । मैंने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनकी कर्मठता, उनके जुझारू तेवर और उनके लगाव को देखा था। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के प्रति समर्पित रहते थे ऐसा जीवटपन कम ही लोगों में देखने को मिलता है। श्री पटेल जी का निधन 15 मई, 1999 को सड़क दुर्घटना में हो गया उनसे प्रदेश को काफी आशायें थीं और इनसे जो अपूरणीय क्षति हुई है उसकी भरपाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है उनका जैसा व्यक्तित्व था उससे अभी बहुत कुछ सम्भावनायें थीं जिससे इस प्रदेश को, देश को खास तौर से यह जो सामाजिक परिवर्तन का आन्दोलन है उसको बल मिलता। मान्यवर, उनके निधन से न केवल इलाहाबाद बल्कि पूरा प्रदेश उनसे वंचित रह गया है। श्री फरजन्द अली बेग जी जो अलीगढ़ के रहने वाले थे और सिकन्दराराऊ विधान सभा क्षेत्र से 1974 में निर्वाचित होकर आये थे, इनके निधन से बड़ी अपूर्णनीय क्षति हुई है। मैं इन दोनों लोगों के प्रति अपनी तथा अपने दल की ओर से हार्दिक शोक संवेदनायें व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इन दोनों दुःखी परिवारों तक हमारी शोक-संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

मान्यवर, इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री नन्द लाल सिंह पटेल और स्वर्गीय श्री फरजन्द अली बेग के निधन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता स०पा० श्री गौरी शंकर जी, बी० एस० पी० के माननीय वर्मा जी ने जो शोक-संवेदनायें व्यक्त की हैं मैं अपने को तथा अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री नन्द लाल सिंह पटेल का निधन 30 मई, 99 को एक सड़क दुर्घटना में हो गया। इन्होंने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की थी। यह विधि स्नातक थे। उसके बाद वकालत कर रहे थे। 1993 में यह इस विधान सभा में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य चुनकर आये थे। मान्यवर, इनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में अत्यन्त कम आयु में, 47 वर्ष में हो गयी। इनसे मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित था। इनके परिवार की जिम्मेदारी इनके कन्धों पर थी। यह वकालत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे किन्तु बी० एस० पी० के साथ जुड़े रहने के कारण 1993 में पहली बार इस विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। ऐसे असामयिक समय में इनका निधन हो गया। मैं अपने तथा अपने दल की तरफ से शोक-संवेदनायें व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की तरफ से शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। श्री फरजन्द अली बेग 1974 में इस विधान सभा के सदस्य भारतीय क्रान्ति दल से निर्वाचित होकर आये थे। श्री फरजन्द अली बेग का निधन 30 मई, 1999 को इनके पैतृक निवास अलीगढ़ में हो गया। यह हिन्दू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे और इसके लिये कार्य करते थे। उनके निधन से अलीगढ़ जनपद के एक साम्प्रदायिकता के कट्टर विरोधी हिन्दू मुस्लिम एकता के समर्थक के निधन हो जाने से अपूरणीय क्षति हुई है। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप हमारी तथा हमारे दल की शोक-संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री नन्दलाल पटेल एवं श्री फरजन्द अली बेग के संबंध में जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री बी० आर० वर्मा, श्री मारकण्डेय चन्द आदि नेताओं ने जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। नन्द लाल पटेल जी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे जबकि फरजन्द अली जी हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। इनके निधन से इलाहाबाद, अलीगढ़ ही नहीं वरन् पूरे उत्तर प्रदेश की अपूरणीय क्षति हुई है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि इनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुःख को सहने का साहस दे। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी तथा हमारे दल की शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, श्री नन्द लाल पटेल और श्री फरजन्द अली बेग के प्रति श्रद्धा-सुमन के रूप में जो विचार प्रस्तुत हुए हैं उससे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री नन्द लाल पटेल जी इसी सदन के सदस्य रहे वह कई आन्दोलनों से जुड़े रहे और कमजोर तबके के लिये संघर्ष करते रहे जिस तरह से वह हृदय विदारक ढंग से एक सड़क दुर्घटना में मारे गये वह दुःखद घड़ी थी उनके निधन से कमजोर तबके के लिये उठने वाली आवाज हमेशा के लिये बन्द हो गयी। श्री फरजन्द अली एक बार इस सदन में निर्वाचित होकर आये उनके निधन से हम सभी को बहुत दुःख है हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी शोक-संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, श्री नन्दलाल पटेल एवं फरजन्द अली बेग जो भूतपूर्व सदस्य इस सदन के थे इनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। हमारी तथा हमारे दल की शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें यह हमारा आपसे अनुरोध है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के भूतपूर्व दो सदस्य श्री नन्द लाल पटेल एवं श्री फरजन्द अली बेग हमारे बीच नहीं रहे इन दोनों भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री गौरीशंकर जी, श्री बी० आर० वर्मा० जी, श्री प्रमोद कुमार जी एवं अन्य नेताओं द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, 1993 के मध्यावधि चुनाव में श्री नन्द लाल जी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर आये वह सुश्री मायावती के मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। उनके निधन पर मैं अपनी तथा अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आप हमारी शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री फरजन्द अली बेग भारतीय क्रान्ति दल के टिकट से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए वह हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष करते रहे आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी तथा अपने दल की शोक संवेदनायें उनके प्रति अर्पित करता हूं आपसे अनुरोध है कि आप हमारी शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, श्री नन्द लाल पटेल, पूर्व सदस्य के बारे में जो भी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक संवेदनायें प्रकट की हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि हमारी तथा हमारे दल की शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

इसी प्रकार श्री फरजन्द अली बेग, पूर्व सदस्य के बारे में जो शोक संवेदनायें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि हमारी और हमारे दल की शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

वन मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो शोक-संवेदनायें प्रकट की हैं स्व० श्री पटेल एवं श्री अली के सम्बन्ध में उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री नन्द

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाल पटेल तथा श्री फरजन्द अली बेग के बारे में कहना चाहूंगा कि श्री पटेल साहब ने सामाजिक संरचना में योगदान दिया और श्री फरजन्द अली बेग ने हिन्दू मुस्लिम सौहार्द में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । इन लोगों के निधन से एक अपूरणीय क्षति हुई है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी तथा हमारे दल की शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश की विधान सभा के दो भूतपूर्व सदस्यों का निधन हो गया है । श्री नन्द लाल पटेल का निधन दुःखद परिस्थितियों में मार्ग दुर्घटना में हुआ था । वे मात्र 47 वर्ष के थे और जब राजनीतिक क्षेत्र में वह निरन्तर उच्च से उच्चतर स्थान बनाते जा रहे थे उस समय उनका निधन हम सबके लिये शोक का विषय है । श्री नन्द लाल पटेल मेरे मित्र थे और इलाहाबाद में वकालत करते थे । वे एक बहुत ही लोकप्रिय और मिलनसार व्यक्ति थे । मैं देखता था कि जनपद न्यायालय में किस प्रकार उनके सामने भीड़ लगी रहती थी । वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में सदैव तत्पर रहते थे । उन्होंने सक्रिय राजनीति में इलाहाबाद में बी० एस० पी० से स्थान बनाया था जोकि उनके निधन से रिक्त हो गया है। उनके निधन से इलाहाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । श्री फरजन्द अली बेग का 73 वर्ष की अवस्था में 30 मई, 99 को निधन हो गया । वे सन् 74 में विधान सभा के सदस्य के रूप में आये थे और सामाजिक सद्भाव के हामीकार थे । वे सादा जीवन और उच्च विचार के थे । उनके निधन से अलीगढ़ ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । मैं अपने को, जो माननीय नेताओं ने शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं, से सम्बद्ध करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस महान दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें । आप लोगों ने जो शोक संवेदनायें प्रकट की हैं वह मैं उनके परिवार वालों तक पहुंचा दूंगा । अब हम इन मृत आत्माओं के सम्मान के प्रति दो मिनट का मौन धारण करें ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न संख्या–80 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया नियम 300 और 301 की सूचनाओं के बाद इसे उठा लें ।

कैप्टन टण्डन की पत्नी निधि टण्डन के साथ प्रदेश के एक राज्य मंत्री द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने पर आपत्ति

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 12 तारीख को इस सदन में हम लोगों ने कारगिल में भारतीय सेना की कार्यवाही और उसके पराक्रम की चर्चा की थी । मान्यवर, आज एक तरफ तो छोटे-छोटे बच्चे पैसे जमा करके सेना को भेज रहे हैं महिलाएं अपने आभूषण सौंप रही हैं जिस मां के बेटे वहां वीरगति को प्राप्त हुए हैं वह अपने दूसरे बेटे सेना को दे रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप ने मुझे पत्र दिखाया है मैंने पत्र पढ़ लिया है मैं अपने कक्ष में संबंधित लोगों को बुला लूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुन लूंगा आपको भी बुला लूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप इस विषम परिस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के आचरण को देखें एक कैप्टन देश की सीमा पर रक्षा कर रहा है और दूसरी ओर उसकी पत्नी को घर से बाहर बलात्

निकाला जा रहा है । मैं भी चाहता हूं कि आप कक्ष में बैठकर बात कर लें । यहां माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं उनके संज्ञान में यह बात आ जाये । उस सरकारी गाड़ी का पत्र में जिक्र है उस जिप्सी का भी जिक्र है जो उनके घर गई ।

श्री अध्यक्ष–

कक्ष में बात हो जायेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उसका पति कारगिल में लड़ रहा है और राज्य मंत्री उसके घर पर कब्जा कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

श्रीमती निधि टण्डन ने जी० ओ० सी० कमांडर को पत्र लिखकर रक्षा की गुहार की है कहा है कि उनकी जान की रक्षा की जाए और पूरी घटना का विवरण है कि इस तरह घर में घुस आये और बलात् निकाल रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहना है, उनकी पत्नी को बुला लें मंत्री को भी सुन लें यह यहां अलीगंज का प्रकरण है मंत्रिमण्डल के कुछ सदस्यों को भेजकर जांच भी करा सकते हैं । उन्हें धमकाया जा रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

रेंट कन्ट्रोल की यदि कोई कार्यवाही है तो उसे निरस्त करने के लिये कहा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि कक्ष में सुन लूंगा ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जिनके बारे में शिकायत की है उनसे पूछ लिया जाए उनको मौका मिल जाए ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15 जुलाई, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं ।

पहली सूचना श्री अयोध्या प्रसाद पाल की, दूसरी श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की, तीसरी श्री शिव बहादुर सक्सेना की, चौथी श्री विजय पाल सिंह की, पांचवी डा० वकार अहमद शाह की, छठी श्री समरपाल सिंह की तथा सातवीं डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी की है । श्री शिव बहादुर सक्सेना अनुपस्थित हैं इसलिए मैं प्रतीक्षा सूची की पहली सूचना जो डा० धर्मज्ञ मिश्र की है, ले रहा हूं । शेष सूचनाएं अस्वीकार की गईं ।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद फतेहपुर के हस्वा क्षेत्रान्तर्गत विधायक निधि पं० दीन दयाल उपाध्याय, एस० आई० वाई० एवं अम्बेडकर योजना निर्मित रोड में लगे उद्घाटन व शिलान्यास पत्थरों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हस्वा में विधायक निधि पं० दीनदयाल उपाध्याय तथा एस० आर० वाई० व

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अम्बेडकर योजना द्वारा निर्मित रोड में लगे उद्घाटन व शिलान्यास के पत्थर (बोर्ड) को 30-6-99 को हरी रामपुर के पूरन व हरियापुर के शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजय सिंह व लदिगवां के देवेन्द्र सिंह व 3-4 अन्य लोगों ने पत्थर तोड़ दिया तथा क्षेत्रीय विधायक को गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी दी इसकी सूचना जिला प्रशासन फतेहपुर को दी जिससे उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया जब इसकी सूचना इन लोगों को लगी तो अन्य 5-6 रोडों के पत्थर जो गाजीपुर में थी उन्हें भी तोड़ गिराया तथा क्षेत्र में दहशत फैलाया तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष ललौली रनवीर सिंह कोई कार्यवाही नहीं किया ये मुल्जिमान से मिला हुआ है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोगों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाये तथा प्रशासन को निर्देशित किया जाये कि पुनः पत्थर सभी रोडों पर लगाकर योजना का प्रचार प्रसार कराया जाये ।]

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में गड़रिया महाबीर गडेरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा अन्तर्गत ग्राम गड़रिया महाबीर नडेरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 व वर्ष 98-99 में क्रमशः 2 लाख व 5 लाख 62 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी जिसका निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बांदा द्वारा कराया जाना था जिस पर मात्र डेढ़ कि०मी० मिट्टी का कार्य व मात्र दो पुलियों का निर्माण कराया गया है जब कि धन आवंटन के समय पांच पुलियों का निर्माण प्रस्तावित था । पुलियों का निर्माण न कराये जाने से जो सड़क बनी थी व कई जगह से टूट गयी है । शेष पुलियों व सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने से ग्रामवासियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

जिला पंचायत हमीरपुर में गबन के आरोपी लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय पाल सिंह–

[मान्यवर, विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के पहले गुरूवार के लिए निर्धारित मेरे द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर में मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पंचायतराज ने जिला पंचायत हमीरपुर में 1.50 लाख के गबन के प्रकरण में जिला पंचायत में लेखाकार को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया था । मामले की विशेष सम्परीक्षा निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ० प्र० इलाहाबाद से करायी जा रही है । सम्परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कार्मिक के विरुद्ध संगत सेवा नियमों के अधीन आवश्यक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख है । मेरे द्वारा दिनांक 23/7/97 मा० पंचायतराज मंत्री जी से निवेदन किया गया था कि गबन के मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के प्रभावी निदेश जारी करने की कृपा करें । खेद का विषय है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अब तक गबन के गम्भीर मामले में दोषी पाये जाने के विरुद्ध कार्यवाही न किया जाना शासन की अक्षमता का प्रतीक है ।

अतः लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद आगरा के थाना रकाबगंज अन्तर्गत नई बस्ती बालूगंज क्षेत्र के मुसलमानों के विरूद्ध लगाये गये रासुका को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० वकार अहमद शाह–

[मान्यवर दिनांक 11-6-99 को पाकिस्तान तथा जिम्बाब्वे का क्रिकेट मैच हो रहा था । इस मैच में पाकिस्तान की टीम जीत गई । पाकिस्तान की जीत से नाराज भाजपा के अशोक शर्मा उसके भाई व अन्य दो तीन लोग मुसलमानों के घरों के सामने रात में ग्यारह बजे आये और बुरी-बुरी गालियाँ देने लगे । जब मुस्लिम भाई घरों से बाहर निकलकर इन्हें गाली देने से मना किये तो इन लोगों से गाली देते हुए कहा कि कटुओं के जीतने से हम 2000/- सट्टे से हार गये हैं कटुओं की वजह से हमें यह चोट लगी है । तुम मुसलमानों का दिमाग खराब हो गया है, यह हमारा देश है, तुम लोगों को हमारी हर बात बर्दाश्त करनी होगी वरना पाकिस्तान चले जाओ । इसके बाद भी शर्मा ने थाने जाकर मुसलमानों के विरुद्ध मनगढ़न्त रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने भाजपा एवं सत्ता के दबाव में आकर 5 मुसलमानों के ऊपर रासुका लगा दिया और 307 आई०पी०सी० की कार्यवाही करके 12-6-99 को जेल में बंद करा दिया । यह तो एक उदाहरण है । आये दिन मुसलमानों को अपमानित किया जाता है क्षेत्र के मुसलमानों में घोर असन्तोष एवं रोष व्याप्त है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं ।]

जनपद मऊ में पारा तहरौल खाजा जहानपुर बांध के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समर पाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद मऊ में पारा सहरौल खाजा जहानपुर बांध के निर्माण एवं इन्वारा रजबहा के रिपाइंनिंग (चौड़ीकरण हेतु) किसानों की भूमि लगभग 20 वर्ष पूर्व अधिकृत की गयी थी । परन्तु अभी तक किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया । गरीब किसान दर-दर भटकते फिर रहे हैं लेकिन कोई अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है । जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनेक बार वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया गया परन्तु कोई भी नतीजा नहीं निकला । पीड़ित किसान कई बार धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल आदि कर चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है ।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस गम्भीर समस्या की तरफ आकर्षित करते हुए किसानों को तत्काल मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूं ।]

मेरठ महानगर में एक टाप रिचार्जिंग फिल्टर यूनिट योजना को क्रियान्वित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, मेरठ महानगर में भू-गर्भ पेयजल के लगातार दोहन से जल-स्तर गिरता जा रहा है। इस सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए री-चार्जिंग की व्यवस्था किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

---

* वक्ता ने भाषणका पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शासन के लघु सिंचाई विभाग की रूप टाप रिचार्जिंग सिस्टम फिल्टर यूनिट योजना का मेरठ में क्रियान्वयन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् भी असलहों के लाइसेंस न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मानव सुरक्षा हेतु असलहों के लाइसेंस प्रदान करने के निमित्त मा० मुख्य मंत्री जी के घोषणा के पश्चात् भी मेरे विधान सभा मल्लावां हरदोई के लोगों को सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् भी असलहों के लाइसेंस नहीं मिल पा रहे हैं । मानव सुरक्षा के इस मामले पर विचार करके तत्काल पात्र व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन को निर्देशित करने की कृपा करें जिन लोगों की औपचारिकतायें पूर्ण हैं वे निम्न हैं :––

1–श्री विश्व प्रताप तिवारी, ग्राम विरौरी, 2–रजनीकान्त पाण्डेय ग्राम–चकनन्दपुर, 3–श्री जगरूप सिंह कुदरौली, 4–श्री देवेन्द्र नाथ दीक्षित, मोहिद्दीनपुर 5–श्री राम किशोर, 6–राघवेन्द्र सिंह कुदरौली, 7–सुशील कुमार मिश्र, बगदाद, 8–श्री रामकृष्ण धन सिंह पुरवा, 9–श्री विनोद कुमार यादव प्यारेपुर, 10–उमेश कुमार, हजरतपुर 11–श्री शकील अहमद, मोहिद्दीनपुर, 12–श्री राजेश कुमार मोहिद्दीनपुर, 13–श्री सुरेश कुमार वर्मा, 14–श्री छेदी लाल यादव, लक्ष्मनपुरवा, 15–श्री रूप नारायण अटियाराघवपुर, 16–श्री राजकुमार शुक्ल, माधौगंज, 17–डा० सतीश अग्निहोत्री, पसनामऊ, 18–श्री राजकिशोर मिश्र, सुभाषनगर, 19–श्री राज बहादुर दीक्षित, सिरौली, 20–श्री कौशल किशोर अवस्थी, सलेमपुर, 21–श्रीमती ऊषादेवी कठेठा, 22–श्री अशोक कुमार सिंह, कछौना, 23–श्री विनोद कुमार बकोरा, 24–श्री राम पाल पाण्डेय मैनेजर स्टेट बैंक, बिलग्राम, 25–श्री नौशाद खां, रोहला, 26–श्री सीताराम, अशरफपुर 27–श्री विमलेश कुमार मोहीउद्दीनपुर, 28–श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा, उल्लीपुर, 29–श्री आनंद प्रकाश शुक्ल, हरदोई 30–श्री इशरत अली, जरौली शेरपुर, 31–श्री इरशाद अली, जरौलीशेरपुर, 32–श्री रामपाल धीबी रहुला, 33–श्री विमल प्रकाश दीक्षित, नेवदा, 34–श्री राकेश त्रिपाठी डपरापुर, 35–श्री मुवीन खां मदानपुर, 36–श्री सुनील कुमार सदरपुर, 37–श्री गंगा प्रसाद नोमलिकपुर, 38–श्री रवीन्द्र पाल मिश्र, खेरिया, 40–श्री अनिल कुमार, धनसिंह पुरवा, 41–श्री अर्शीकुल जमा, पतियामऊ, 43–श्री श्रीपाल, चकोला, 44–श्री विजय प्रकाश कन्धरी, 45–श्री मो० असलम मेंहदीपुर, 46–श्री राजेन्द्र सिंह नरायनमऊ, 47–श्री शमीम, विराइजमऊ, 48–श्री प्रेमचन्द्र, सेरैया बेलवारान, 49–श्री प्यास नारायन, सदरपुर, 50–श्री लल्लू लाल गुप्ता, कहौना, 51–श्री जगदीश प्रसाद नेवदा, 52–श्री बाबूराम मथुरापुरवा, 53–श्री नौशाद खां रोहुला, 54–श्री रामकिशोर शुक्ल, परचलरसूलपुर, 55–श्री जयचन्द्र अतर्याखुर्द, 56–श्री रामकरन, बधराई, 57–श्री सुरेशपाल, नवीपुर, 58–श्री रवीन्द्र सिंह लगनक, 59–श्री शुत्रघन प्रसाद रामपुर, 60–श्री श्याम नारायण अवस्थी, हरियांवा, 61–श्री रमेश कुमार मिश्र, केकड़ी साण्डी, 62–श्री ऋषिकृष्ण पाण्डेय, महिला, 63–श्री अशोक कुमार बिलग्राम, 64–श्री छैलबिहारी, बिलग्राम, 65–श्री कृष्णकान्त कुअरियापुर, साण्डी, 66–श्री रामरईस , वण्डारी, 67–श्री विजय शर्मा, सुभाषनगर, 68–श्री प्रदीप कुमार दीक्षित, नेवादा राघवपुर, 69–श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, महुआ चचर, 70–श्री अजीजउद्दीन मिर्जापुर, मल्लावां 71–मो० अदरीस कटरी बिलुही

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बिलग्राम, 72–श्री चक्रमणि अवस्थी, गोखलेनगर माधवगंज, 73–श्री जितेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी उदरा, थाना सुरसा, 74–श्री इरशाद जरौली शेरपुर, 75–श्री प्रदीप कुमार चौस्तर, 76–श्री प्रदीप कुमार 922/97 थाना कोतवाली, 77–श्री रामाधार यादव, दयालपुर, खरूद्दीनपुर मल्लावां ।

चूंकि यह एक मानव सुरक्षा से जुड़ा हुआ लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है इसलिए सदन के संज्ञान में लाना जरूरी है जिससे इन भले व्यक्तियों को लाइसेंस प्राप्त हो सके ।]

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जिनका निस्तारण मैंने कक्ष में ही किया है । पहली सूचना माननीय राम औतार शाक्य की है ।

महिलाओं के प्रतिनिधित्व विषयक संकल्प पर सभा के विनिश्चय हेतु दो बार प्रश्न उपस्थित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, भारतवर्ष का यह आदरणीय सदन बहुत बड़ा है और इसकी गरिमा को रखना हमारा सब का कर्तव्य है । मान्यवर, इस पीठ के जो निर्णय होते हैं और जो कार्यवाही होती है कुछ लोग तो इस पर रिसर्च करते हैं और जो निर्णय दिये जाते हैं उसका आगे जो सदन बैठेगा वह उसका अनुसरण करेगा। मैं आपका ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 99 को इसी सत्र के दौरान जो महिलाओं के संबंध में उनकी बहबूदी के संबंध में संकल्प प्रस्तुत किया गया था वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री के लिये स्त्रियों की बहबूदी के लिये था लेकिन हमारी नजर में महिलाओं के लिये संकल्प प्रस्तुत किया गया था और जब उसका प्रश्न उपस्थित किया गया था तो सत्ता पक्ष के लोग कम थे और विपक्ष के लोग ज्यादा थे ।

जब डिवीजन की मांग की गयी थी उसके बारे में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो नियमावली में दिया हुआ है, जो हस्तपुस्तिका में दिया है । नियमावली में 298 में अध्यक्ष महोदय को विनिश्चय करने का अधिकार होता है लेकिन उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों की हस्तपुस्तिका में पेज 34 पर विभाजन की प्रक्रिया दी गयी है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब यह विभाजन मान लिया गया, विभाजन स्वीकार कर लिया गया, उस दिन की कार्यवाही पेज नं० 60 पर है इसकी पांचवीं लाइन को देखें । उस वक्त जो अधिष्ठाता जी थे उन्होंने कहा है कि "श्री अधिष्ठाता अब मैं मत विभाजन करा रहा हूं, कोई व्यवस्था नहीं है आप बैठ जाइए मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मतदान के बारे में व्यवस्था है ।

श्री अधिष्ठाता–

वह विनिश्चय पीठासीन व्यक्ति को करना है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो अनियमितता हो रही है उसको उजागर करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई अनियमितता नहीं हुई है । नियमों के अनुसार घंटी बज चुकी है । मैं फिर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । "

मान्यवर, यह प्रश्न उपस्थित कर दिया गया है मेरा कहना यह है कि इसमें प्रोसीजर क्या होगा जो नियमों में दिया हुआ है वह होगा कि प्रोसीजर एनाउन्स होगा । इसमें जो प्रोसीजर डिवीजन के बाद

अडाप्ट किया गया वह प्रोसीजर नहीं एडाप्ट किया गया जो नियम के अन्तर्गत है और वोटिंग कराने से पहले प्रोसीजर एनाउंस करना चाहिए, जैसा इसमें दिया है, उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों के लिये हस्तपुस्तिका, अष्टम् संस्करण में । इसमें पृष्ठ 34 की नीचे से चौथी पंक्ति में कहा गया है "प्रस्ताव स्वीकृत होने या अस्वीकृत होने के संबंध में पीठासीन व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित किये जाने के पूर्व यदि विभाजन की मांग की जाय तो पीठासीन व्यक्ति यह तय करता है कि मत लिखित रूप से अभिलिखित किये जायें या विषय पर निर्णय हाथ उठवा कर किया जाय । यदि वह यह तय करे कि विषय पर निर्णय हाथ उठाकर किया जाय, तब मत उठवाकर लिये जाते हैं । किन्तु यदि वह यह तय करें कि विषय पर निर्णय मत अभिलिखित करके किया जाय तब वह निर्देश देता है कि "हां" वाले दाहिनी ओर और "नहीं" वाले बायीं ओर के सभाकक्षों में चले जायं । तदनुसार सदस्यगण अपनी-अपनी मत देने की इच्छा के अनुसार "हां" या "नहीं" वाले सभाकक्षों में जाते हैं और वहां विभाजन सूची में हस्ताक्षर करते हैं ।

तो मान्यवर, जो प्रोसीजर दिया हुआ है और जो संसदीय कार्य मंत्री ने महिला संबंधी संकल्प यहां प्रस्तुत किया, उसमें वोटिंग कराने के समय इस प्रोसीजर को एडाप्ट नहीं किया गया ? प्रोसीजर को एनाउंस भी नहीं किया गया और कार्यवाही के पेज नं० 71-72 पर देखें, उसमें फिर प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । मेरा कहना यह है कि यह सदन नियमों से, परम्पराओं से और नियमावली से चलता है लेकिन इस प्रश्नगत मामले में जो नियमों में दी गयी प्रक्रिया है का अनुपालन नहीं किया गया, उसी पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । एक तरफ पेज नं० 59-60 पर प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ और दुबारा 71-72 पेज पर पुनः प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । मैं नहीं कह सकता कि यह गलती है, लेकिन त्रुटि जरूर मालूम पड़ती है । मैं पीठ का बहुत आदर करता हूं और यह गरिमामयी कुर्सी है । एक बार प्रश्न उपस्थित होने के बाद दुबारा प्रश्न न तो पुटअप किया जा सकता है और न स्वीकृत हो सकता है । इस तरह से जल्दबाजी में, अल्पमत होते हुए भी इस बात का ख्याल नहीं रखा गया और किसी न किसी तरह सत्ता पक्ष को बचाने के लिये यह प्रक्रिया एडाप्ट की गयी, इस सारे प्रकरण पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही, माननीय अध्यक्ष या माननीय अधिष्ठाता, जो उस आसन पर विराजमान हो, उनकी देखरेख में होती है । उस कार्यवाही पर टीका-टिप्पणी करना या यह कहना सरकार को बचाने की कार्यवाही की गयी है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती । मेरा आपसे आग्रह यह है कि सदन का माहौल उस समय कैसा था, यदि उसमें दुबारा प्रश्न उपस्थित कर दिया गया तो कौन सी अनियमितता हो गई, किस नियम की अवहेलना हो गयी ? आज नहीं, अनेकों बार ऐसा होता है कि व्यवधान हो गया तो दुबारा प्रश्न उपस्थित किया गया है, उस दिन भी इसी तरह का व्यवधान हुआ था । अधिष्ठाता महोदय ने तो पूरी पारदर्शिता रखते हुए दुबारा प्रश्न उपस्थित कराया । अब यह कहना कि सरकार को बचाने के लिये, सरकार की रक्षा करने के लिये ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि इसकी न तो कोई आवश्यकता है न औचित्य है । मेरा आग्रह है कि इसमें किसी तरह का औचित्य प्रश्न नहीं बनता है, अतः इसको खत्म किया जाय ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि इसमें अनियमितता क्या हो गयी ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना, इसके बाद है । माननीय राम औतार शाक्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के सुनने के बाद, मैं इस सूचना पर अपना निर्णय देता हूं । 13 जुलाई, 1999 के उपवेशन में प्रश्नगत

संकल्प पर सभा के विनिश्चिय के समय माननीय अधिष्ठाता पीठासीन थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के संगत नियमों के अनुसार सभा का विनिश्चय ज्ञात करने के संबंध में जो निश्चय किया है उसके लिये उन्हें प्रक्रिया नियमावली के नियम 12 के अन्तर्गत वही शक्तियां प्राप्त हैं जो पीठासीन होने पर अध्यक्ष की होती हैं। प्रश्नगत मामले में औचित्य का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

दिनांक 31 मार्च, 1999 को नियम–52 की सूचना पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश का अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, 31 मार्च, 1999 को नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष पीठ से जो निर्देश दिये गये थे, उनका अनुपालन नहीं हुआ है। मान्यवर, इस बारे में दो बार पत्र भेजा है, उस पत्रावली को विधि विभाग को विधिक राय लेने के लिये नहीं भेजा जा रहा है, विधि विभाग से पत्रावली मांगी जा रही है, पूरी पत्रावली नहीं भेजी जा रही है, कभी एक पत्र भेज दिया जाता है और कभी दूसरा पत्र भेज दिया जाता है और इसी प्रकार से विलम्ब हो रहा है और दूसरा सत्र भी प्रारम्भ हो गया है। तो मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि आप उच्च शिक्षा मंत्री जी को निर्देश देने की कृपा करें कि 22 तारीख तक आपको अवगत करा दें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं तथ्यों की जानकारी कर लूंगा और अगर कही भी किसी अधिकारी द्वारा शिथिलता बरती गयी है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और जो कार्यवाही लम्बित है, उसको करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद और उनके आश्वासन के बाद इस सूचना को निरस्त करता हूं।

विधान सभा और विधान परिषद् सदस्यों के विकास सम्बन्धी अधिकारों में भेदभाव उत्पन्न करने विषयक शासनादेश के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। विधान सभा सदस्य जो हैं वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और विधान परिषद् के जो सदस्य हैं, वह जनता द्वारा न चुनकर शिक्षकों द्वारा चुनकर आते हैं, स्थानीय निकायों द्वारा चुनकर आते हैं लेकिन जो शासनादेश हुआ है, उसमें उनके अधिकारों में काफी फेरबदल कर दिया गया है। शिक्षक जो एम० एल० सी० चुनकर आते हैं वह 7-7 जिलों से आते हैं, 3-3 जिलों से चुनकर आते हैं और जो स्थानीय निकायों के सदस्य हैं वह भी 2-2 और 3-3 जिलों से चुनकर आते हैं और शासनादेश जारी किया गया है और विकास के कार्यों में धनराशि आवंटित होती है, वह सभी सदस्यों को बराबर-बराबर आवंटित होती है, सभी सदस्यों को बराबर-बराबर हिस्सा मिलता है। अगर एक जिले में 5 सदस्य हैं तो 1/5 हिस्सा एक सदस्य को मिलेगा और अगर 7 सदस्य एक जिले में हैं तो एक सदस्य को 1/7 हिस्सा मिलेगा और अगर 10 सदस्य हैं तो 1/10 हिस्सा मिलेगा,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन विधान परिषद् के जो सदस्य हैं, उनको इससे ज्यादा हिस्सा मिलता है । विधान परिषद् के सदस्यों को हर जिले में धन के आवंटन में हिस्सा मिलता है । इस प्रकार से विधान सभा के सदस्य से विधान परिषद् के सदस्यों को विकास के लिये ज्यादा धनराशि मिलती है ।

मान्यवर, मैंने इस बारे में पत्र भी लिखा है । विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के कार्य क्षेत्र में काफी अन्तर है, कहीं तो 7 गुना है, 16 गुना है और कहीं पर 18 गुना है, सभी सदस्य बराबर हैं विधान परिषद् का उच्च सदन माना जाता है, सारी सुविधायें बराबर हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि विकास के कार्यों के लिए जो धन दिया जाता है, उसमें भी बराबरी होनी चाहिए ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, उस पर 22 और 23 को चर्चा होगी और जिस विरोधाभास का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, उस पर विस्तृत जानकारी दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मा० बाबूराम यादव और मा० संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त जैसा कि मा० संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि वह 22-23 तारीख को पूरी जानकारी देंगे । अतः मैं आज इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं ।

प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के तीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मा० अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 14 के अन्तर्गत यह सवाल है यह एक बार नहीं अनेक बार इस विधान सभा में आया है और आपने सरकार को निर्देश भी दिये हैं । लगता यह है कि सरकार की इच्छा शक्ति इसको लागू करने में एकदम नहीं है । कल मा० संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि बजटरी कमेटियां बनाने से विधान सभा में वाद-विवाद नहीं हो पायेगा, नियम 56 नहीं आ पायेगा, सत्तापक्षा के और विपक्ष के लोग बोल नहीं पायेंगे । कई वर्षों से यह देखा गया है कि नियमावली के नियम 14-क की पूरी तरह से जान-बूझकर अवहेलना की जा रही है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री देखें, 24 दिन बजट की ग्रांट्स पर बहस होनी चाहिए लेकिन विगत कई सालों से नहीं हुई है । मैं यह बात आपकी सरकार के लिये केवल नहीं कह रहा हूं, विगत वर्षों में 24 दिनों ग्रान्ट्स पर बहस नहीं हो पायी है । जैसा मैंने कल कहा था अगर 6 महीने की बाध्यता न होती तो शायद यह सत्र न बुलाया जाता । अगर यह अधिवेशन 15–12 दिन का कर दें तो अच्छी शुरुआत होती लेकिन यह हो नहीं पा रहा है । अगर सत्र ज्यादा दिनों तक चले तो इधर के और उधर के ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं और जो अफरा तफरी नियम 56 पर होती है कि हमारा नहीं आया यह स्थिति समाप्त हो सकती है । साधारणतया वर्ष में 90 दिन का उपवेशन होना चाहिए अगर देखा जाय तो 40-45 दिनों से ज्यादा बैठकें नहीं हो पाती हैं मैं आपकी कठिनाई मान्यवर, जानता हूं कि आपको सत्र को बुलाने का अधिकार नहीं है ।

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो न बुलायें लेकिन सामान्यतया सदन को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चलाना चाहिए । हाउस आफ कामन्स 165-167 दिन बैठता है । शाम को कई घंटे बैठता है । कोई जरूरत नहीं है कि यहां पर सब मंत्री बैठें, 2-4 बैठें, मुख्य मंत्री जी आप भी चाहें न रहें लेकिन अधिवेशन तो चलवायें । मुझे याद है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में,

लंदन में बमबारी हो रही थी । उस समय आर्मी चीफ ने कहा कि यहां अधिवेशन नहीं होना चाहिए । लेकिन चर्चिल ने हाउस आफ कामन्स का अधिवेशन किया तो कौन से कारण हैं कि आप सदन नहीं चला सकते । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो भावनायें माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । प्रयास यह होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग बैठ सकें । जो नियम 14 में दिया गया है सामान्यतया उसी के अनुरूप सदन आहूत किया जाना चाहिए । हमने शुरुआत की है, आपका सहयोग चाहिए । हमने 2 महीने बाद ही सत्र बुला लिया है । 12 तारीख से 23 तारीख तक सत्र है । हमारा स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास है । आप जो 22 दिनों की बात करते हैं तो यहां पर ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में पूरा बजट पास किया है । आप लोगों ने बहुत इतिहास बनाये हैं उनकी पुनरावृत्ति हम नहीं होने देंगे । हम बराबर आग्रह करते हैं कि आप बैठिये । यह तो आपकी कृपा है कि आज इस सत्र में पहला दिन है जब प्रश्न प्रहर हो गया वरना आपने कभी यह कृपा नहीं की और माननीय सदस्यों को अपने अधिकारों से वंचित होने में कमी नहीं रहने दी । मेरा निवेदन है कि पक्ष और विपक्ष सदन की गरिमा को कायम रखें । जहां तक सत्र चलाने की बात है हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

साधारणतया वर्ष में 3 अधिवेशन और 90 दिन का उपवेशन होना चाहिए । इस प्रकरण पर इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और प्रत्येक बार यह अपेक्षा की गयी है कि शासन इस बात का प्रयास करे कि अधिक से अधिक उपवेशन विधान सभा के हों । 35–36 वर्षों में 90 दिन का उपवेशन किसी एक वर्ष में नहीं हुआ । फिर भी मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि यथासम्भव जितने अधिक से अधिक दिन का उपवेशन कराया जा सके वह संसदीय कार्य प्रणाली के हित में होगा । मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे ।

नियम 56 तथा नियम 51 के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट की गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा निदेश संख्या–19 के अनुसार कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय अम्बरीष कुमार जी की है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 के अन्तर्गत जिन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनाएं वक्तव्य और केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार नहीं की जाती हैं उनके बारे में आपके द्वारा निर्देश दिया जाता है । उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 19 का पालन सरकार नहीं कर रही है । निदेश–19 में लिखा है– निदेश संख्या 17 (ख) के अधीन शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के लिये आश्वासित सूचनाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी कार्यवाही की जाय उसकी सूचना सम्बन्धित सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को यथाशीघ्र भेजी जायेगी ।

मान्यवर, मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि जिन सूचनाओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया नियम 56 या नियम 51 के अन्तर्गत इस निदेश संख्या 19 का पालन शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है और सदस्यों को इस पर कृत कार्यवाही से अवगत कराया नहीं जा रहा है । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जहां तक नियम और प्रक्रिया का सवाल है इसकी वैधता के ऊपर कोई दो राय नहीं है। अगर कहीं पालन नहीं किया गया है। आप हमें कृपा पूर्वक जानकारी दे दें। उसका पालन किया जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, पिछले सत्र में दिनांक 12 मार्च, 1999 की सूचना थी जो नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी थी। उस पर यही निदेश दिया गया था लेकिन कोई भी कार्यवाही शासन ने नहीं की न ही उससे मुझे आज तक अवगत ही कराया गया।

श्री अध्यक्ष–

वस्तुस्थिति यह है कि अनेक सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है परन्तु शासन की ओर से अधिकांश मामलों में कोई कार्यवाही करने की सूचना प्राप्त नहीं होती। मैं इस ओर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय प्रमोद कुमार जी की है।

सदन की बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे सदस्य, विधान सभा, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विनम्रता के साथ कल की घटना लाना चाहता हूं। सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जी कल हैदरगढ़ से सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें अराजक तत्वों ने रोका और गोली से मार देने की सिर्फ धमकी ही नहीं दी प्रयास भी किया। क्षेत्रीय जनता असंतुष्ट हुई और उसने सड़क जाम लगा दिया। जब माननीय सदस्य उसका एफ० आई० आर० लिखाना चाहते थे तो एफ० आई० आर० लिखने से मना कर दिया गया। क्षेत्रीय जनता सड़क पर धरना देकर बैठ गयी तब जाकर एफ० आई० आर० लिखी गयी। मान्यवर, आज यह स्थिति है। हमारे सम्मानित विधायक पर अराजक तत्व हमला कर जान से मारने की धमकी दें और एफ० आई० आर० लिखने से मना कर दिया जाये। जब हम लोगों को जानकारी हुई तो हमने वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क किया उसके बाद अवस्थी जी को सुरक्षापूर्वक लाया गया। मैं इस सूचना के माध्यम से सरकार से दो अनुरोध करना चाहता हूं पहली कि लिखी हुई एफ० आई० आर० पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही हो और दूसरे अवस्थी जी को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराया जाये जिससे भविष्य में कोई घटना न घटे। मैं चाहूंगा कि चूंकि माननीय अवस्थी जी का व्यक्तिगत मामला है इसलिए दो मिनट के लिये अवस्थी जी को सुन लें।

* श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, घटना क्या है ? गोली चली कि नहीं चली सरकार सुरक्षा दे न दे यह सरकार का अपना पक्ष है। इस सदन का मैं सदस्य हूं आप सदन के सम्मानित अध्यक्ष हैं आप हमारे संरक्षक हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य होने के नाते क्या सामान्य जन के मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं । मैं कल जब उस सड़क से गुजर रहा था उसी स्थान पर उप जिलाधिकारी व वहां की पुलिस उपस्थित थी । वहीं मेरी वार्ता हो रही है मैं लखनऊ की तरफ आ रहा हूं उसी समय एक व्यक्ति अपने साथ 10-20 लोगों को लेकर घुस रहा है जब पुलिस उसको रोक रही है, मेरे रोकने का औचित्य नहीं है। अपशब्दों का प्रयोग शुरू होता है पुलिस के लोग हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अवस्थी जी आप कोई ऐसा काम न करें जिससे बड़ी घटना हो जाए सड़क पर दो तीन हजार की भीड़ है । तहसील के सामने है । जब उनसे एफ० आई० आर० लिखने को कहा जाता है तो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हैदरगढ़ तत्पर होता है लेकिन क्षेत्राधिकारी कहता है एफ० आई० आर० नहीं लिखी जायेगी । तब मुझे सड़क पर बैठना पड़ता है तब किसी तरह एफ० आई० आर० लिखी जाती है । इसके पहले भी मेरे साथ इस तरह की घटना हो चुकी है । जब सम्मानित राज्यपाल सूरजभान का लखनऊ में प्रवेश हुआ था.....

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी घटना तक सीमित रहें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

उस समय हमने सूचना दी थी तो मुख्य मंत्री जी ने मुझे सुरक्षा मुहैया कराने के लिये लिखित निर्देश जारी किये थे उसका अनुपालन आज तक नहीं हुआ है इस संबंध में मैं पांच पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय को लिख चुका हूं । मुख्य मंत्री जी के लिखित निर्देश के बावजूद सुरक्षा नहीं मिली । आप इस संबंध में जो निर्णय करना चाहें स्वतः कर सकते हैं । आप इस सदन के संरक्षक हैं । अधिष्ठता हैं, अध्यक्ष हैं । हमारा पक्ष सुनना आपका कर्तव्य है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रकरण की आप जांच करवा लें । मेरी एफ० आई० आर० में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जो लोग इस घटना के गवाह हैं उनको सुबह सात बजे अपने-अपने घरों से उठाया गया जिनका कोई दोष नहीं है । इस प्रकरण में आप जो कार्यवाही करना चाहें सुनिश्चित करें ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्री अवस्थी जी ने जो सूचना दी है वह सुबह प्राप्त हुई है करीब 11.00 बजे मैंने इस संबंध में जानकारी प्राप्त की है । जानकारी आते ही मैं आपको अवगत करा दूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

इनकी एफ० आई० आर० पर प्रभावी कार्यवाही की जाये । सुरक्षा का आश्वासन तो आप दे सकते हैं इसमें कौन सी जानकारी प्राप्त करेंगे । एक विधायक सदन में कह रहे हैं उनको सुरक्षा देने में किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मेरे पास स्वतः मुख्य मंत्री जी का लिखा हुआ पत्र है । इस समय जो उपलब्ध नहीं है । उस पत्र को आए आठ महीने बीत गए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । मुझे कोई ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीवन सुरक्षित सुरक्षा में रहेगा कहा नहीं जा सकता । मैं सदन को सूचना दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यद्यपि श्री प्रमोद कुमार और श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी द्वारा दी गयी सूचना नियम 300 में नहीं आती लेकिन वह विधायक हैं और उनका व्यक्तिगत मामला है व चूंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के प्रति

चिन्ता प्रकट की है । मैं संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं । मुझे विश्वास है वह माननीय सदस्य की सुरक्षा के संबंध में जो भी समुचित कार्यवाही करनी होगी अवश्य करेंगे ।

[1 बजकर 30 मिनट]

प्रथम सत्र 1999 के पांचवें बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–92 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौहान जी आपकी सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसलिये मैंने इसे निरस्त कर दिया है ।

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के पांचवें बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०–92 के उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसे मैं बताना चाहता हूं । मैंने पूछा था कि सिंचाई विभाग में पर्वतीय संवर्ग पूर्ण रूप से लागू है, उत्तर आया जी हां । दूसरा मैंने पूछा था यदि हां, तो सिंचाई विभाग से पर्वतीय संवर्ग के पात्र सहायक अभियन्ताओं की पिछले तीन साल से अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर प्रोन्नति किस कारण से नहीं की जा सकी है ? उत्तर आया–पर्वतीय उप संवर्ग के लिए सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची अभी जारी नहीं हुई है और अनन्तिम वरिष्ठता सूची के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की गयी है जो अभी लम्बित है । अतः उपरोक्त कारणों से पर्वतीय उपसंवर्ग के पात्र सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही अवरुद्ध है ।

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि अनन्तिम वरिष्ठता सूची का कोई मतलब नहीं है । पात्र अभियन्ता हैं 12 और स्थान रिक्त हैं 36, अन्तिम सूची का निर्धारण आप कैसे करेंगे ? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं । प्रथम याचिका के बारे में जब जानकारी की गयी तो मालूम हुआ कि हाई कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है । दूसरे वाले में हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसका आपरेटिव पार्ट मैं पढ़कर सुना देता हूं । "दि परमीशन इज ग्रांटेड विद द लिबर्टी टू टेक सच एप्रोप्रीएट प्रोसीडिंग्स एज एडमीशीबिल अण्डर ला ।" पिटीशन विड्राल हो गयी, अब कौन सी पिटीशन अदालत में रह गयी, अदालत ने कोई अन्तरिम आदेश भी पारित नहीं किया और गवर्नमेंट को रिस्ट्रीट नहीं किया कि आप पर्वतीय उप संवर्ग को न बनायें । आज पर्वतीय क्षेत्र में लखनऊ से तथा बाहर से गैर पर्वतीय संवर्ग के अभियन्ताओं को वहां भेजा जा रहा है जिसके कारण वहां अधिकारियों और जनता में विरोध हो रहा है । फलस्वरूप उनको वापस भेजना पड़ता है । विगत तीन वर्ष से यह सिलसिला जारी । इससे ज्यादा गम्भीर मामला और कोई नहीं हो सकता है । सरकार कह दे कि पर्वतीय संवर्ग का गठन नहीं किया गया है तो मैं अपने सवाल को वापस ले लूंगा । यदि सरकार कहती है कि बाकायदा विधि द्वारा पर्वतीय संवर्ग की स्थापना की गयी है तो उसके प्राविधानों के तहत सरकार सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति निर्धारित क्यों नहीं करती ? इस पर आप व्यवस्था देने की कृपा करें । इस तरह से उत्तर देकर पर्वतीय संवर्ग की परिकल्पना को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है । इसलिए मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रथम सत्र का पांचवां बुधवार किस तारीख को है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, अर्जी दाखिल होने से या फिर आदेश पारित होने के बाद किसे आप सब्जूडिस मानेंगे। कई स्थानान्तरण आदेश सरकार करती है, लोक अदालत में चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

15 मार्च, 1999 को वादी रमेश कुमार गुप्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी गयी है। उत्तर यदि 21 तारीख से पहले दिया गया है तो वह गलत न होगा। इसलिए मैं तिथि जानना चाह रहा था।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, अदालत में पर्वतीय उप संवर्ग के बारे में कोई आदेश नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी शिकायत को शासन के संज्ञान में ले आता हूं परन्तु यह नियम 300 में नहीं आती है। इसलिए इसे निरस्त करता हूं। आप किसी और सुसंगत नियम में देना चाहें तो दे दें और आप चर्चा मांगना चाहें तो चर्चा मांग लें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

कहने में कुछ नहीं है। मान्यवर, आप देख लें रिट पिटीशन 98 में दायर हुई और यह 15-3-99 का इसका आदेश है। जब रिट पिटीशन 98 में जारी हुई तो स्वाभाविक है कि यह लम्बित था।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय श्री चौहान जी की शिकायत को शासत को शासन के संज्ञान में लाते हुए निरस्त करता हूं। यह नियम–300 में नहीं आती है।

जनपद हरदोई में पुलिस द्वारा उत्पीड़न के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र जी की है यह भी नियम 300 में नहीं आती है। एक आदमी की हत्या हो गई तो उससे सदन की कार्यवाही से क्या मतलब है ? यह 300 में नहीं आती है।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, नियम–300 में आती है। हरदोई में मिथलेश कुमारी शुक्ल व्यापारी की हत्या हो जाती है, कोतवाली थाना मात्र वहां से 300 मीटर की दूरी पर है। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत चरमरा गई है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आती है आप 301, 51 में ले आयें। यह निरस्त कर दी गयी है।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

हरदोई में पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं है। शहरों में भी गश्त नहीं होती है। रात दिन हत्यायें हो रही हैं और पुलिस देखती नहीं है। जब कोई एफ० आई० आर० लिखाने जाते हैं तो लिखती नहीं है। यदि कोई विधायक साथ में जाता है तो उसको भी गोली मारने की धमकी दी जाती है। उत्तम कुमार के लड़के का अपहरण कर लिया गया थानों की व्यवस्था भी चरमरा गयी है। लूट मार हत्याएं

बलात्कार, बैरियर लगाकर पैसे वसूली की जा रही है चोरियां डकैतियां हो रही हैं । अत्याचार अनाचार हो रहा है । यह सरकार कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं । इस तरह से सरकार चलने वाली नहीं है । मेरी और दुकानों में भी चोरियां हो गयी हैं । कोई सुनने वाला नहीं है जबकि दुकानों से 400 मीटर की दूरी पर थाना है । जहां गश्त नहीं लगाई जाती है ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना उदयराज जी की है लेकिन यह भी नियम 300 में नहीं आती है । आपको अपनी बात कहनी हो तो वह बात अलग है । 300 में नहीं आती है ।

विधान सभा में मंत्रियों द्वारा की गयी घोषणाओं का शासन द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, विधान सभा के अन्दर मंत्री जी घोषणा करते हैं उनका भी पालन नहीं होता है । अगर यह सूचना नियम 300 में न आती हो तो आप जो करना चाहें करें लेकिन मुझे अपनी बात कहनी है । मान्यवर, विगत सत्र में लोक निर्माण मंत्री द्वारा इस सदन के सारे जनप्रतिनिधियों से 2-2 किमी० की चार सड़कों के प्रस्ताव मांगे गये थे । उसी के क्रम में कहना है कि या तो यह सरकार बदले की भावना से जो विरोधी दलों से जुड़े हुए सदस्य हैं या तो उनके क्षेत्र में विकास कार्यों पर रोक लगाना चाहते हैं या इस सरकार के मंत्रियों का इस प्रदेश में बैठे हुए अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । लोक निर्माण मंत्री ने सदन में घोषणा की थी उसी के तहत अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड उन्नाव ने हमसे प्रस्ताव मांगा था हमने उनको प्रस्ताव दिया लेकिन अधीक्षण अभियन्ता लखनऊ रायबरेली वृत से जो पत्र गया उसमें मेरे द्वारा भेजे गये प्रस्ताव में से एक भी प्रस्ताव नहीं गया, मेरे द्वारा जो चार प्रस्ताव दिये गये थे मैं उसको बता देना चाहता हूं मौरावां मोहनलालगंज मार्ग से खेरवा, मौरावां पुरवा मार्ग से मदनांग, मौरावां मोहनलालगंज मार्ग से पहासा से सोहो मौरावां हिलौली लउवा मार्ग से असरेन्दा यह चार प्रस्ताव मेरे द्वारा भेजे गये लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इसमें से एक भी सड़क निर्माण का प्रस्ताव नहीं लिया गया । जिस तरह से बदले की भावना से विरोधी दल के सदस्यों के साथ व्यवहार किया जा रहा है यह खेद का विषय है । मान्यवर, लोक निर्माण मंत्री हों चाहे और कोई मंत्री हों यह बराबर आश्वासन देते रहते हैं कि बराबरी से हर क्षेत्र में विकास कार्य कराये जायेंगे लेकिन कहीं भी इसका पालन नहीं हो रहा है । लोक निर्माण मंत्री यहां नहीं हैं संसदीय कार्य मंत्री जी यहां हैं मैं जानना चाहता हूं कि अधिकारियों के स्तर पर जो गड़बड़ी हो रही है वह आप द्वारा करायी जा रही है या नहीं है । मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय उदय राज जी, यह नियम 300 में न आने के कारण इसको निरस्त कर रहा हूं । अगली सूचना शिलान्यास के पत्थर पर नाम नहीं लिखा गया है इस बारे में है यह नियम 300 में नहीं आती है इसको निरस्त कर रहा हूं ।

गन्ना किसानों की समस्याओं के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री जगदम्बिका पाल–

एक हमारी सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना नियम 300 में गन्ना किसानों की चर्चा हो चुकी है गन्ना किसानों के बारे में नियम–56 में प्रस्ताव आ चुका है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

गन्ना किसान से इस सदन की कार्यवाही विनियमित नहीं होती है ।

श्री समरपाल सिंह–

मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उसका पालन नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आश्वासन समिति में संदर्भित करना चाहिए । आश्वासन समिति के लिए लिखिए यह नियम–300 में नहीं आएगा । आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई है तो उसके अलग उपाय हैं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

लखनऊ खण्डपीट में भुगतान के लिये आदेश दिये जो दो रुपया गन्ना मूल्य के हकदार थे.....

श्री अध्यक्ष–

नियमों का निर्वचन जिससे सदन की कार्यवाही का विनियमन होता है उसके अनुसार नियम–300 में नहीं आता है । अपनी बात कहने के लिये खड़ा होना अलग बात है । इसको आप सुसंगत नियमों में दें ।

वर्ष 1999 के विधान सभा के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वर्ष 1999 के विधान सभा के प्रथम सत्र में नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

गन्ना किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी इसे आप आश्वासन समिति में लायें । यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है । जिस नियम में आती है उसमें सूचना दीजिये ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नियम–300 देखें । उसमें है कि औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । आप इसका संज्ञान लें ।

श्री अध्यक्ष–

केवल संज्ञान लेने से ही नहीं होगा । इसमें यह भी है कि जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और दूसरा औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा ।

---

† छापे नहीं गये ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

उस समय आप विराजमान थे । 1 फरवरी, 99 को माननीय उच्च न्यायालय ने जो निजी और कोआपरेटिव चीनी मिलें थी जो गन्ने के संबंध में विसंगति थी उसके बारे में स्पष्ट आदेश दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

न्यायालय के इस आदेश से इस सदन की कार्यवाही का विनियमन कैसे होगा ?

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, उस समय गन्ना तथा सिंचाई मंत्री जी ने कहा था कि गन्ना विभाग जो रेट 70 से 72 हो गया है, उसका कैलकुलेशन करा रहा है और इसका भुगतान हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप जिस आश्वासन की बात कर रहे हैं यह फरवरी, 99 में दिया गया था । यह नियम–300 में नहीं आता है । माननीय समरपाल जी आप बैठ जायें । यह प्रकरण समाप्त हुआ ।

कार्य सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–42 एवं 80 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आज के ऐजेन्डे में अतारांकित प्रश्न संख्या–80 है इसमें माननीय पंचायत राज्य मंत्री जी ने एक पत्र मुझे 7-1-99 लिखा था.....

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस सरकार द्वारा गन्ना मूल्यों के अन्तर में जो ब्याज था उसको देने की घोषणा की गयी थी लेकिन वह उसका पालन नहीं कर रही है । इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये ।)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, गन्ना मूल्य के दामों में अन्तर का जो ब्याज था उसको देने का आश्वासन इस सरकार ने दिया था । लेकिन यह सरकार घोषणा के अनुरुप कार्य नहीं कर रही है । इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

श्री अम्बरीष कुमार–

उन्होंने मुझे लिखा था कि आपका उपर्युक्त विषयक पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार को शीघ्र पंचायत घर का निर्माण कराये जाने के निर्देश देते हुए प्रेषित कर दिया है । जब मैने प्रश्न लगाया था कि क्या पंचायत राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्धशासकीय पत्र दिनांक 7-1-99 द्वारा ग्राम मुस्तफाबाद जनपद हरिद्वार में पंचायत घर निर्माण करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी हरिद्वार को निर्देशित किया गया था तो उत्तर आया कि जी हां, जब मैने पूछा कि यह निर्माण कब तक प्रारम्भ होगा ? तो उत्तर आया कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण प्रश्नगत पंचायत घर का निर्माण संभव नहीं है । स्वयं मंत्री जी ने पत्र लिखकर आदेश दिया और अब कह रहे हैं कि निर्माण होना संभव नहीं है क्योंकि बजट में प्राविधान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न उठाया है इस पर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर मांगू तो कोई लिखित सूचना है नहीं । मौखिक रूप से यह प्रश्न उठाया है । अच्छा होगा कि लिखित रूप से प्रश्न को उठाये ताकि इसकी एक प्रति मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को भेज सकूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, इसी तरह से अतारांकित प्रश्न संख्या 42 है आबकारी मंत्री जी से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष–

आप दोनों के बारे में लिखकर सूचना दे देंगे ।

हापुड़ जांच आयोग, रिपोर्ट 1 अगस्त, 1994 †

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से हापुड़ जांच आयोग, रिपोर्ट 1 अगस्त, 1994 को, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा 4 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल) (खण्ड–I एवं खण्ड–II) ††

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल) (खण्ड–I एवं खण्ड–II) उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत का संविधान के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

विनियोग लेखे, 1997-98 उत्तर प्रदेश सरकार तथा वित्त लेखे 1997-1998, उत्तर प्रदेश सरकार †††

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विनियोग लेखे, 1997-98 उत्तर प्रदेश सरकार तथा वित्त लेखे 1997-98, उत्तर प्रदेश सरकार को, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

नोट :– † छापी नहीं गयी ।

†† छापे नहीं गये ।

††† छापे नहीं गये ।

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां ††††

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–

(1) क०सं०वि०–2–287/ग्यारह–9(820)/92–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–99, दिनांक 12 फरवरी, 1999,

(2) क०सं०वि०–2–596/ग्यारह–9(4)/99–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–99, दिनांक 6 अप्रैल, 1999,

(3) क०सं०वि०–2–697/ग्यारह–9(198)/97–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–99, दिनांक 12 अप्रैल, 1999,

(4) क०सं०वि०–2–698/ग्यारह–9(198)/97–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–99, दिनांक 12 अप्रैल, 1999, को, व्यापार-कर अधिनियम, 1948 की धारा–3 (क) की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री भगवान सिंह शाक्य, राज्य मंत्री के विरुद्ध श्री प्रमोद कुमार द्वारा उठायी गयी आपत्ति का राज्य मंत्री द्वारा खण्डन

कृषि राज्य मंत्री (श्री भगवान सिंह शाक्य)–

मान्यवर, मेरी अनुपस्थिति में श्री प्रमोद कुमार जी ने एक मकान के संबंध में मेरा नाम घसीटा है। मैं उस समय विधान परिषद् में था। उस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं उस विषय में माननीय तिवारी जी को और आपको भी कक्ष में बुला लूंगा।

उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो सदन के अभिलेख में आ गयी हैं इसलिए आप अपनी बात कह दें। इसके पश्चात् कक्ष में बात करेंगे।

श्री भगवान सिंह शाक्य–

मान्यवर, वह टण्डन जी मेरे पड़ोसी हैं। कल टंकी का पानी बंद हो गया था, मेरे यहां कुछ काम लगा हुआ था, कुछ लेबर को प्यास लग रही थी, दोपहर को पानी पीने उधर गये। उन्होंने पानी देने से इन्कार कर दिया उस बात को लेकर कुछ विवाद हो गया मैं विधान परिषद् में था जैसे ही सूचना मिली मैंने जानकारी की। मुझे बताया गया कि लेबर से कुछ कहा सुनी हो गयी थी। मान्यवर, इस संबंध में आप जानकारी करा लें। इसमें हम से कोई वास्ता नहीं है। यह झूठा आरोप लगाया है। झगड़ा मकान का है ही नहीं, कब्जा आलरेडी है, उनका मकान दूसरा है। उस मकान पर कोई झगड़ा नहीं है कब्जा करने की कोई बात ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

शेष बातों पर कक्ष में बुलाकर बात कर लेंगे।

---

†††† छापी नहीं गयीं।

उत्तर प्रदेश कृषि नीति †

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश कृषि नीति" को सदन के पटल पर रखता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999††

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 14 जुलाई, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–12 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (1998-99) का तृतीय प्रतिवेदन †††

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (1998-99) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जनपद एटा के विद्युत उपकेन्द्र मलावन से ग्राम निगोह हसनपुर तक की विद्युत लाइन ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद एटा के विद्युत उपकेन्द्र मलावन से ग्राम निगोह हसनपुर तक की विद्युत लाइन को ठीक कराये जाने के संबंध में श्री राम पाल सिंह तथा श्री राजपाल सिंह, निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

नोट :– † छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

††† छापे नहीं गये।

†††† छापी नहीं गयीं।

जनपद एटा के गंजडुण्डवारा–मोहनपुर मार्ग को लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर सम्पूर्ण मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री हरवीर सिंह पुण्डीर आदि की हस्ताक्षरित याचिका ††††

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद एटा के गंजडुण्डवारा–मोहनपुर मार्ग को लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर सम्पूर्ण मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री हरवीर सिंह पुण्डीर तथा श्री महावीर यादव निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के ग्राम दुर्गन से ग्राम घोड़वाल मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजकिशोर शुक्ल आदि की हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के ग्राम दुर्गन से ग्राम घोड़वाल मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजकिशोर शुक्ल तथा श्री शिव मंगल यादव, निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के ग्राम भुआपुर का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री रणजीत मिश्र आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के ग्राम भुआपुर का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री रणजीत मिश्र तथा श्री शंकर बख्श यादव, निवासीगण जनपद–फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उन्नाव में इन्देमऊ बारा मार्ग के मध्य में अवशेष 3 किमी० मार्ग बरदहा से पुरौना तक को डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री प्रेम शंकर वर्मा आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कृपा शंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव में इन्देमऊ बारा मार्ग के मध्य में अवशेष 3 किमी० मार्ग बरदहा से पुरौना तक को डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री प्रेम शंकर वर्मा तथा श्री शिव मंगल पटेल निवासीगण जनपद–उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सुमेरपुर ग्राम बक्सर के सामने गंगा नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कृपा शंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सुमेरपुर ग्राम बक्सर के सामने गंगा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री राजकुमार चौधरी निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

नोट :– † छापी नहीं गयी।

जनपद उन्नाव, ब्लाक सुमेरपुर के अन्तर्गत मनकापुर से पाटन तक 6 किमी० लम्बे मार्ग को डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल वर्मा आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव, ब्लाक सुमेरपुर के अन्तर्गत मनकापुर से पाटन तक 6 किमी० लम्बे मार्ग को डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल वर्मा तथा श्री रामराज सिंह निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 17 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 जुलाई, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 15 जुलाई, 1999 से 23 जुलाई, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :––

1—दिनांक 23 जुलाई, 1999 को प्रश्नकाल न रखा जाय तथा नियम 56 और नियम 311 की सूचनाएं न ली जाएं।

2—सदन का दिनांक 15 जुलाई, 1999 से 23 जुलाई, 1999 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

जुलाई, 1999

15 गुरुवार

(1) निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना (प्रश्नकाल के उपरान्त)

(2) संगत नियमों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा।

(3) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :––

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह 'विधि', रख दिया जाय।"

(4) श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :––

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकर नगर के चहुमुखी विकास के लिये लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराया जाय एवं उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाय।"

(5) श्री रघुनाथ सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का आधे घण्टे की चर्चा :––

"इस सदन का निश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के निवासियों को सीवर लाइन की सुविधा प्रदान की जाय ।"

(6) डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :—

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।"

(7) "ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में श्री गोरख नाथ पाण्डेय एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–दो घण्टा ।

(8) "प्रदेश के निर्धन व्यक्तियों को आवास विभाग द्वारा ई०डब्लू०एस०/आश्रय योजना के अन्तर्गत आवंटित क्वार्टरों के बैनामें/रजिस्ट्री में 8 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

जुलाई, 1999

(9) "प्रदेश में लगभग 10 घण्टे तक विद्युत की कटौती के कारण कृषि, उद्योग, व्यापार तथा छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

(10) "प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

16 शुक्रवार
17 शनिवार
18 रविवार
19 सोमवार
20 मंगलवार
21 बुधवार

बैठक नहीं होगी ।

22 गुरुवार

(1) विधायी कार्य ।

(2) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा:–

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करे कि लोकसभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इसके पूर्व विघटित न की जायें।"

(3) "प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर सरकार द्वारा प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दो घण्टे की चर्चा–जारी।

(4) "प्रदेश में सिन्थेटिक दूध के प्रयोग से होने वाली जन-स्वास्थ्य की हानि से उत्पन्न गम्भीर समस्या" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दो घण्टे की चर्चा।

23 शुक्रवार विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–19 में कुछ नहीं है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15-7-99 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

इसमें नवें नम्बर की जो सूचना माननीय श्री राम कृपाल जी, मुन्ना चौहान जी तथा अम्बरीष कुमार जी द्वारा दी गई है, पर मुन्ना चौहान जी ने आग्रह किया है कि उसे आज न लिया जाय, वह उसे अगली तिथि को दे देंगे। अब पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री अखिलेश सिंह, श्री लोकपति त्रिपाठी, डा० अम्मार रिजवी, श्री कौकब हमीद, श्री विनोद मणि तिवारी व श्री राम कृपाल की प्रदेश सरकार द्वारा 12 विभागों के कर्मचारियों को सीधे ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में दिये जाने तथा प्रदेश की विकास योजनाओं में विधायकों की भागीदारी कम हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। मेरा आग्रह है कि चूंकि सूचना देने वालों की संख्या काफी है, अतः 3-4 माननीय सदस्य सीमित समय में विचार व्यक्त कर दें तो अच्छा है।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, यह विषय 22 तारीख को आ रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नरेश जी, कह रहे हैं कि 22 तारीख को यह विषय आ रहा है और आज के बाद सीधे 22 तारीख को ही सदन की बैठक होनी है । उस दिन इस पर पूरी बात आ जायेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 22 को विधेयक आ रहा है, लेकिन अगर उससे पूर्व आप इस पर ग्राह्यता हेतु सुन लेगें तो कदाचित् इसमें हमारे सुझावों का समावेश भी सरकार कर लेगी जिससे प्रदेश के कर्मचारियों का हित होगा ।

श्रीमन्, इस सरकार से, पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस, राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को सरकार गठन से पूर्व बहुत सी अपेक्षायें थीं और उन्हीं अपेक्षाओं के तहत हमारे अन्य मित्रों ने आपको सहयोग किया । आज पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था लागू करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया और 12 अप्रैल को जो अधिसूचना जारी हुई थी, 30 जून को उसे निरस्त कर दिया गया, इससे 35 लाख कर्मचारियों में कुंठा और आक्रोश व्याप्त हो गया है । पूरे प्रदेश के विकास खण्डों में कार्य नहीं हो रहा है । 12 विभागों के जो कर्मचारी हैं, उन्हें पंचायत स्तर पर कर दिया है और उनके कैडर को मृत घोषित कर दिया है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है । पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार दिये जायें, इसमें किसी को कोई असहमति नहीं हो सकती है । मध्य प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गयी है, दिग्विजय सिंह की सरकार ने इस व्यवस्था को मध्य प्रदेश में लागू किया है, वहां पर वास्तविक रुप से सत्ता का हस्तांतरण किया गया है और वहीं की रुप रेखा के आधार पर उत्तर प्रदेश में यह कार्य किया जा रहा है । सरकार कह रही है कि इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और गांवों का विकास होगा । इस व्यवस्था के लागू करने से अगर कहीं पर कोई प्राइमरी शिक्षक रिटायर होगा, तो उसके स्थान पर जो शिक्षक रखा जायेगा, वह पंचायतों द्वारा ही रखा जायेगा, उसके स्थान पर कोई नयी नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की जा सकेगी ।

मान्यवर, जो पद वित्त विभाग और कार्मिक विभाग से स्वीकृत है, वह आने वाले दिनों में समाप्त हो जायेंगे, 9 लाख पद समाप्त हो जायेंगे । मान्यवर, विकास को सही ढंग से करने के लिये विकास खण्डों की स्थापना की गयी है, हमारे प्रदेश में 900 विकास खण्ड हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि डेढ़ साल के कार्यकाल में यह सरकार सभी विकास खण्डों में बी०डी०ओ० नहीं नियुक्त कर पायी है। यह सरकार की अक्षमता का ही तो परिचायक है । मान्यवर, मेरे जिले में तीन विकास खण्ड है और आश्चर्य की बात यह है कि किसी एक विकास खण्ड में भी बी०डी०ओ० नहीं है । मान्यवर, बी०डी०ओ० नोडल आफीसर होता है, वह कई विभागों का नोडल आफीसर होता है, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का, सिंचाई विभाग का नोडल आफीसर होता है । मैं कहना चाहता हूं कि आज 350 विकास खण्डों में बी०डी०ओ० नहीं है । आप की डी० पी० सी० नहीं है, आप ए० डी० ओ० की प्रोन्नति करके बी०डी०ओ० के पदों को भर सकते हैं, लेकिन आप नहीं भर पा रहे हैं । लखनऊ माननीय प्रधान मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी एक सम्मेलन में गये थे, वहां के विकास खण्ड में कोई बी०डी०ओ० नहीं था, अगर विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो हर विकास खण्ड में बी०डी०ओ० क्यों नहीं है ?.....का और अन्य विभागों का नोडल आफीसर होता है । मान्यवर, केन्द्र में आपकी सरकार है और प्रदेश में भी आपकी सरकार है, फिर आपका बजट कम होता जा रहा है । आपकी जो भी योजनायें हैं वह नाम मात्र की हैं, सारी प्रशासनिक मशीनरी पंगु हो चुकी है । मान्यवर, इस सरकार को स्पष्ट करना होगा, जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक है, वह 1450 रुपये पर रखे जायेगें । तो मैं कहना चाहता हूं कि जब शिक्षक तीन हजार रुपये पर काम नहीं करते हैं, ठीक से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो 1450 रुपये पर कैसे बच्चों को पढ़ायेंगे । इससे तो शिक्षा का स्तर और भी गिर जायेगा, इस पर सरकार ने कभी विचार नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 12 विभागों को तोड़ दिया गया है । मेरे सरकार की पुस्तिका है, इसमें सारी जानकारी दी हुई है । शिक्षकों को मानदेय पर रखा जायेगा, तो वह कैसे बच्चों को पढ़ायेंगे । मान्यवर, हाई कोर्ट ने 14 अप्रैल की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है लेकिन सरकार ने एक जुलाई को दूसरी अधिसूचना जारी कर दी और उसमें वही पुराने विषय हैं जो पहले थे ।

श्री अध्यक्ष–

अब काफी समय हो गया है, दूसरे माननीय सदस्यों के लिये भी थोड़ा समय दे दें । इसी लिये मैं कह रहा था कि इसको 22 तारीख में कर दें और उस दिन आप विस्तार से कह लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जनता को गुमराह किया जा रहा है । मान्यवर, इसी लिये मैने कार्य स्थगन दिया है, इस पर तत्काल चर्चा करा दें ।

श्री राम नरेश यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । मेरा स्पष्ट मत है कि इस विषय पर सदन के कार्यों को रोक कर चर्चा होनी चाहिये । जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा कि लोकतंत्र की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि लोकतंत्र की जो निचली इकाई है, उसको कितने अधिकार दिये जायें और इसी उद्देश्य से संविधान में संशोधन भी किये गये हैं, इस बात का प्रयास किया गया है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा निचली इकाइयों को वित्तीय अधिकार भी सौंपे जायें । मान्यवर, यह व्यवस्था कुछ प्रदेशों में लागू है, तीन प्रदेशों में लागू है । हमारे यहां पर भी इस व्यवस्था को लागू किया गया है, 12 विभागों को पंचायतों को सौंप दिया गया है और उनके कैडर को मृत कैडर घोषित कर दिया गया है, इससे ऐसा प्रश्न पैदा हो गया है कि कर्मचारी आक्रोश में हैं, दूसरे प्रदेशों में कैडर को मृत घोषित नहीं किया गया है । मान्यवर, पहले 12 संवर्गों के लोग काम किया करते थे अब उन संवर्गों को तोड़ा जा रहा है । इससे प्रदेश के 9 लाख कर्मचारियों में जबरदस्त असंतोष है । उसकी तरफ इस प्रदेश सरकार का ध्यान जाना चाहिए । सरकार इस मसले पर संवेदनशील नहीं है और लाखों लोगों की इस समस्या की तरफ उसका ध्यान नहीं है । इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करके इस पर चर्चा कराने का काम करें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, यह प्रजातंत्र है । प्रजातंत्र की परिकल्पना क्या है । गवर्नमेंट आफ द पीपुल, फार द पीपुल, बाई द पीपुल । यह इसकी परिकल्पना रही है । आप श्रीमन्, स्वयं बुद्धिमान हैं । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र सभी विधायकों को भेजा है, आपको भी गया होगा । हमारे मुख्य मंत्री जी ने ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान, खण्ड स्तर पर ब्लाक प्रमुख और जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष को अधिकार दिये हैं । उसमें यह कहीं पर चर्चा नहीं है कि उनके पदनाम तोड़े जायेंगे या उनको मिलाया जायगा ।

(2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

मान्यवर, मुझे भी सौभाग्य रहा है 8 वर्ष तक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहने का । हमने भी एक मल्टी परपज वर्कर्स स्कीम चालू की थी । जब मैंने यह स्कीम चालू की थी, मान्यवर, आप स्वयं भी चिकित्सक हैं । जब मैंने चालू की थी तो मैंने चिकित्सक, फार्मेसिस्ट, मलेरिया कर्मचारियों के पद को नहीं

तोड़ा हमने उनका आगमेंट किया था । आज उसके विपरीत काम हो रहा है । ग्राम स्तर पर विकेन्द्रीकरण करने का यह अर्थ नहीं है कि उन लोगों की रोजीरोटी छीनी जायगी । इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रदेश के हर स्तर पर अराजकता फैलायी जायगी । इसका यह उद्देश्य नहीं है कि सरकार अगर दिवालिया हो गयी है तो अपने दिवालियापन को छिपाने के लिये वह अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दे । कल कारखाने बंद हो गये तो क्या सरकार ने लोगों को निकाल दिया । वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है । सरकार की जिम्मेदारी है कि देहात में रहने वाले साढ़े 12 करोड़ लोगों को सुविधा प्रदान की जाय जो कि उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का फर्ज है लेकिन यह हो नहीं रहा है । मैं नहीं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन में जो व्यक्ति चुनकर आये हुए हैं उनको क्या हो गया है ? 21 आई० ए० एस० अफसरों को सुपर टाइम स्केल दिया गया । आई० ए० एस० को कितनी तनख्वाह मिलती है । इस पर शासन को आर्थिक बोझ नहीं आता है । 12 विभागों के 9 लाख कर्मचारियों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया । एक परिवार का अर्थ होता है 5 व्यक्ति 19 लाख यानी 45 लाख व्यक्तियों की रोजी-रोटी पर आप ठोकर मारने जा रहे हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि इससे और कोई महत्वपूर्ण विषय इस सत्र में उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सामने दूसरा नहीं होगा । माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि दो दिन सदन का समय बढ़ा दिया गया है । एक दिन सिर्फ इसके लिये नियत कर दें इस पर खुलकर बात होनी चाहिए । हम सभी लोग जनता के द्वारा चुने गये हैं, हम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नहीं चुने गये । हमें जनता चुनती है और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है । आज यह सरकार जो कार्य कर रही है इसे रोकें । मान्यवर, सब कार्य रोककर इस पर सुनिश्चित रूप से बहस करायें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अत्यन्त ही लोकमहत्व की अविलम्बनीय सूचना है । श्रीमन् आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27 जून, 1999 को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश प्रख्यापित कराया । 1 जुलाई, 1999 को इसके परिप्रेक्ष्य में शासनादेश निर्गत करके 12 विभागों के तकरीबन 9 लाख पदों को मृत संवर्ग घोषित करते हुए खतरे में डाल दिया । आज 9 लाख कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उपरोक्त शासनादेश से जहां 12 विभागों के 87 हजार कर्मचारी खतरे में पड़ गये । अगर वे अपने मूल विभाग में रहते तो इनकी पदोन्नति से ढाई लाख पद सृजित होते इस प्रकार ढाई लाख पद मृत हो रहे हैं . पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 6 लाख है । आज उनकी सेवाओं को, उनके सम्वर्ग को, उनके पद को समाप्त कर दिया गया । कुल मिलाकर 9 लाख कर्मचारियों की छटनी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है । उत्तर प्रदेश की सरकार विकेन्द्रीकरण के नाम पर, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करने के नाम पर अध्यादेश को प्रभावी बनाकर 9 लाख कर्मचारियों को खतरे में डाल दिया है । उत्तर प्रदेश सरकार आज गांधी जी के सपनों को साकार करने नहीं जा रही है । इस अध्यादेश और इस कानून के जरिये उसका बहाना बनाकर इन 9 लाख कर्मचारियों के भविष्य को चौपट कर रही है । इतने पदों को समाप्त करके सरकार एक ग्राम पंचायत में एक बहु-उद्देशीय कर्मी नियुक्त करने जा रहे हैं । एक ही बहुउद्देशीय कर्मी नलकूप भी चलायेगा, स्वास्थ्य कर्मी का काम भी करेगा, सींचपाल का भी काम करेगा और स्वास्थ्य कर्मी के रूप में वही ब्लड का स्लाइड लेकर पता करेगा कि कौन सी बीमारी है । आज उत्तर प्रदेश सरकार इतने ज्ञानी लोगों से भरी है कि एक सप्ताह का प्रशिक्षण एक कर्मचारी को इतना बड़ा ज्ञाता बना देगा कि राजस्व विभाग का काम देख लेगा, नलकूप चालक का काम कर लेगा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी भी कर लेगा । आज इस निर्णय से पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि ग्राम सभाओं को मजबूत करने जा रहे हैं । वह कहती है कि 9 लाख जो पद समाप्त हो रहे हैं उस पर भविष्य में नियुक्ति

करने का अधिकार ग्राम सभाओं को होगा । इनकी सेवानिवृत्ति के बाद ग्राम सभा किन-किन तरह के लोगों को नियुक्ति कर सकती है । (450) रुपये में शिक्षक नियुक्त करेंगी या (500) पर अन्य कर्मचारी नियुक्त करेंगी । अगर यह ग्राम सभाओं को सत्ता देना चाहते हैं, शक्ति देना चाहते हैं तो उसे ग्राम सभाओं के आर्थिक संसाधनों को विकसित करना चाहिए । यह कहते हैं कि भू-राजस्व पर सरचार्ज लगाने का अधिकार ग्राम सभाओं को होगा । किसी भी व्यक्ति को ग्राम सभा के अभिलेख की नकल का अधिकार देगा जिसके लिये उसके द्वारा जो मामूली शुल्क जमा किया जायेगा वह ग्राम सभाओं की आय होगी ।

पंचायती राज अधिनियम की धारा 31 और 37 में पहले से ही इसकी व्यवस्था है । 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर आरोपण का अधिकार इस अधिनियम की इन धाराओं ने ग्राम सभाओं को दिया है । नया कुछ इस अध्यादेश द्वारा नहीं होने जा रहा है । वास्तविकता यह है कि आज जो उत्तर प्रदेश में इस शासनादेश के जरिए सरकार लाखों कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने जा रही है उसका कलंक अपने माथे पर न लगे । ये 9 लाख कर्मचारी सदा-सदा के लिए अपने घर वापस चले जाएं, यह कलंक ग्राम सभाओं को जाए । बिना समुचित विचार किये आनन फानन में सरकार ने यह निर्णय लिया है । इससे उत्तर प्रदेश में चारों ओर अराजकता व्याप्त हो गयी है । आज उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ आबादी में 3 करोड़ 20 लाख पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार होकर नगरों की ओर पलायन कर रहा है । आज सरकार के एजेंडा में उन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना शामिल नहीं है, जो पहले से कार्यरत थे उन्हें बाहर करने का निर्णय लिया जा रहा है । इनकी ग्राम सभाओं को मजबूत करने की नीयत नहीं है यह केवल इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं । यह इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के भविष्य का मामला है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इससे महत्वपूर्ण कोई प्रश्न नहीं हो सकता यह तात्कालिक है इसलिए समूचे कार्यों को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाए ।

श्री प्रमोद कुमार–

अधिष्ठाता महोदय, नियम 56 में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं अविलम्बनीयता और लोक महत्व अविलम्बनीयता इसमें इसलिये है क्योंकि यह अध्यादेश हाल में हुआ है दूसरे लोक महत्व इसलिये क्योंकि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में ग्रामीण अंचल के लोग इससे प्रभावित होने जा रहे हैं । इस प्रदेश की 85 प्रतिशत जनता गांव में रहती है तो इससे लोक महत्व का दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता । अतः कार्य-स्थगन के लिए इससे महत्वपूर्ण दूसरा विषय नहीं हो सकता । सरकार की नीति और नीयत में फर्क है अगर फर्क न होता तो पहले सरकार ने अध्यादेश इस संबंध में जारी किया बाद में दूसरा विधेयक ला रही है ।

[2 बजकर 30 मिनट]

इस अध्यादेश से सहारे इनकी कोशिश थी कि विधायकों को उनके अधिकारों से पंगु बना दिया जाय । 73वें संविधान की मूल भावना के विपरीत यह सरकार आचरण कर रही थी । मूल भावना यह थी कि ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दें कि वह अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकें । परन्तु सौभाग्यवश यह सरकार तो उन्हें कर्मचारियों की सेवाओं का कब्रिस्तान बना रही है और आर्थिक रूप से उन्हें इतना जर्जर कर देना चाहती है कि वह अपना बोझ स्वयं न उठा पायें । क्या विधायकों की शक्ति को छीना जाय ? उनकी भागीदारी को इनमें से हटाया जाय, जिला पंचायत सदस्य के अधिकारों को शून्य कर दिया जाय ? क्या यही ग्राम पंचायतों की परिकल्पना है ?

हो सकता है कुछ लोग इस समय मंत्री हैं अक्टूबर तक रहेंगे भी परन्तु विधायकों की चिन्ता करिये। आप तो (सूर्य प्रताप शाही जी की ओर इशारा करते हुए) [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया इस प्रकार परस्पर आक्षेप न करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं अपनी सूचना वापस ले लूंगा यदि सरकार यह कहने की स्थिति में है सदन में इसके लागू होने के बाद विधायकों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी और विधायकों को मतदान करने का जो अधिकार था उसमें कोई कटौती नहीं होगी और जो कर्मचारी यहां जायेगे उनकी सेवा निवृत्ति के बाद उनके स्थान पर शासन दूसरे कर्मचारियों को भेजेगा। यह सरकार तो जिन कर्मचारियों को डाइंग डिक्लेयर करना चाहती थी उनको वहां भेज रही है, उनकी सेवा निवृत्ति के बाद क्या होगा, कहां से नियुक्तियां की जायेंगी, क्या ग्राम पंचायत के पास इनके संसाधन हैं कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। आज यह सरकार 9 लाख कर्मचारियों के भविष्य की हत्या करने का प्रयास कर रही है। 72/73वें संविधान संशोधन की क्या मंशा थी, देश के अन्य प्रदेशों में यह कैसे चल रहा है बहुत दूर नहीं जाते, मध्य प्रदेश में ही देख लेते वहां पर कोई डाइंग कैडर डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो कर्मचारी यहां से जायेगा। उसे मालूम है कि मेरी जगह पर दूसरे को नहीं आना है तो वह बी०डी०सी० की क्या बात मानेगा। इसलिए आज मैं इस सम्पूर्ण सदन को अवगत कराते हुए दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी विधायकों से कहना चाहता हूं कि अगर आज विधायकों के अधिकारों की रक्षा के लिये आपने इस सरकार को रिवर्स नहीं किया तो आने वाले दिनों में विधायक मात्र शो-पीस बन कर रह जायेगा और उसके पास कोई अधिकार नहीं रह जायेगा। इसलिये अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलीय भावनाओं से ऊपर उठिये। आज जो काम होने जा रहा है वह एक ऐतिहासिक भूल होने जा रही है। इसलिए अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस सरकार को रिवर्स कर दीजिए कि सरकार अपने कदमों को पीछे हटाये ऐसा लोकतंत्र में कई बार हुआ है। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि पार्टी के अन्दर रह कर अनुशासन में रहते हुए लोकतांत्रिक ढंग से इसका विरोध करिये और इस काले कानून को इस प्रदेश की धरती पर मत उतरने दीजिए नहीं तो इस लोकतंत्र की, पंचायतीराज की और 9 लाख कर्मचारियों की हत्या हो जायेगी।

*नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, इस कार्य स्थगन प्रस्ताव, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, उसका मैं समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि यह लोक महत्व का है और अविलम्बनीय है और सही-सही बात तो यह है कि यह सत्ता पक्ष की सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया है। यह जो पंचायती राज एक्ट लागू किया जा रहा है मैंने जब बजट पेश हुआ था उस समय कहा था कि जितने ट्यूब वैल आपरेटर हैं इनकी भी सेवायें समाप्त करने का प्राविधान किया गया है और आज बी०टी०सी० के जितने प्रशिक्षित हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, बी०एड० के जितने लोग प्रशिक्षित हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करेगें उनको कहीं भी सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा और इसलिये नहीं मिलेगा कि जो प्राविधान कर दिया है शिक्षक मित्र का बी०टी०सी० के लोग जिन्हें 3/4 हजार रुपये मिलता है बेरोजगारी के कारण 650 रुपये भी मिल जायेंगे तो चलेगा।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी तरह से जो बी०एड० वाले हैं बेरोजगार होगें तो 1200 रुपये में भी आ जायेंगे । यह सरकार इसको अप्रत्यक्ष रुप से स्थगित करने का काम कर रही है । किस तरह से यह जो फिंजूलखर्ची कर रहे हैं उसकी भरपाई करें इसलिये यह तमाम विभाग के लोगों की सेवाएं बन्द करने का मन बना चुकी है । टीचर जो आज प्रशिक्षण प्राप्त करेगें उनको कहीं मौका मिलने वाला नहीं है । थोड़े दिन बाद आप देखेगें कि जो ट्यूबवेल आपरेटर हैं उनकी सेवाएं समाप्त हो जायेंगे । आपने कहा है कि यदि वे असफल होगें तो आप उन्हें प्राइवेट सेक्टर में दे देगें । वह तो आप प्राइवेट सेक्टर में देने वाले है ही । मान्यवर, यह कुचक्र इन लोगों ने पैसे वाले लोगों के लिये बनाया है ताकि उनके हाथ में यह दे दिया जाय । यह खास तौर से उनके लिये किया गया है जो उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, उनको यह ट्यूबवेल देने वाले हैं । यह मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं । मैं ज्यादा न कहकर इतना कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए और आप सरकार को निर्देशित भी करें कि इस तरह का कुचक्र लोगों के पेट में मुक्का मारकर बेरोजगार करके इस तरह से पंचायती राज ऐक्ट न लागू करें। उसमें न तो कोई अधिकार होगें । आप कह रहे हैं कि उसमें एक कर्मचारी 12 विभागों का काम देखेगा। मैं तो समझता हूं कि जो बहुमुखी प्रतिभा वाले भी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक साधारण कर्मचारी जो तृतीय श्रेणी का होगा उससे यह आशा करते हैं कि वह 12 विभागों को देख लेगा । मैं कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है । सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा ली जाय ताकि विस्तार से लोगों के विचार इस पर आ जायं ।

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, अभी माननीय तिवारी जी, पाल साहब और तमाम नेताओं ने कहा और मैं भी इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं । जो सूचना हमने दी है कार्य स्थगन के रूप में कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये जिन-जिन योजनाओं की घोषणा है, इसके पूर्व की सरकारों ने किया है और वर्तमान सरकार ने घोषणा की है । पूर्वांचल विकास निधि, दीनदयाल योजना.....

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना स्वीकृत नहीं है । आज जिस विषय पर कार्य-स्थगन की सूचना है उसमें आपका नाम सम्मिलित है उस पर बोलें ।

श्री विनोद मणि–

मेरी सूचना यही है ।

श्री अधिष्ठाता–

वह स्वीकृत नहीं है ग्राह्यता पर कहना चाहते हों तो कहें ।

श्री विनोद मणि–

मेरी दूसरी कोई सूचना ही नहीं है मैंने एक ही सूचना दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

22 तारीख को जब सदन चलेगा तो आप सूचना दे दीजियेगा अगर नियमानुसार होगी तो उसको लिया जायेगा ।

श्री विनोद मणि–

ग्राह्यता के लिये चयनित हो तो उसे देख लें । मेरा निवेदन है आप एक बार देख लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने देख लिया है और स्पष्ट भी कर दिया है। आप जो सूचना देना चाहते हैं वह 22 तारीख को दे दें।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री विनोद मणि–

गांव में पक्की सड़कों की योजना, गांव में विद्युतीकरण की योजना आदि योजनायें हैं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को देखते हुए इन योजनाओं से पूर्वी उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया है। इन दो-तीन योजनाओं के तहत माननीय पूर्व सांसद हैं, यहां तक ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने वाले हैं उनके प्रस्ताव पर स्वीकृति ले रहे हैं और उनके प्रस्ताव पर घोषणायें की जा रही हैं। मान्यवर, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने जनपद में होने वाली घोषणाओं की जानकारी तक दे दूं। बड़े शर्म की बात है यह सब किया गया है। मान्यवर, यह कहा जाता है कि विकास कार्यों में दलगत समस्याओं से ऊपर उठकर हर मा० सदस्य के क्षेत्र का विकास किया जायेगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोधी दलों के लोगों के कार्यों की उपेक्षा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के होने वाले उम्मीदवार को जिताने के लिये ऐसा किया जा रहा है। यह बहुत ही निन्दनीय है अगर जरा सी भी नैतिकता बची है, जरा सी भी ईमानदारी बची है तो इन्हें इस बात को कबूल करना चाहिए कि इन योजनाओं का पैसा आगामी लोकसभा चुनाव में जिताने के लिये जो उम्मीदवार पर खर्चा किया जा रहा है इस संबंध में सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी सदन के कई वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न के माध्यम से अपने विचारों से लाभान्वित किया जैसा पहले कहा गया कि 22 तारीख और 23 तारीख में चाहते हैं तो इसमें उसी हिसाब से चर्चा हो जाएगी। इसलिए चाहते हैं कि जो भ्रान्तियां हैं उन भ्रान्तियों का जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक सदन के सामने स्पष्ट न हो जाय तब तक यह तर्क कुतर्क चलता रहेगा कि विधायकों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आने वाले अधिनियम के माध्यम से किसी भी माननीय विधायक के अधिकार को कम करने का प्रश्न नहीं किया गया है। बार-बार यह भ्रामक प्रचार करके यह प्रयास किया जा रहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसा करो वैसा करो। यदि इस बात का आप विरोध कर रहे हैं कि पंचायती राज को मजबूत न किया जाय तो आप करें। यदि आप प्रतिबद्ध हैं, लोकपति जी ने भी इसका विरोध किया.....

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह जो मामला आया है यह स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

श्री हुकुम सिंह–

यह आरोप लगाया जा रहा है कि पंचायतों को, विभागों को स्थानान्तरित किया जा रहा है। माननीय पाल साहब और माननीय राम नरेश यादव जी ने कहा कि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इन्हीं की एक सरकार पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश में चल रही है। माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा कि मध्य प्रदेश से सीखो। इस समय वह यहां पर नहीं हैं। वहां डार्पिंग कैडर डिक्लेयर किया गया। मध्य प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों के संवर्ग विभागीय संरचना में डार्पिंग कैडर घोषित कर दिया है। भविष्य में होने वाली नियुक्तियां जो होंगी उन नियुक्तियों के अधिकार पंचायतों को होंगे। यह भी वहीं का है।

मान्यवर, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो वर्तमान में हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनका स्थानान्तरण किया जा रहा है उनके वेतन पर, पदोन्नति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें पेंशन देने का दायित्व, जिसके लिये वह पात्र हैं, यह राज्य सरकार का है। आदमी का कैडर क्या होता है ? उसकी सेवा की शर्तें क्या हैं ? भर्ती हुआ तो 10 साल बाद उसकी पदोन्नति हो, उसकी वेतन वृद्धि हो, तो यह उन्हें मिलती रहेंगी और इनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई सेवा निवृत्त हो चुका है और किसी पंचायत में रिक्ति होती है तो क्या सम्भव है कि पंचायत अपने उत्तरदायित्व को निभाती रहे और नियुक्ति कहीं और से होती रहे। जो भविष्य में नियुक्ति होंगी उनके वेतन की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार अपने ऊपर लेगी। आपको बी० डी० ओज की चिन्ता हो गयी। लेकिन विकेन्द्रीकरण जो हो रहा है, उसकी जो बात है, वह तो जनप्रतिनिधित्व का हो रहा है। जितने जनप्रतिनिधि वहां पर बैठे हुए हैं प्रधान के रूप में अब जैसे लेखपाल का काम सुचारु रूप से चल सके, ट्यूबवेल आपरेटर का काम चल सके जो स्थानीय समस्यायें हैं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है अभी भी वही देखते हुए आगे भी देखेंगे। अगर वास्तव में 73वे और 74वे संशोधन की मंशा यह है कि पंचायतों को मजबूत किया जाय तो अधिकाधिक जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। मैं इस क्षेत्र से हूं अब इसे अधिकार के रूप में लूं या दायित्व के ऊपर लूं यह मेरे ऊपर ही निर्भर करेगा। दायित्व सौंपे जा रहे हैं दायित्व सौंपने की प्रतिबद्धता संविधान में दी गयी है। 23 तारीख को भारी योजना आ जायेगी। माननीय विधायक के किसी अधिकार पर अतिक्रमण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 73वे संशोधन से पूर्व से ही पंचायत को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। हम अब देने जा रहे हैं। वहां किसी ने चिन्ता नहीं की क्योंकि वहां पर भ्रामक प्रचार नहीं किया गया। पक्ष और विपक्ष मिलकर किस तरह योजना को पूरा करें, और सार्थक बनायें इस पर एक रिट याचिका दायर हुई माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में 27,937/1999 की श्रीमती शोभा शर्मा बनाम स्टेट आफ यू० पी० एण्ड अदर्स। राज्य सरकार की कर्मी हैं कैसे पंचायत में स्थानान्तरित किया जा रहा है। उस पर खण्डपीठ ने अपना निर्णय दिया है। उसके अंशों को पढ़ना आवश्यक है। आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं।

द इम्प्यून्ड आर्डिनेन्स ऐपियर्स टू बी मेड अन्डर दिस प्रॉवीजन एण्ड आलसो अन्डर आर्टीकिल 309 आफ द कान्स्टीट्यूशन. हेन्स अन्डर बोथ दीज कान्स्टीट्यूशनल प्रोवीजन्स द इम्प्यून्ड आर्डिनेन्स टु माई माइंड इज वैलिड एण्ड कांस्टीट्यूशनल. लर्नेड काउन्सिल फार द पेटीशनर हैज नाट बीन एबिल टु शो दैट द इम्प्यून्ड आर्डिनेन्स वायलेट्स एनी कांस्टीट्यूशनल प्रॉवीजन।

आई मे आलसो मेन्शन दैट द इम्प्यून्ड आर्डिनेन्स एप्पीयर्स टू बी ए कमेन्डेबिल स्टेप लार्नेड एडवोकेट जनरल हैज प्लेस्ड बिफोर मी द 'स्वराज स्कीम' प्रिपेयर्ड इन 1923 बाई द ग्रेट लायर एण्ड फ्रीडम फाइटर देशबन्धु चितरंजन दास हू एडवोकेटेड सेल्फ गवर्नमेन्ट एट द बेसिस आफ स्वराज, द इम्प्यून्ड आर्डिनेन्स इज इन कॉन्सोनेन्स विथ दिस स्कीम (फोटोकापी आफ द स्कीम शैल बी केप्ट इन द रिकार्ड)

हेन्स देयर इज नो फोर्स इन दिस पिटीशन एण्ड इट इज डिसमिस्ड.

श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत इस अध्यादेश को जारी किया गया है। मेरे विचार में प्रश्नगत अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता कोई भी ऐसी बात नहीं दर्शा पाये जिससे संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन प्रतीत होता हो मैं यह भी उल्लेख कर देना चाहता हूं कि प्रश्नगत आर्डिनेन्स एक बहुत ही सराहनीय काम है। विद्वान एडवोकेट जनरल ने मेरे समक्ष 1923 की 'स्वराज्य स्कीम' को प्रस्तुत किया जो उस समय के विद्वान अधिवक्ता तथा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देशबन्धु चितरंजन दास ने प्रस्तुत किया था और तैयार किया था । प्रश्नगत अध्यादेश उसी भावना से ओतप्रोत है । यह विचार है माननीय उच्च न्यायालय के ।

श्रीमन्, इस पुनीत कार्य के लिये जिसके लिये इतना प्रयास करके यह किया जा रहा है जो बापू का सपना था पंचायत राज का, हम लोग उसी को सार्थक बनाने में लगे हुए हैं । इसमें श्रेय एक सरकार का था या दो सरकार का था यह हम नहीं कहते । हम अब केवल चुनाव के लिये सोचकर बैठकर जाएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने ऊंचे काम कर दिये कि जनता चारों तरफ इसकी प्रशंसा करेगी जनता भारतीय जनता पार्टी की सराहना करेगी । उससे आतंकित होकर कुप्रचार करते रहे । यह कहते रहे कि यह खराब है इतने गलत काम कर दिये हैं अगर यही कहना है तो गलत बात है । मान्यवर, यहां एक राष्ट्रीय दल बैठा हुआ है कांग्रेस के रूप में वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जो तब भी मुख्य मंत्री थे और आज भी हैं उन्होंने चुनाव प्रचार में इसे मुद्दा बनाया था कि सबसे अच्छा काम मैंने किया है दूसरी सरकार आये तो भले ही इसको वापस ले ले । अब इसके बाद आपके मन में ऐसी बात आ गयी आपने दरवाजे बन्द कर दिया इसके लिये तो कोई बात नहीं है । मैं धन्यवाद देता हूं कि जो स्थगन लाये हैं इसके माध्यम से ध्यान आकर्षित किया है और आपके सुझाव अच्छे आये यह 23 को आयेगा इसमें कोताही नहीं बरती जायेगी और जो सर्वोच्च सुझाव होंगे उसका पालन करने में हमें प्रसन्नता होगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, पंचायतों को अधिकार देने का काम जब हमारी सरकार थी तब इस विधेयक को पास कराया था उस समय पहले ही इसका उल्लेख कर दिया गया था हम उसमें नहीं जाना चाहते । मैं एक स्पष्टीकरण संसदीय कार्य मंत्री जी लेना चाहता हूं । श्रीमन्, प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में जो अध्यापक रिटायर होंगे उनके स्थान पर शिक्षा मित्रों की ही नियुक्ति होती रहेगी अथवा ट्रेन्ड अध्यापक रखे जायेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो सेवानिवृत्त होंगे उनके स्थान पर शिक्षामित्र की ही नियुक्ति होगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, इस तरह से तो बी० टी० सी० और बी० एड० प्रशिक्षित लोग जो हैं उनकी रोजीरोटी छिन जायेगी और भारतीय जनता पार्टी मनमाने डंग से अपने कार्यकर्ताओं को जो योग्यताधारी नहीं हैं, जो उसके लिए योग्य नहीं हैं उसकी नियुक्ति करेगी । यह इनकी साजिश मात्र है यह जो इस तरह से कुचक्र रचा जा रहा है वह प्रजातंत्र के लिये घातक है ऐसा नहीं है कि जनता इससे वाकिफ नहीं है आपकी पूरी-पूरी मंशा है कि सारे शिक्षा जगत में भारतीय जनता पार्टी का आप पूरा-पूरा एक दल भेजना चाहते हैं वही आपकी मंशा है और शिक्षा जगत में राजनीति करना चाहते हैं । इस सरकार की मंशा शिक्षा को चौपट कर देने की है, मैं इसका विरोध करता हूं या तो आप बी० एड०, बी० टी० सी० ट्रेनिंग संस्थाओं को बंद कर दीजिये अन्यथा फिर यह आश्वासन मिलना चाहिए कि जो ट्रेन्ड लोग आयेंगे, उन्हीं की प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल में नियुक्ति की जायेगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, किसी भी राजनीतिक दल विशेष को वरीयता देने का कोई प्रश्न नहीं है । भारतीय जनता पार्टी के तो योग्यतम कार्यकर्ता हैं अगर अयोग्यतम होंगे तो वहां पर होंगे, यहां नहीं हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

ट्रेन्ड लोगों को छोड़कर ऐसों को शिक्षा जगत में भर दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद पद रिक्त होंगे, उस पर बी० टी० सी०, बी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त लोग होंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

इस विषय के ऊपर हम एक पालिसी लेकर आ रहे हैं । पूरा विधेयक लेकर आ रहे हैं, इसकी चर्चा 22-23 तारीख को हो जायेगी, अभी अन्ताक्षरी से क्या फायदा है ?

श्री धनीराम वर्मा–

अभी पहले स्पष्ट कह दिया है कि शिक्षा मित्र नियुक्त किये जायेंगे, यह सरकार द्वारा शिक्षा को बरबाद करने का कुचक्र किया जा रहा है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत जो लोग रिटायर होंगे, वहां बी० टी० सी० ट्रेन्ड रखे जायेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 22 को विधेयक लेकर आ रहे हैं, पूरा प्रारूप ले आयेंगे । सत्ता के विकेन्द्रीकरण के संबंध में जो माननीय कल्याण सिंह द्वारा किताब प्रस्तुत की गयी है, उसमें स्पष्ट दिया है, शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती, इसमें दिया है, शिक्षकों के सेवा निवृत्त होने या त्याग-पत्र देने या अन्य दशा में रिक्त पदों पर शासन द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जायेगी । ग्राम पंचायत, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भर्ती की जायेगी । ग्राम शिक्षा समिति न्यूनतम इण्टर योग्यता से स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्ति करेगा और ऐसे शिक्षक को 1450 रुपया प्रतिमाह नियत वेतन दिया जायेगा, यह व्ययभार शासन द्वारा वहन किया जायेगा । मान्यवर, आप जानते हैं कि इण्टरमीडिएट के छात्र ठीक से दरख्वास्त तो दे नहीं पाते हैं और शासन अपना निर्णय कर चुका है, प्राइमरी शिक्षा को चौपट करने का । मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार इसे डाइंग कैडर घोषित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

स्पष्टीकरण में भाषण नहीं दिया जाता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में जब ग्राम पंचायतें नियुक्ति करेंगी तो ट्रेन्ड व्यक्तियों की करेंगी या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कभी-कभी जानते हुए भी पाल साहब अनजान बनने का प्रयास करते हैं । जिनकी सेवायें स्थानान्तरित की जा रही हैं, उनकी पदोन्नति भी होगी, यदि वेतनमान बढ़ेगा तो वह भी दिया जायेगा, पेंशन की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी, कुल मिलाकर सेवा शर्तों में किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही मैंने कहा था और अभी भी कह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि आज इस पर कई माननीय सदस्यों की सूचना थी, इसलिये ग्राह्यता पर सुन लिया । अब 22-23 तारीख को इससे आने वाली बात है । मैं अनुरोध करूंगा, अपने सदस्यों से, कि अध्ययन

कर लें और 22-23 तारीख को जब चर्चा होगी तो यदि स्वाध्याय के पश्चात् विचार रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि जितने शिक्षकों के पद हैं उनको समाप्त नहीं किया जायेगा और उन पर बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों को ही रखा जायेगा, नलकूपों को प्रधानों को हस्तान्तरित किया जा रहा है, लेकिन उनके रखरखाव के लिए धन सिंचाई विभाग को दिये जा रहे हैं, जबकि उनके रखरखाव हेतु नियत धनराशि ग्राम सभाओं को मिलनी चाहिए । जो कर्मचारी सेवा से निवृत्त हो जायेंगे उन रिक्त पदों पर भविष्य में नियुक्ति की कोई ठोस योजना नहीं है, अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार कर्मचारी विरोधी है। जब आप को इन पदों को मृत घोषित करना था, तो अभी हाल ही में जो समूह (ग) की नियुक्तियां हुई है, उसको क्यों किया गया है, इस प्रकार से यह सरकार कर्मचारी विरोधी है । इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये)

श्री विनोद मणि–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है, इसलिये मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री विनोद मणि सदन का त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, बिजली का जो विषय है, अत्यन्त लोक महत्व का है । यह प्रश्न सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है । मुझे लम्बा चौड़ा भाषण देना नहीं आता है, केवल तथ्यों को सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत बहुत खराब है, बिजली वहां पर 2-3 घण्टों से अधिक नहीं पहुंचती है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली की हालत बहुत बुरी है । ईश्वर की कृपा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात भी नहीं हुई है और माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं कि बिजली हम 10 घण्टे दे रहे हैं । मान्यवर, सरकार की लापरवाही के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तबाह हो गये हैं, उनकी फसल सूख गयी है । अगर फसल सूख जायेगी, तो उत्पादन नहीं होगा और उसका नतीजा यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे । मान्यवर, सरकार कहती है कि जो ट्रान्सफारमर जल जाते हैं, उनको 72 घण्टे में बदल दिया जाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 72 घण्टे क्या 6 महीने में वह नहीं बदले जाते हैं, बिजली विभाग का कोई कर्मचारी बिना पैसा लिये हुए काम नहीं करता है ट्रान्सफारमर नहीं बदलता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है और लोक महत्व का है,आप इसकी ग्राह्यता पर बोलने दें । मान्यवर, ट्रान्सफारमर ओवर लोडेड हैं, जिसके कारण ठीक से बिजली नहीं आती है, मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे ट्रान्सफारमरों को चिन्हित किया जाये । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की लाइनें सबसे पहले खींची गयी थीं, इसलिये वह अब जर्जर हो गयी हैं, वह टूट जाती हैं, और उसके कारण लोगों की मौतें हो जाती हैं, जानवर मर जाते हैं, पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगता है, उनको बदला नहीं जा रहा है । मान्यवर, स्थिति यह हो गयी है कि वहां के लोग आन्दोलित हैं और बिज़ली घरों का घेराव कर रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगता है । वहां के लोग एक बिजली कर्मचारी को पकड़ ले गये, एस० डी० ओ० और एस० ई० आये और कहा कि बिजली बराबर आयेगी, हमारे कर्मचारी को छुड़वा दें, मैंने जाकर उसको छुड़वा दिया, लेकिन दूसरे दिन से फिर बिजली गायब, तो यह स्थिति है । मान्यवर, बिजली न आने के कारण यहां के लोग बहुत परेशान हैं, किसानों की फसल नष्ट हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करा दें ।

* श्री कौकब हमीद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार करता हूं । मान्यवर, आज बिजली की बहुत बड़ी समस्या है । सरकार कहती है कि बिजली दी जा रही है, लेकिन मेरी निजी जानकारी है कि देहातों में बिजली नहीं दी जा रही है, किसानों की जो फसलें हैं, वह सूख रही हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन वर्षा न होने के के कारण चौपट हो गयी है । बिजली की स्थिति यह है कि आप मंत्री जी हमारे साथ चलकर देख लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे या ढाई घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है ।आपने 33/11 के० वी० सब स्टेशन बनाये हैं . पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 15–20 खुले होंगे लेकिन सब स्टेशन खोल देने से कोई फायदा नहीं होगा जब बिजली पैदा ही नहीं हो पा रही है । आपको एन० टी० पी० सी० भी बिजली नहीं दे पा रहा है । कुमार मंगलम साहब आये थे, बड़े भाषण हुए थे कि 240 करोड़ मिलेंगे । लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने आपको पैसा नहीं दिया इसलिये नहीं दिया कि आपकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है यह प्रदेश की वित्तीय हालत है । आप यू० पी० एस० ई० बी० खत्म करके चाहे कारपोरेशन बना दें या कम्पनी बना दें । आपने अभी कृषि नीति की घोषणा की लेकिन घोषणा करने से कुछ नहीं होगा जब तक पैदावार नहीं होगी ।

इसी तरह से परिषद् को खत्म करके कम्पनी बनाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक बिजली का उत्पादन नहीं होगा । आपने पिछले बजट सेशन में घोषणा की कि 16 घंटे और 10 घंटे बिजली मिलेगी । लेकिन आप देखें कि दो-ढाई घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है । मुख्य मंत्री जी ने बजट

---

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भाषण में कहा था और आपने कहा था कि 72 घंटे के अन्दर 60 घंटे के अन्दर ट्रांसफारमर्स बदल दिये जायेंगे। लेकिन 6 महीने 3-3 महीने नहीं बदले जाते हैं। गांव वालों को पैसा देना पड़ता है तब कहीं जले हुए ट्रांसफारमर बदले जाते हैं। आजकल बारिश नहीं हो रही है आज बिजली की जरूरत है बिजली न आने से लॉ एण्ड आर्डर की समस्या पैदा हो रही है। आपके डी० एम०, एस० पी० तहसीलदार बिजली विभाग के लोगों को छुड़ाने जा रहे हैं। बिजली के लिये धरना-रोड जाम हो रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि मंत्री जी एक दौरा लगा लें और हम लोगों को बुला लें हम दिखायेंगे कि कितनी बिजली मिल रही है। यह महत्वपूर्ण है सारा काम रोककर इस पर चर्चा करायें।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर हमारे दोनों माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया। श्री कौकब हमीद ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके और उनके संज्ञान में है आपूर्ति उत्पादन के अनुपात में की जाती है। श्रीमन्, वर्षा की कमी हुई इसलिये मांग जरूर बढ़ी है लेकिन यह कहना कि मांग के अनुरूप हम पूरी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। यह सही नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी हो। लेकिन एक-दो घण्टे बिजली आती है, यह आरोप लगाना सस्ती लोकप्रियता हासिल करना प्रतीत होता है। ग्रामीण क्षेत्र में अप्रैल महीने में 8 घंटे, मई में 8.51 मिनट, जून में 8.46 मिनट बिजली की सप्लाई की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे बिजली सप्लाई करने की हमारी प्रतिबद्धता है। सदस्यगण ने आरोप लगा दिया लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के बकाये की क्या स्थिति है आपने देखा, कभी सरकार का सहयोग करने का आपने प्रयास किया। किसानों के ट्यूबवेल पर हर जिले में 50 करोड़ रुपये से कम का बकाया नहीं है। अगर हम सख्ती करें तो विरोध होगा। पैसा न दें तो बहुत अच्छी बात है। कर्मचारियों का घेराव कर दिया, कानून-व्यवस्था की बात कर दी।

किसान यूनियन के नाम पर तमाम यूनियनें बना दी। जब तक वित्तीय स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक जो भयंकर बाधायें हैं राज्य विद्युत परिषद् के सामने वह बनी रहेंगी। थोड़ा बहुत सहयोग आप लोग भी करें। जो बकाया है उसको अदा कराने का प्रयास करें। यह कहा गया कि ओवर लोड ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं। हमने तो 5 कनेक्शन, 10 कनेक्शन पर 25 के० वी० ए० का ट्रांसफार्मर लगा रखा है। जो स्वीकृत लोड है उससे ज्यादा लोड का लगा रहे हैं। फिर वह क्यों जल रहे हैं। उसका कारण आप भी जानते हैं। इस सरकार ने एक वर्ष में सेकेण्डरी सिस्टम में 200 करोड़ खर्च किये हैं। 88 तैंतीस के० वी० ए० के नये स्टेशन इस प्रदेश में बने। 200 मेगावाट लोड के ट्रांसफारमर लगवाये इसके बावजूद मांग बढ़ती गयी। उस मांग के अनुरूप हम आपूर्ति नहीं कर पाये हैं इस मारे हमने शहरों की बिजली की कटौती शुरू की। कटौती इसलिए शुरू की कि गांवों में कृषि उत्पादन न गिरे। इस बार गेहूं व गन्ने की फसल का रिकार्ड उत्पादन बिजली की वजह से हुआ।

(श्री बाबूराम यादव जी द्वारा कुछ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जब माननीय सदस्य इस प्रकार बीच में बोलें तो उसका जवाब देने के लिये आप बाध्य नहीं हैं। आप ग्राह्यता तक सीमित रखें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हमारी प्रतिबद्धता 10 घण्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में देने की है। गांवों में बिजली देने के लिये हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। हम 50 करोड़ रुपये प्रति माह की बिजली एन० टी० पी० सी० से खरीद रहे हैं। माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाया है यह पूर्णतया निराधार है। मैं सरकार की तरफ से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि गांवों के लोगों को बिजली देने में प्राथमिकता देंगे चाहे

शहर की बिजली काटनी पड़े। आज हमारी कृषि नीति प्रस्तुत हुई है। न कृषि का उत्पादन घटेगा न बिजली का कोई प्रभाव कृषि पर पड़ने देंगे। बस मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जो हमारा पैसा बकाया है उसको दिलवा दीजिए।

श्री समरपाल सिंह--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

आपको अनुमति नहीं है बोलने की।

श्री समर पाल सिंह--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

यह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री कौकब हमीद--

मंत्री जी कह रहे हैं कि किसान पैसा नहीं दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल देनदारी 1800 करोड़ रुपये है उसमें से 1400 करोड़ रुपये तो केवल सरकारी विभागों पर बकाया है। इसके अलावा बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर पैसा बकाया है। नोयडा कारपोरेशन पर 72 करोड़ रुपये बकाया है।

श्री अधिष्ठाता--

केवल स्पष्टीकरण मांगें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

हमने तो केवल यह कहा कि इतना पैसा बकाया है। यह नहीं कहा कि नहीं दिया। सरकारी बकाये की जहां तक बात है 31 मार्च, 1997 तक का जितना सरकारी विभागों पर पैसा था वह एडजस्ट हो गया। सरकारी विभाग को बिल दे रहे हैं जो पैसा नहीं दे रहा है उसकी बिजली काट रहे हैं।

श्री कौकब हमीद--

क्या 16 घंटे बिजली देंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

हम तो पूर्व में ही बता चुके हैं कि बोर्ड का कितने घंटे का रोटेशन है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रस्तुत सूचना पर श्री समर पाल सिंह, श्री कौकब हमीद व ऊर्जा मंत्री को सुनने के बाद इसको अग्राह्य करते हुए मैं निरस्त करता हूं।

(अधिष्ठाता की इस रूलिंग के विरोध स्वरूप लोकदल के सदस्य सदन को त्याग कर चले गये)

नोट :-- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

* स्वामी ओइमूवेश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, बिजनौर जनपद में जैन पेपर मिल व अन्य पेपर मिलें जो पिछले 8–10 सालों से चल रही हैं उनसे निकलने वाला कैमिकल युक्त गन्दा पानी लगभग 20–25 कि०मी० नाले में बह रहा है उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। जो पशु पानी पीते हैं वह बीमार होकर मर जाते हैं। पशु चराने वाले बच्चे जानकारी न होने की वजह से उस पानी में नहा लेते हैं जिसके कारण उनके शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, वहां मच्छरों से हालत खराब हो चुकी है।

[3 बजकर 30 मिनट]

रात में मच्छरों का इतना आतंक बढ़ जाता है कि नींद नहीं आ पाती है और पानी रिस कर हैण्ड पम्पों में चला जाता है जिसके कारण बीमारियां फैल रही हैं। इसलिए इसका निराकरण होना आवश्यक है। क्योंकि बहुत खराब बीमारियां पैदा हो रही हैं, पशु मर रहे हैं और लोगों को नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिन पेपर मिल्स का जिक्र किया गया है– मेसर्स चारू पेपर मिल से जो भी पानी निकलता है उसके नमूने लिये गये और उनका परीक्षण कराया गया। परीक्षण करने वाली इकाई ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि जो मानक हैं उन मानकों के अनुरूप इन नमूनों को पाया गया और पशुओं, फसलों तथा मानव जीवन को होने वाली हानि सही नहीं पायी गयी। ऐसे ही दूसरी मोहित पेपर मिल और मै० जैन पेपर मिल जिनके नमूने भी लिये गये, रिपोर्ट आ गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नमूने निर्धारित मानकों के अनुरुप हैं। उद्योग द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह की समस्या है इसके निराकरण हेतु लिख दिया गया है। वैसे चारू पेपर मिल तो आपके ही लोगों की हैं यदि कहीं पर ऐसी कोई गलती है तो आप स्वयं उसको ठीक करा लीजिए।

स्वामी ओइमूवेश–

मान्यवर, नमूने तो किसी भी समय 10-20 हजार रुपये देकर ठीक कराये जा सकते हैं। आप स्वयं पता लगा लें कि वहां कितना बुरा हाल है। जिलाधिकारी को कई बार लिखकर दिया, जिले की मीटिंग में भी इस बात को उठाया गया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है मैं उनका सम्मान करता हूं जैसा कि उन्होने कहा हम दुबारा नमूने ले लेंगे और उनका परीक्षण करा लेंगे। वास्तव में यदि इन इकाइयों द्वारा प्रदूषण फैल रहा है तो हम निश्चित रूप से इनके विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

श्री स्वामी ओइमूवेश तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं।

अगली सूचना श्री मुख्तार अंसारी, श्री राजेन्द्र यादव और श्री योगेन्द्र कुमार जी की है।

(तीनों माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री लालजी वर्मा द्वारा यह कहे जाने पर श्री मुख्तार अंसारी जी हां लावी से आ रहे हैं)

श्री अधिष्ठाता–

यह तो गैर जिम्मेदाराना हरकत है, उनको सदन में रहना चाहिए । बाद में देखेंगे । मैंने अगली सूचना ले ली है ।

* श्री चन्द्रपाल सिंह यादव--

माननीय अधिष्ठाता जी, झांसी जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति जबर्दस्त तरीके से दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है, उनके ऊपर लगातार फर्जी मुकदमें कायम किये जा रहे हैं । लोहिया वाहिनी के पूर्व अध्यक्ष थे श्री दीप नारायन यादव जी उनके चचेरे भाई मोठ ब्लाक झांसी जनपद के ब्लाक प्रमुख हैं चरन सिंह जी इनके खिलाफ 395 का फर्जी मुकदमा कायम कराया गया । बाद में मा० उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किये गये । उसके पश्चात् वहां पर गैंगस्टर ऐक्ट की कार्यवाही कर दी गई । उनको उसके अन्तर्गत निरूद्ध कर दिया गया और जब वे जमानत के लिये प्रार्थना-पत्र देते हैं माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार हो जाता है उसके बाद जिला प्रशासन की हठधर्मिता के कारण उनको रासुका में निरूद्ध कर दिया गया है और मान्यवर, वे चार महीने से लगातार जेल में बन्द हैं और उन्हें इतनी मानसिक पीड़ा दी जा रही है उनके साथ इतनी प्रताड़ना की जा रही है कि उन्हें दिन प्रतिदिन परेशान किया जा रहा है । इतना ही नहीं उनके परिवार के लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा है उन्हें अपने लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब पार्टी के विधायक मिलने के लिये जाते हैं जो जेल के अधीक्षक हैं कहते हैं कि बिना डी० एम० की परमीशन के किसी को मिलने नहीं दिया जा सकता ।

मान्यवर, विधायकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है । इतना ही नहीं रासुका में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है । वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जो मां-बाप की सम्पत्ति है, खेत और मकान है उन्हें डी० एम० के आदेश के द्वारा पूरी सम्पत्ति की कुर्की करा दी गई है । मकान को खाली करा कर सील कर दिया है । उनके परिवार के लोगों को घर के बाहर कर दिया है । जमीन-जायजाद को नीलाम करके दूसरे लोगों को दे दिया गया है । श्रीमन्, इस तरह की दण्डात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है । उनको प्रताड़ित करने का कुचक्र किया जा रहा है । सुरक्षा के लिये दिये गये लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है और निरस्त कर दिये गये हैं । अगर माननीय उच्च न्यायालय से उन्हें स्थगन आदेश प्राप्त हो गया है तो उसके बाद डी० एम० दूसरा आदेश देकर उनके अस्त्र जमा करने का काम कर रहे हैं । इतना ही नहीं हो रहा है । समाजवादी पार्टी के नेता है उनकी हत्या हो जाती है । पहले उनका लाइसेंस निरस्त किया जाता है और 24 घंटे के अन्दर हथियार जमा करने का आदेश दिया जाता है । हथियार जमा कराने के बाद अपराधियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्या की जा रही है । लोहियावाहिनी के श्री कैलाश यादव जी का पहले लाइसेंस निरस्त किया गया ।

लाइसेंस निरस्त करने के बाद जब वे निहत्थे हो गये तो दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई और लाश को ले जाकर कई किमी० दूर फेंक दिया । आज भी हत्यारों को गिरफ्तार करने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । हत्यारे आज भी थाने में जाकर बैठते हैं । एस०एस०पी० और कलेक्टर के यहां बैठ रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । समाजवादी पार्टी के चार दर्जन लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है लेकिन उन्हें गुन्डा ऐक्ट का नोटिस दिया गया है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और कार्यवाही चल रही है । सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिये हथियार मिले थे और जिला प्रशासन ने ही लाइसेंस दिया था लेकिन श्रीमन्, उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है । केवल एस०पी० के कार्यकर्त्ता और नेताओं के उपर इस तरह से कार्यवाही की जा रही है और अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमें हैं उन्हें खुले आम लाइसेंस दिया जा रहा है उन्हें लाइसेंस लेकर घूमने की अनुमति दी जा रही है । इन लोगों से मिलकर समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्या करने की साजिश की जा रही है । मान्यवर, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इसको देखे कि जिला प्रशासन इस तरह से लोगों को प्रताड़ित कर रहा है । क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी । हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर यह सारी कार्यवाही की जा रही हो मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को जीने का अधिकार नहीं है अपनी सुरक्षा का अधिकार नहीं है । मान्यवर, फर्जी मुकदमें कायम किये जा रहे हैं रासुका लगया जा रहा है फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनकी सम्पत्ति को नष्ट किया जा रहा है । उनको प्रताड़ित किया जा रहा है मान्यवर आप इस पीठ से निर्देश दें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहें है उनकी हत्यायें हो रही है । उसको रोका जाए हमको धमकियां दी जा रही है इस पीठ से, इस पवित्र पीठ से निर्देश दिये जाते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है । उत्तर प्रदेश सरकार को दो-तीन बार मेरी सुरक्षा के लिए निर्देश दिये जा चुके हैं लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है इस सरकार ने मेरी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया है किसी समय हत्या कराई जा सकती है । साजिश की जा रही है षडयंत्र हो रहा है अपराधियों को बुलाकर हत्या के प्रयास किये जा रहे हैं, अधिकारी अपराधियों के पास बैठकर उनको हत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं । इससे ज्यादा लोक महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है । मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि इस सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाये ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, प्रजातंत्र में सरकारें आती हैं, चली जाती हैं । संसार की कोई चीज स्थिर नहीं है चूंकि अस्थिर है तो जो सरकार बनती हैं उन सरकारों के स्थायी होने का प्रश्न ही नहीं है । कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से हमारे विधायक चन्द्रपाल सिंह जी ने जो बातें सदन में रखी है वह अत्यन्त लोक महत्व की हैं यह कहां का न्याय है कि किसी की हत्या हो जाये, नामजद रिपोर्ट हो जाये वह अपराधी पकड़ा न जाये किसी पर कोई आपराधिक मुकदमा न हो और जिस पर कोई आपराधिक मुकदमा न हो उस पर जानबूझ कर थोड़े दिन के अन्दर तमाम आपराधिक मुकदमें दर्ज कर दिये जायें । ताकि वह चुनाव न लड़ने पायें अदालती आदेश हाई कोर्ट के आदेश तक का पालन न कराया जाय यह इस प्रजातंत्र का गला घोंटने जैसा है । यह सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है इससे ऐसा नहीं है कि जनता में भय पैदा हो जायेगा जनता में आक्रोश पैदा होता है जब दंडात्मक कार्यवाही की जाती है तो जनता में आक्रोश पैदा होता है अंग्रेज की दंडात्मक नीति के कारण जनता में आक्रोश पैदा हुआ और दो सौ साल पुराना उसका साम्राज्य नष्ट हो गया । श्रीमन् मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि यह दंडात्मक कार्यवाही हमारे झांसी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो की जा रही है लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है यह रोकी जाए और जो माननीय विधायक जी को सुरक्षा प्रदान करने का काम नहीं किया गया है वह अविलम्ब कराया जाये । हमारे विधायक जी की हत्या होती है तो इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती है और अगर नहीं करवा रही है तो सरकार को सचेत हो करके इस बात की छानबीन करनी चाहिए, जांच करवानी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए । समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए । प्रश्न चूंकि अविलम्बनीय है और लोक महत्व का है इसलिए इस पर बल देकर मैं कह रहा हूं कि इन पर चर्चा करायी जाय जिससे सारे तथ्यों का उजागर हो सके ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह घटना 22-2-99 की है और इसके बारे में माननीय चन्द्रपाल जी द्वारा इसके पूर्व भी इस प्रकरण को उठाया गया और बड़े विस्तार से विचार रखे थे। अविलम्बनीयता की बात कही गयी इसलिए तारीख का उल्लेख करना पड़ा। इसमें 395 और 397 का मुकदमा कायम हुआ। 9 व्यक्ति नामजद हैं और आठ-दस व्यक्ति अज्ञात हैं। जो नामजद थे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया और जब वह गिरफ्तार नहीं हुए तो उन्हें फरार घोषित किया गया और 82, 83 की कार्यवाही की गयी और उस कार्यवाही का यह परिणाम हुआ कि कुछ लोग 27 मार्च को, कुछ 6 अप्रैल को, कुछ 21 अप्रैल को, कुछ लोगों ने 23 अप्रैल को आत्मसम्मर्पण कर दिया। दो बातें हैं, डकैती जैसी गम्भीर धारा का मुकदमा कायम किया गया और उसमें जो कार्यवाही होती है, यह स्वाभाविक है कि यदि उसके पास हथियार का लाइसेंस है तो वह जब्त किया जायेगा। चाहे जो भी शासनकाल हो यदि उसकी आस्था कानून व्यवस्था में हैं तो वह हथियार का लाईसेंस नहीं रहने देगा। दूसरा जो आपने कहा कि यह कार्यवाही राजनीतिक द्वेष के कारण की गयी तो यह प्रश्न ही नहीं उठता है। एक आदमी वोट डालने जा रहा है, झगड़ा हुआ, अब अगर किसी व्यक्ति की राइफल या बन्दूक छीन ली जाय और यह पुलिस प्रशासन देखता रहे तो धिक्कार है। कोई दुर्भावना होने का सवाल ही नहीं उठता है। निष्पक्षता के साथ कार्यवाही हो रही है। न्यायालय में साक्ष्य के आधार पर निर्णय होगा और वह हमें भी और आपको भी मान्य होगा।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात कही है तो वह यह बताने की कृपा करें कि जो यह 395 और 397 का मुकदमा कायम हुआ तो किस व्यक्ति के ऊपर डकैती पड़ी थी, क्या घटना थी। क्योंकि सहकारिता का चुनाव हो रहा था। दो पक्षों में विवाद हुआ हैरेसमेन्ट करने के लिए क्योंकि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वह पहले भी जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन था और वह फिर चैयरमैन होने वाला थां, तो उसको रोकने के लिए जेल में बन्द किया और 395 और 397 का मुकदमा कायम हुआ। जिला सहकारी बैंक का चुनाव हुआ उसने जेल से पर्चा दाखिल किया। कोर्ट ने आदेश दिया। मान्यवर, उस दिन कोर्ट ने आदेश दिया कि पर्चा दाखिल कराया जाए और इनका मत जेल से प्राप्त करके गिनती की जाए। पर्चा दाखिल कराया गया। 11.00 बजे जांच हुई चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ उसके बाद 4.00 बजे वोट डालने का मौका आया तो मना कर दिया गया कि जेल में हैं। एक वोट से जीतने का काम सरकार ने कर लिया। [× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर आप भाषण कर रहे हैं। यह अंकित नहीं किया जायेगा। आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न हों उस तक सीमित रखें।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, 395/397 का मुकदमा कायम किया गया किस व्यक्ति पर डकैती थी क्या मामला हुआ। दूसरे, एक व्यक्ति पर मुकदमा, जेल में लोग उससे मिलने जाते हैं उनको मिलने न दिया जाए यह कहां का न्याय है। तीसरे, जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिये जाएं उन पर गुण्डा ऐक्ट लागू कर दिया जाए, उनकी सम्पत्ति सम्बद्ध कर दी जाए, यह कहां का न्याय है। मान्यवर, वहां लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष की हत्या हुई हत्यारे आज भी थाने पर बैठे हैं डी० एम० और एस० एस० पी० से मिल रहे हैं। इसी तरीके से पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष की हत्या हुई एक साल हो गया हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए प्रयास यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कराई जाए। साजिशन उनसे मिलकर उनको समाप्त करने का काम किया जा रहा है।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह गजेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की पिटाई की गई, सुरक्षा कर्मी की राइफल छीनी गई यह छीनना भी डकैती है । अपराध संख्या 16, 1999 कायम किया गया इसके अलावा 9 व्यक्ति नामजद किये गये और 8–10 व्यक्ति अज्ञात बताये गये । मान्यवर, जेल में मिलने की जो बात है वह न्यायिक अभिरक्षा में है तो जो प्राविधान हैं वह लागू रहेंगे । जो निकट सम्बन्धियों की लाइसेंस आदि निरस्त आदि करने की बात है स्थानीय प्रशासन ने परिस्थिति को देखते हुए कार्यवाही की है । माननीय विधायक जी कोई शिकायत है तो जानकारी दे दें हम उस पर कार्यवाही कर देंगे ।

श्री धनीराम वर्मा

श्रीमन्, हमारे माननीय विधायक जी ने अपनी सुरक्षा के बारे में भी सदन में बात रखी उस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय विधायक जी को सुरक्षा प्रदान करेंगे ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर हाईकोर्ट ने 395-397 के मुकदमें में जमानतें दे दी हैं और वह अन्दर बन्द रहे तो फिर उन पर गैंगस्टर और रासुका लगाने का क्या औचित्य है ? क्या जेल में रहकर उन्होंने कोई अपराध कर दिया है जिसकी वजह से उनके ऊपर गैंगस्टर और रासुका लगा दिया गया है । इसकी रिपोर्ट जरूर की गयी होगी और थाने में उसका रिकार्ड जरूर होगा, रायफल छीनी गयी तो क्या थाने में इस तरह की बात अंकित है और अगर जी० डी० में अंकित नहीं है तो यह नितान्त असत्य है और दमनात्मक कार्यवाही है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी 22 तारीख को इसे अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, चूंकि यह मामला काफी पुराना हो गया है । जी० डी० की बात कही गयी है । मैंने अपराध संख्या बता दिया और यह बता दिया कि यह घटना हुई उसके बाद माननीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट से लेकर उच्च न्यायालय तक प्रकरण चला गया । सारी बातों को प्रमोद कुमार जैसे अधिवक्ताओं ने बहस की होगी बहुत सारी चीजें छन कर वहां भी आयी होंगी और बहस की गयी होगी और उसके बाद सारी बातें तय की गयी होंगी । मान्यवर, जहां तक सम्मानित विधायक की सुरक्षा की बात है उनकी सुरक्षा के बारे में मैं भी चिन्तित हूं । मैं बात कर लूंगा जो नियमानुसार होगा, कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री चन्द्रपाल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसको अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं ।

चौथी सूचना श्री मुख्तार अंसारी, श्री राजेन्द्र यादव एवं श्री योगेन्द्र कुमार की है । एक बात बता देता हूं कि जो माननीय सदस्य सूचना देता है उन माननीय सदस्य की जब सुचनाएं सुनी जाती हैं, सदन में उपस्थित रहना चाहिए, भविष्य में इस बात का ध्यान रखें ।

श्री मुख्तार अंसारी–

श्रीमन्, हमारा गृह जनपद गाजीपुर के गांव पखनपुरा के इश्तियाक खां जो कारगिल मोर्चे पर 3 जुलाई को शहीद हुए अभी तक उनको कोई सहायता धनराशि नहीं दी गयी है । दो माह पूर्व शहबाज कुली ग्राम की श्रीमती रशीदा बेगम से उनकी शादी हुई थी । 10 जुलाई को लाश गांव पर लाई गई जहां दफन हुए हैं और उनके एक भाई सरहद पर लड़ते हुए दोनों पैर गवां दिये हैं, उनको गांव

भेज दिया गया है, जिससे जनता में बेहद रोष व्याप्त है । हमारा अनुरोध है कि इस मामले को आप दिखवा लें, उस गांव में कोई बालिका विद्यालय नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, 10 हजार की आबादी का यह गांव है, मैं चाहता हूं कि उनके परिवार को आप राहत दिलाने की कृपा करें ।

* लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, गाजीपुर जनपद में अब तक की सूचना के हिसाब से 3 जवान शहीद हुए हैं, कारगिल में संघर्ष करते हुए । एक शमशेर सिंह चौहान और दूसरे विनोद सिंह और तीसरे श्री इश्तियाक अंसारी । मैं 5 तारीख को स्वयं वहां गया था, उस समय तक शमशेर सिंह चौहान और विनोद सिंह की जानकारी थी, मैं उनके यहां गया था । उस समय इश्तियाक अंसारी के बारे में जानकारी नहीं थी, यह जानकारी अभी 2-3 दिन पहले मिली है । मैं स्वयं 18 तारीख को वहां जा रहा हूं, मैं माननीय विधायक जी से भी आग्रह करता हूं कि आप जाय तो अच्छा है । जो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है, उसे मैं स्वयं अपने हाथ से यहां दूंगा । मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं और पूरे सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि कारगिल क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के जो भी जवान शहीद हुए हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके यहां सड़क नहीं है, वहां सड़क भी बनवाऊंगा और उनके नाम से उस मार्ग का नाम भी रखा जायेगा । घायलों के लिये जो तय हुआ है, वह किया जायेगा । जो भी किया जा सकता है, वह किया जायेगा ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'')–

मैंने माननीय अंसारी साहब को सुना, । इसमें काम रोको की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार खुद काम कर रही है और सबको मिलकर काम करने की जरूरत है । जहां तक गाजीपुर जिले की बात है, सभी लोग जानते हैं, अमर शहीद अब्दुल हमीद का गांव धामापुर और अमर शहीद रामउग्रह पाण्डेय का गांव अहिमावंशी यही हैं इन गांवों में उनके स्मारक बनाये गये हैं इनका विकास किया गया है और जितने भी शहीदों के गांव हैं, उन सभी के लिये सैनिक कल्याण की तरफ से योजना बनाई है और जो शासन में विचार के लिये चली गई है । जैसा कि लोक निर्माण मंत्री जी ने कहा है कि शहीद ग्रामों तक वह सड़क बनवा देंगे, विद्युत मंत्री ने कहा है कि इन ग्रामों का वह विद्युतीकरण करवा देंगे । मैंने समूह रूप में पूरी योजना को तैयार किया है, मैं तो चाहता हूं कि जितने ऐसे गांव हैं, उनका अम्बेडकर गांव, गांधी ग्राम की तरह शहीद ग्राम के रूप में सम्पूर्ण विकास किया जाय, ऐसी ही योजना शासन के विचाराधीन है ।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा है कि वह स्वयं वहां जा रहे हैं, जो घोषणा है, उसके अनुसार देंगे, बाकी विकास की योजनायें सरकार ने ले ली हैं, तदनुसार विकास कराया जायेगा । जो जवान अपंग हुए हैं, जिसके कारण वह न सेना में जाने लायक हैं, न अन्य काम करने लायक हैं, उनके लिये वृहद योजना है और सरकार उनके लिये 5 तरह की सुविधायें प्रदान कर रही है, उनको वेतन भी मिलेगा, उनके साथ ही अन्य सुविधायें भी हैं, वह भी दी जायेंगी, जिससे उनको जीवन में कठिनाई न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आये । मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि इसमें काम रोको की जगह काम करने की आवश्यकता है और मिलजुलकर काम किया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बड़ी सहानुभूतिपूर्वक बात हो रही है । सरकार को जानकारी नहीं है, 3 जुलाई को उनको दफन कर दिया गया है । यहां भाषण बड़े लम्बे-चौड़े हो रहे हैं, कोई यह बताने को तैयार नहीं है । मान्यवर, शहीदों के सम्मान की यह बात है, शहीद को दफना दिया गया है, लेकिन उसके परिवार वालों को सहायता राशि अभी तक नहीं दी गयी है ।

श्री मुख्तार अंसारी–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिन नवजवानों ने इस देश की रक्षा के लिये अपने प्राणों की बाजी लगा दी है, अपना बलिदान कर दिया है, उसको राजनैतिक रंग न दिया जाये । यह मैं सभी सदस्यों से कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

शहीदों के परिवार वालों को जो कुछ अधिक से अधिक दिया जा सकता है, उसमें कहीं कोताही न की जाये । जैसा कि अभी समाज कल्याण मंत्री जी ने कहा है कि जिस गांव के लोग शहीद हुए हैं, उन गांवों को शहीद गांव का दर्जा दिया जायेगा, उनके गांव को जितना गौरवान्वित किया जा सकता है, गौरवान्वित किया जायेगा । आज सारा देश एक है । मेरा निवेदन है कि इस बात को यहीं पर समाप्त करें । मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

अब मैं इन मा० सदस्यों की इनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर	जनपद अम्बेडकर नगर में अकबरपुर सरायनगर में तहसील भवन का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में ।
श्री अवधेश प्रसाद एवं श्री उदय राज यादव	प्रदेश में अनावृष्टि से उत्पन्न सूखे के कारण किसानों के समक्ष उत्पन्न भयावह स्थिति के संबंध में ।
श्री लालमणि प्रसाद	जनपद संत कबीर नगर एवं अन्य नवसृजित जिलों को बरकरार रखने के संबंध में ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नवीं सूचना जो श्री राम कृपाल की है, उसको 23 तारीख को लिया जायेगा और 10वीं सूचना श्री अकबर हुसैन की है जो जनपद मुरादाबाद की बिलारी तहसील के अन्तर्गत कतिपय गांवों के किसानों की भूमि यू० पी० डेस्को के तहत संचालित ग्रोथ सेन्टर योजना में अधिग्रहीत किये जाने से किसानों के समक्ष उत्पन्न जीविकोपार्जन की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में है, उस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और शेष सभी सूचनाओं को निरस्त किया जाता है।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप का क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कारगिल के शहीद हुए एक वीर के अपमान के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा था, उसी सूचना के संबंध में मा० प्रमोद कुमार जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मान्यवर, मेरी सूचना है कि मंत्रि परिषद् के लोग प्रदेश के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं अपव्यय कर रहे हैं और गलत तरीके से घूम रहे हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि मंत्रि परिषद् के राज्य मंत्री हेलीकाप्टर से रोज घूम रहे हैं अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। तीस-तीस और चालीस-चालीस जगह रोज उतर रहे हैं इस तरह से मंत्रि परिषद् के सदस्य नियम और कानून को तोड़कर कार्य कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक एक अतिसंवेदनशील राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यह प्रश्न जनभावना से और देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। 3 जुलाई को शहीद श्री अंसारी वीरगति को प्राप्त हुए थे। 10 जुलाई को गाजीपुर में उनको सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। आज 15 तारीख है शासन का कोई भी मंत्री यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उनको शासकीय सम्मान दिया गया या नहीं।

(शोर)

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, यह व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है । एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मैंने दे दी तो फिर सबका कर्तव्य है कि हम सहिष्णुतापूर्वक उसको सुनें । उस पर निर्णय तो मुझे करना है । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि संसदीय नियमों और परम्पराओं का पालन कैसे सुन्दर ढंग से हो, जिससे सदन का वातावरण न बिगड़े और जनता के बीच गलत संदेश न जाय और उससे उत्तेजना न फैले और अनावश्यक बात कहकर उसका राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा न की जाय । वाक्चातुर्य तो ठीक है लेकिन संसदीय चालाकी को हम सब पसंद नहीं करेंगे । व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय बहुत सावधानी से शब्दों का चयन किया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कारगिल के मोर्चे पर भारत के जवान शहीद हो रहे हैं और विजय का इतिहास लिख रहे हैं । लेकिन बार-बार कहने के बावजूद भी सरकार उनके प्रति उदासीन रही है । एक सदस्य ने इसकी नियम 56 में सूचना दी अधिकृत रूप से सूचना दी कि 3 जुलाई को अंसारी जी शहीद हुए और 10 जुलाई को उनको गाजीपुर में सुपुर्दे-ए-खाक किया गया और आज तक उनको आर्थिक सहायता के रूप में शासन ने जो घोषणा की थी उसको नहीं दिया गया । मैं व्यवस्था के माध्यम से शासन से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो शहीद कारगिल के मोर्चे पर शहीद हुए हैं उनके आने पर उनके गांव में किसी मंत्री को जाना था ? हमें और उनके सुपुर्द-ए-खक करते समय राजकीय सम्मान देने के समय सम्मिलित होना चाहिए या नहीं । आज 15 जुलाई हो गयी है कोई मंत्री यह कहने की स्थिति में नहीं है कि उनके शव आये भी या नहीं और उनको शासकीय सम्मान दिया गया या नहीं । क्या शहीदों के सम्मान के प्रति शासन की इस तरह की उदासीनता उचित है ?

श्री अधिष्ठाता–

पहली बात तो यह है कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कही । उन्होंने कहा कि 5 तारीख तक कोई सूचना नहीं थी ।

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 10 जुलाई, 1999 को हमें जैसे ही सूचना मिली कि हमारे भारत मां के वीर सपूत का शव बावतपुर हवाई अड्डे पर पहुंचा है तो मैं सारा कार्यक्रम छोड़कर हवाई अड्डे पर पहुंची । पूरे राजकीय सम्मान के साथ गाजीपुर भेजने के पूर्व उनके शव को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की । जिलाधिकारी को टी० आर०–27 के अन्तर्गत तुरन्त शासन द्वारा प्रदत्त सुविदायें उनके परिवार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया । वह तो ऐसा सपूत था जिसने 26 दुश्मनों को मारकर वीरगति पायी थी और केवल 15 दिन पूर्व उनका विवाह हुआ था और उनकी 22 वर्ष की केवल उम्र थी । हम सभी जो भी वहां उपस्थित थे यह कहना कि किसी प्रकार का भेदभाव इस प्रकरण में किया गया जिसमें आज सम्पूर्ण राष्ट्र इकट्ठा है, एकजुटता के साथ खड़ा है । सारे निजी स्वार्थ को छोड़कर हम सब एक हैं । आज यह कहना मुझे तो लगता है कि जब बहुत गैर-जिम्मेदाराना बात होगी और राष्ट्र के प्रति गैर जिम्मेदारी की परिचायक होगी । ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बिना जानकारी के यह बात कह देना गलत है । मेरी पूरी उपस्थिति उसमें थी ।

(घोर व्यवधान/शोर)

श्री मुख्तार अंसारी–

क्या कोई मंत्री उनके गांव गया था ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी बात सच हो गयी, कोई मंत्री उनके गांव नहीं गया ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैंने कहा था कि 5 तारीख तक मुझे सूचना नहीं थी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं इस पर किसी माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं कोई भी मंत्री शहीद के गांव में नहीं गया। अगर गया है तो सदन में जिम्मेदारी के साथ कह दे कि उस वीर सपूत के सुपुर्दे खाक के समय कोई मंत्री उपस्थित था।

(व्यवधान के मध्य)

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

बिना जानकारी के यहां पर कह देते हैं। यह उचित नहीं है। जहां पर मंत्री नहीं जाते हैं वहां पर जिलाधिकारी को शासन के प्रतिनिधि के नाते भेजा जाता है।

श्री प्रमोद कुमार–

कोई मंत्री अगर वहां शहीद के गांव गया होता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो यह इस्तीफा दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आप सबसे निवेदन किया कृपा करके इस विषय पर किसी प्रकार की कोई गैर जिम्मेदारी वाली बात मत करें यह शोभा नहीं देती।

(इसी मध्य कारगिल प्रकरण पर बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्य सदन त्यागकर चले गये)

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इस समय कोई अनुरोध नहीं। श्री राम औतार शाक्य अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मेरी नियम 56 में नोटिस थी उसे स्थगित कर दें। उस समय शोर शराबा हो रहा था।

श्री अधिष्ठाता–

इसको मैंने कह दिया है कि 22 तारीख को सुना जाएगा।

श्री राम औतार शाक्य संकल्प उपस्थित करना चाहते हों तो करें। मैंने कई बार उनका नाम पुकारा है।

चूंकि वह संकल्प प्रस्तुत नहीं करना चाहते है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

[4 बजकर 30 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

मा० मंत्री जी, आप अपना विचार भी रख दीजिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, विचार हो गये ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, [× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनर्गल प्रलाप करने की अनुमति नहीं दूंगा । संशोधन तक ही अपने को सीमित रखें तो सदन सम्मान से सुनेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

भूमिका नहीं बांधेंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आपकी भूमिका संशोधन से कही से भी सम्बद्ध नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, सरकार की नीयत खराब है, हर मोर्चे पर चाहे वह पंचायतराज अधिनियम हो, कराधान का मामला हो, इस उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी साजिश की है । मोटर का जो धन्धा है उसमें जो ट्रक का मामला है, टाटा, बिरला, डालमियां से मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था बनायी कि ये ट्रक माल कम ले जायेंगे तो इससे स्थिति यह होगी कि टाटा, बिरला और डालमिया से ट्रक लेने का काम इस सरकार ने ले लिया जिसमें करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई । इसी तरह से यह बिल भी ऐसा ही है, श्री कलराज मिश्रा जी बैठे हुए हैं परन्तु इसमें ऐसे मंत्री भी हैं जिन्होंने इतना बड़ा करप्शन किया है जैसे अशोक यादव, हेलीकाप्टर को रोज पचास-पचास जगह ले जाते हैं ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

आप सभी लोग चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं और हमको बड़ी अपेक्षाओं के साथ जनता चुन कर भेजती है और आपको भी जानकारी है कि आपके मुंह से एक-एक मिनट निकली हुई वाणी पर उत्तर प्रदेश की जनता का कितना अधिक धन खर्च होता है। इसलिए आपका एक-एक शब्द बहुमूल्य होना चाहिए। जिससे कि प्रदेश की जनता को यह मालूम हो सके कि हमारे प्रतिनिधि अमानत में खयानत नहीं कर रहे हैं और एक-एक पैसा जनता का जो खर्च कर रहे है वह सार्थक हो रहा है। श्री शाक्य जी आप बहुत विद्वान सदस्य हैं इसलिए आप अपने शब्दों को मोती में पिरो करके बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जब भी आप इस कुर्सी पर बैठते हैं तो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी यह कह सके कि इस कुर्सी पर सरदार जी बैठते थे। तमाम रूलिंग दीं उसका अनुकरण किया जायेगा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि सदन का समय बहुत कीमती है। सदन का समय कीमती है मैं समझता हूं लेकिन इस देश का एक-एक रुपया जो खून और पसीने की कमाई है इस देश में प्रदेश में रहने वाले गांव के मजदूर और किसान राजस्व देते हैं, पैदा करते हैं यह किसी को अधिकार नहीं है कि इस मंत्रि मण्डल में बैठे लोग करेप्शन करें, भ्रष्टाचार करें, ब्लैक मेलिंग करें। एक-एक मंत्री.....

श्री अधिष्ठाता–

विषय पर आइये।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं विषय पर ही आ रहा हूं। आज सदन अनवरत् रूप से चला और एक मिनट के लिये भी स्थगित नहीं हुआ। आपने हमारे व्यवस्था के सवाल को भी नहीं सुना। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूं [× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह जितना कुछ कहा गया है अंकित नहीं किया जायेगा। संशोधन के बारे में कोई बात कहें तो वह ठीक है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं विषय पर आ रहा हूं यह तो भूमिका थी। मान्यवर, आगे कोई ज्यादा बिजनेस नहीं पड़ा है। 10 मिनट बाद हाउस समाप्त हो जायेगा। इतने मूल्यवान सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं इतने विद्वान पद पर आप बैठे हुए हैं। संशोधन के बारे में इस मंत्रिमण्डल की वीर गाथा सुन लीजिये। एक तरफ कारगिल में लोग शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ मंत्री लोग लूट पाट किये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

लोकतंत्र में परस्पर आलोचना करने का अधिकार दिया गया है मगर यह आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए तथ्यों से परे नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की गलत सूचना देने की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए और मैं किसी माननीय सदस्य को विदूषक के रूप में जनता याद करे इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं सुसंगत आलोचना करूंगा । मैं आभारी हूं कि आपने मुझे आश्वस्त कर दिया है और मैं सुसंगत आलोचना ही करूंगा लेकिन सुसंगत आलोचना यह भी है कि इस अधिनियम के संशोधन के पीछे इनकी गहरी साजिश है । यह सिवाय करप्शन, अनाचार और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ देते नहीं हैं । मैने एक उदाहरण दिया ट्रक वाला मैं उसको फिर रिपीट करना चाहता हूं एक ट्रक की मंडी आई । क्यों आई थी वह इसलिये आई थी कि यह बड़े-बड़े पूंजीपतियों के यहां ट्रकों का स्टोर हो गया और जब स्टोर हो गया तो उन्होंने सोचा ट्रक बिक नहीं रहे हैं । उन्होने उत्तर प्रदेश की सरकार को और उसके मंत्रियों को पटाया और कहा कि उसमें जो भार है कम कर दिया जाय । जब भार कम कर दिया गया तो ट्रकों की आवश्यकता हुई और तब पूंजीपतियों के ट्रक बिकने लगे । इसके पीछे करोड़ों का घपला है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं । यह इसकी जांच करा लें इसके अलावा मान्यवर जो भ्रष्टाचार का मामला है यह अहम मामला है अगर सारे मामले सदन में नहीं उठेंगे तो कैसे होगा ? आप विद्वान हैं इसमें आप अपनी व्यवस्था दे दें । इसी के साथ मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ताकि इसका विश्लेषण हो सके ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर जो उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नितांत आवश्यक था । रामऔतार शाक्य जी को घपला और गड़बड़ी दिखाई देती है । पूंजीपतियों का चश्मा इनके ऊपर चढ़ा रहता है इन्होंने विधेयक को ठीक प्रकार से देखा नहीं है न ही इन्होंने इसकी मंशा को समझा है हम दो व्यवस्थायें इसके माध्यम से कर रहे हैं ।उत्तरांचल के भीतर जो वहां पर मोटर यानों पर अतिरिक्त करों की दरें थीं उस अतिरिक्त करों की दरों को हटा रहे हैं दस प्रतिशत के हिसाब से, ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके ।

उत्तर प्रदेश में अन्य मैदानी इलाके हैं उसमें अतिरिक्त कर लगता है लेकिन मेरठ में अतिरिक्त कर ज्यादा लगता था मेरठ मंडल को यह सुविधा दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्य मैदानी इलाकों में जो दरें लागू हैं उतनी कर की दरें मेरठ मंडल में रखेंगे जैसा कि समरपाल जी कहते हैं कि भेद-भाव हुआ है तो मेरठ की दरों को कम कर रहे हैं जिसके कारण 162.87 लाख रुपये की राहत मेरठ मंडल के लोगों को पहुंचेगी । 17.22 लाख की राहत उत्तरांचल में चलने वाले यात्रियों को पहुंचेगी । यात्रियों के ऊपर जो अतिरिक्त कर लगता था इसमें सरकार जो छूट दे रही है इसके लिए अध्यादेश लागू किया गया था उसको हमने जनहित में विधेयक के रुप में प्रस्तुत किया है मैं अपेक्षा करता था कि राम औतार शाक्य तथा समाजवादी पार्टी व अन्य पार्टी के लोग सर्वसम्मति से इसको पास होने देंगे । मैं समझता हूं जनहित को देखते हुए जो संशोधन प्रस्ताव शाक्य जी लाये हैं वह वापस लेंगे और सर्वसम्मति से इसको पास होने देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी, वापस ले रहे हैं ?

श्री राम औतार शाक्य–

वापस लेने का सवाल ही नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सपुर्द कर दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2-4 तक, अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा ।

(2) यह 9 नवम्बर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,

चतुर्थ अनुसूची में,–

(क) अनुच्छेद–एक में, शब्द "मेरठ और" निकाल दिये जायेंगे,

(ख) अनुच्छेद–दो में, खण्ड (क) में,–

(एक) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ–3 में दिए गये अंक "140.00" के स्थान पर अंक "133.00" रख दिये जायेंगे ।

(दो) क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ–3 में दिए गये अंक "177.00" के स्थान पर अंक "169.00" रख दिये जायेंगे ।

(तीन) क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ–3 में दिए गये अंक "223.00" के स्थान पर अंक "214.00" रख दिये जायेंगे ।

(चार) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ–3 में दिए गये अंक "280.00" के स्थान पर अंक "267.00" रख दिये जायेंगे ।

(पांच) क्रम संख्या 5 के सम्मुख स्तम्भ–3 में दिए गए अंक "364.00" के स्थान पर अंक "347.00" रख दिये जायेंगे ।

(छः) क्रम संख्या 6 के सम्मुख स्तम्भ–3 में दिए गए अंक "447.00" के स्थान पर अंक "428.00" रख दिये जायेंगे ।

(सात) क्रम संख्या 7 के सम्मुख स्तम्भ–3 में दिए गए अंक "559.00" के स्थान पर अंक "534.00" रख दिये जायेंगे ।

(आठ) क्रम संख्या 8 के सम्मुख स्तम्भ–3 में दिए गए शब्द और अंक "559.00" और प्रत्येक 4500 किलोमीटर या उसके भाग के लिए 140.00 रुपया के स्थान पर शब्द और अंक "534.00 और प्रत्येक 4500 किलोमीटर या उसके भाग के लिए 133.00 रुपया" रख दिये जायेंगे।

(ग) अनुच्छेद–तीन निकाल दिया जायेगा।

(घ) (एक) स्पष्टीकरण (1) में शब्द "अनुच्छेद एक, दो, तीन" के स्थान पर शब्द "अनुच्छेद एक, दो" रख दिये जायेंगे ;

(दो) स्पष्टीकरण (2) में शब्द "अनुच्छेद एक, दो, तीन" के स्थान पर शब्द, "अनुच्छेद एक, दो" रख दिये जायेंगे।

(तीन) स्पष्टीकरण (11) निकाल दिया जायगा।

भुगतान किये गये अतिरिक्त कर की अधिक धनराशि का समायोजन

3—किसी यान के सम्बन्ध में, मूल अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये अतिरिक्त कर की धनराशि, जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर देय अतिरिक्त कर से अधिक होगी, यह यथास्थिति,, अगली तिमाही या माह के लिए उस यान के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर के प्रति समायोजित होगी।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1999

4—(1) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 द्वारा संशोधित किये जाने वाले मूल अधिनियम की संगत अनुसूची एवं स्पष्टीकरणों का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 6 देखिये)

मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें

एक–मैदानी क्षेत्रों के मेरठ और झांसी सम्भाग को छोड़कर संचालित यानों के सम्बन्ध में, ओमनी बस के अलावा जब वह ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग की जाय–

××× ××× ×××

दो–पर्वतीय क्षेत्र में संचालित यानों के सम्बन्ध में ओमनी में बस के अलावा, जब वह ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग की जाय,

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें :—

क्रम-संख्या	एक तिमाही में तय की गई दूरी (किलोमीटर में)	तिमाही कर की धनराशि
1	2	3
		रुपये
1	4500 तक	140.00
2	4500 से अधिक किन्तु 5700 से अनधिक	177.00
3	5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	223.00
4	7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	280.00
5	9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	364.00
6	11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	447.00
7	14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	559.00
8	18000 से अधिक	559.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए 140.00 रुपया

××× ××× ×××

तीन–मेरठ सम्भाग में संचालित, यानों के सम्बन्ध में, ओमनी बस के अलावा जब वह ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग की जाए–

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें :—

क्रम-संख्या	एक तिमाही में तय की गयी दूरी (किलोमीटर में)	तिमाही कर की राशि	
		"क" वर्ग के मार्ग	"ख" वर्ग के मार्ग
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
1	4500 तक	157.00	175.00
2	4500 से अधिक किन्तु 5700 से अनधिक	199.00	221.00
3	5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	251.00	280.00
4	7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	313.00	350.00
5	9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	408.00	455.00

1	2	3	
6	11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	501.00	560.00
7	14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	627.00	700.00
8	18000 से अधिक	627.00 और प्रत्येक 4500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 157.00 रुपया	700.00 और प्रत्येक 4500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 175.00

परन्तु यह कि नगर निगम या नगर पालिका के सीमों के भीतर संचालित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर 4,200.00 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट नहीं है और 6,000 रु० प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट है, होगा :–

"परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियां उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों।"

(ख) विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने और बारात, पर्यटक पार्टियों या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों को सवारी के लिए जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें :–

(एक) ऐसे यानों के लिये जिनमें ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर, 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान न हो।	उतने दिनों के लिए जितने दिन के लिए अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद तीन के खण्ड (क) के अधीन देयकर अतिरिक्त 135.00 रुपया प्रतिदिन।
(दो) ऐसे यानों के लिए जिनमें ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान हो।	उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिये अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद तीन के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 225.00 रूपया प्रतिदिन।

परन्तु एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें निम्नलिखित होंगी :–

(एक) एक्सप्रेस	अनुच्छेद तीन के यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन दरों से पांच प्रतिशत अधिक।
(दो) सेमी डीलक्स	अनुच्छेद तीन के यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन दरों से पांच प्रतिशत अधिक।

(तीन) डीलक्स	अनुच्छेद तीन के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन दरों से बीस प्रतिशत अधिक ।
(चार) वातानुकूलित	अनुच्छेद तीन के, यथास्थिति खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन दरों से पचास प्रतिशत अधिक ।

स्पष्टीकरण–(1) इस अनुसूची के अधीन किसी मंजिली गाड़ी पर देय कुल तिमाही कर उपर्युक्त अनुच्छेद एक, दो, तीन और चार में दिये गये दरों की उतनी गुनी होगी जितनी मोटर यान अधिनियम, 1988 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीटों की अधिकतम संख्या है । इस प्रयोजन के लिए किसी मंजिली गाड़ी में खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, के पचास प्रतिशत स्थान की अतिरिक्त बैठने की क्षमता माना जाएगा और किसी सीट के भाग की गणना एक सीट के रूप में की जायेगी ।

(2) इस अनुसूची के अनुच्छेद एक, दो, तीन और चार में से प्रत्येक के उपखण्ड (क) के अधीन किसी मंजिली गाड़ी की एक तिमाही में तय की गई दूरी उतनी होगी जितनी एक तरफ के फेरों की ऐसी संख्या को जैसी परमिट की शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाय ऐसे एक फेरे में अन्तर्ग्रस्त कुल किलोमीटर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।

XXX XXX XXX

(II) "मेरठ सम्भाग" का तात्पर्य मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर और बुलन्दशहर जिलों से है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 4 तक अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप राही–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1999 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह 'विधि' रखे जाने के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

(चर्चा हेतु सम्बन्धित सदस्य का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकर नगर के चहुमुखी विकास के लिए लुम्बनी दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराने और उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाये जाने के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अपने इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। (इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डा० रामबाबू हरित पीठासीन हुए) मान्यवर, जनपद अम्बेडकर नगर में लुम्बनी-दुद्धी मार्ग जो दुद्धी से चलकर महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बनी तक जाता है और जिसकी लम्बाई 500 किलोमीटर है, जो एक तरफ म॰प्र॰ प्रदेश की सीमा को छूती है वहीं दूसरी तरफ अयोध्या, मिर्जापुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर को जोड़ने वाली सड़क है। मान्यवर, इतनी महत्वपूर्ण सड़क होने के बाद भी जब हम उस पर, बीच में घाघरा नदी है, पर्यटक दुद्धी कपिल–लुम्बनी में चलने का प्रयास करेंगें तो टांडा में जाकर रुक जाना पड़ेगा इसलिये कि टांडा में जो घाघरा नदी के बीच में है उस पर पुल का निर्माण नहीं हो सका है। पांच सौ किलोमीटर लम्बी सड़क पर एक पुल न होने से उसकी उपयोगिता शून्य हो रही है इसलिए इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसके पुल का निर्माण होना चाहिए।

मान्यवर, इसी के साथ एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि अम्बेडकर नगर का सृजन 1995 में किया गया था। जनपद अम्बेडकर नगर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है वहां के कारीगर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से अपना माल तैयार करते हैं। कपड़े को तैयार करते हैं और उस कपड़े को तैयार करके खलीलाबाद की मार्केट में ले जाने का प्रयास करते हैं तो बीच में पुल न होने के कारण मार्ग ठप्प पड़ रहा है। अगर उसको बना दें तो गोरखपुर और इलाहाबाद से चलने वाली सड़क की लम्बाई कम हो जायेगी। साथ ही साथ उस पुल के निर्माण से जौनपुर से बनारस चलने वाले या सिद्धार्थनगर जाना है तो उनके लिए सुविधा हो जायेंगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय मार्ग नं० 28 है जो अयोध्या से होकर जाता है मुकाम बिहार तक उस मार्ग में जब अयोध्या का मेला लगता है तो ट्रैफिक को रोकने की आवश्यकता पड़ती है। ट्रकों की लम्बी लाइन लग जाती है। अगर इस सड़क का निर्माण हो जाता तो वह ट्रैफिक रुक नहीं पाता तो राष्ट्रीय मार्ग नं० 28 जो लखनऊ मुकाम तक जाता है उसमें भी आवागमन में दिक्कत होती है और यदि इसको पूरा करने की दिशा में कोई कारगर कदम उठाया जाय तो अच्छा होगा यह महत्वपूर्ण पुल है।

यह एक महत्वपूर्ण पुल है और इस पुल के न होने के कारण जनपद अम्बेडकर नगर का जो कुटीर, लघु उद्योग उसका माल मार्केट में न पहुंचने के कारण ठप्प हो गया है। मेरा निवेदन है कि उस पुल के निर्माण से चहुमुखी विकास होगा। एक तरफ तो उसकी सीमा बस्ती को छूती है और दूसरी तरफ टांडा को। माननीय लोक निर्माण मंत्री कहेंगे कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इसका निर्माण नहीं करा सकते हैं। उसके लिये वित्तीय संसाधन कहां से पूरे हो सकेंगे। मान्यवर, इस पुल के बनने से पूरे पूर्वांचल के 8–10–12 जिलों के जुड़ने का काम होगा। पूर्वांचल विकास निधि 150 करोड़ रु० की है। जिसमें 75–75 करोड़ रु० क्रमशः जिला अंश व राज्य अंश है। अगर राज्य अंश से हर वर्ष, क्योंकि इसके बनने में 4-5 साल लग जायेंगे, 15–20 करोड़ रु० मिल जायें तो उपयुक्त होगा। वे राज्य अंश वहीं की परियोजनाओं के लिए है। अगर सरकार इस पूर्वांचल का विकास चाहती है, विशेष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप से बस्ती और अम्बेडकर नगर को जोड़ना चाहती है, गोरखपुर और इलाहाबाद के बीच में दूरी कम करना चाहती है तो इस पुल का निर्माण बहुत आवश्यक है । अयोध्या में विविध कार्यक्रम होते रहते हैं वहां राष्ट्रीय राज्य मार्ग को बंद करने की आवश्यकता पड़ती है, उस दृष्टि से भी पुल का निर्माण बहुत आवश्यक है । जो हमारा यह संकल्प है उसको पास करें यह अनुरोध है इससे अम्बेडकर नगर और पूर्वांचल का विकास सम्भव हो सकेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह केवल अम्बेडकर नगर के विकास का प्रश्न नहीं है, यह महत्वपूर्ण मार्ग न केवल दो जनपदों को जोड़ता है यह कई जनपदों को मिलाने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है । उससे भी ज्यादा यह नेपाल से जुड़ता है । यह सड़क लुम्बनी गौतम बुद्ध जी की राजधानी रही है । केवल यह पुल का निर्माण हो जाय तो बहुत आसानी हो जायेगी काठमांडू से होते हुए लुम्बनी बर्मी होते हुए सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और मध्य प्रदेश की सीमा में विंध्याचल, रीवां होते हुए, भोपाल चली जाती है । एक छोर एम० पी० को जोड़ता है तो दूसरा छोर नेपाल को छूता है । इस पुल की स्वीकृति स्टेट सेक्टर में 1986 में हुई थी 14 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ था श्रीपति मिश्र जी की अध्यक्षता में उस पुल का शिलान्यास माननीय वीर बहादुर जी ने किया था । इस महत्वपूर्ण सड़क का रुड़की यूनिवर्सिटी ने सर्वे करके नक्शा बनाया था, श्रीमन्, कदाचित् कितनी दुखद बात है, कड़वारी टाण्डा पुल–इसकी कई वर्षों बाद चर्चा करा रहा हूं । मान्यवर, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री ने इस पुल को डिनोटिफाई किया था, निरस्त कर दिया था । अब माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से कई जगह पर वार्तालाप में समारोह में स्वयं उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया है । इससे हम सीधे नेपाल, ढाका, काठमांडू तक जा सकते हैं । इस पुल के साथ का बलिया का पुल, देवरिया का पुल बन गया यह दुर्भाग्य है कि पूरे पूर्वान्चल को, पूरे राज्य के जनपद को जोड़ने के बाद भी इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि लोक निर्माण मंत्री जी निश्चित तौर से कहेंगे कि हम इसको बनवायेंगे, बी० ओ० टी० में भेज रहे हैं, इसी साल भेजेंगे । जो बात इन्होंने कई समारोहों में कही है, लालजी वर्मा जी ने सम्पर्क किया होगा, मैने स्वयं सम्पर्क किया होगा, मान्यवर, इन्होंने इस सड़क को नेशनल हाइवे के प्रस्ताव के लिए भारत सरकार को भेजने की बात कही है, अगर भेज दिया है तो मैं इनको साधुवाद दूंगा ।

मान्यवर, हम उस पुल के निर्माण के लिए इस सदन की सहमति चाहते हैं, आपके निर्देश चाहते हैं, उस पर स्पष्ट आश्वासन दें । मान्यवर, मैं आशा करता हूं कि कम से कम ये उस पाप को धुल देंगे जो पिछली सरकार के लोक निर्माण मंत्री ने किया है । यह पुल स्वीकृत हो चुका था उन्होंने उसको निरस्त कर दिया था । यह सरकार उस पुल का निर्माण करायेंगी और उस रोड को नेशनल हाइवे घोषित करेगी । यह काशी विश्वनाथ, मां विन्ध्यवासिनी को जोड़ती है, पशुपतिनाथ को जोड़ती है, महत्वपूर्ण स्थान को जोड़ती है, राज्य को, राष्ट्र को जोड़ती है, जनपदों को जोड़ती है । मैं समझता हूं कि लोक निर्माण मंत्री जी कहेंगे कि बी०ओ०टी० में यह प्रस्ताव जायेगा अगर किसी ने इनीशियेट नहीं किया तब उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी तब शायद 14 करोड़ लगता, अब 35 करोड़ लगेंगे तो आप वर्ल्ड बैंक से बनवायेंगे, विश्वबैंक से बनायवेंगे कहां से इसकी पूंजीनिवेश की व्यवस्था करेंगे उसकी भी चिन्ता हम लोगों को है इसके लिए पूरा सदन चिन्तित है ।

लोक निर्माण पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो मैं लालजी वर्मा को बधाई दूंगा कि लगातार लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी पर टांडा के पास पुल निर्माण पर जोर देते जा रहे हैं, अपने प्रश्नों के माध्यम से और संकल्प के माध्यम से भी । इसके महत्व के बारे में उन्होंने जो वर्णन किया है, उसको

अस्वीकार करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता और मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इसकी गम्भीरता के बारे में पूर्व की सरकारों ने भी अनुभव किया था और इसी का परिणाम था कि सन् 1985 में भी इसका बाकायदा आगणन किया गया और 13 करोड़ 85 लाख का आगणन हुआ था और कुछ पैसा अवमुक्त भी किया गया था। वर्ष 1987 में श्री वीर बहादुर सिंह जी ने इसका शिलान्यास भी किया था और लगभग निर्माण की स्थिति में यह आ गया था लेकिन जब स्थल चयन को तकनीकी विशेषज्ञ लोगों ने देखा तो जिस स्थान पर पुल निर्माण करने की बात की जा रही थी, पाया कि वहां पुल बनाना उपयुक्त नहीं होगा।

स्थल चयन के लिये एक समिति बनाई गई और समिति ने यह अनुभव किया कि जिस तरह घाघरा का करेन्ट है और इसका प्रवाह कब-किधर जायेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिये वह स्थान चयन करना चाहिये, जहां पुल ढंग से बन सके और प्रवाह बदलने के कारण किसी तरह का नुकसान भी न हो। इस आधार पर डेढ़ किमी० महरीकैनाल के स्थान का स्थल चयन किया गया और पुल बनाने की बात की गई। इस प्रक्रिया में समय लगा और पैसा जो 99 लाख अवमुक्त किया गया था, 5 वर्ष बाद सन् 91 में वह निरस्त हो गया। क्योंकि स्वाभाविक रूप से यह निर्णय हो जाया करता है और यदि 5 वर्ष के अन्दर पैसा उपयोग नहीं होता है तो वह निरस्त हो जाता है। मान्यवर, पुनः यह प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, लेकिन उस समय की सरकार बहुत कम समय चल पाई और जिस तरह से इसके लिये वित्तीय संसाधन की व्यवस्था करनी चाहिये थी, वह संभवतः न हो सकने के कारण काम प्रारम्भ नहीं हो सका। बाद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमन् देवगौड़ा साहब ने पुल निर्माण की घोषणा की थी और यह कहा था कि यह पुल बनना बहुत आवश्यक है और भारत सरकार का भूतल परिवहन विभाग इसके लिये धन देगा, लेकिन जब भूतल परिवहन विभाग से सम्पर्क किया गया तो भूतल परिवहन विभाग ने यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि उत्तर प्रदेश को सड़क निधि से पहले ही काफी पैसा दिया जा चुका है और अब देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिये इसको अस्वीकार कर दिया।

मान्यवर, उसके बाद मेरे जिम्मे इसको देखने का अवसर उपलब्ध हुआ है। हमने देखा कि भारत के प्रधनमंत्री की घोषणा है और प्रधानमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री-प्रधानमंत्री होता है। अतः उस घोषणा का सम्मान करना चाहिये। उस समय लालजी वर्मा से मेरी बात नहीं हुई थी लेकिन मेरे मन में बात चल रही थी कि घोषणा हुई है, उसका क्रियान्वयन कैसे कराया जा सकता है? हमने अपने माध्यम से जानकारी करने की कोशिश की तो पुनः वही परेशानी पैदा हुई कि सड़क निधि से पैसा प्राप्त नहीं होगा, इसलिये संसाधन की कमी के कारण बनना कठिन दीखता है, इसके बावजूद भी उस समय एक प्रश्न के माध्यम से, मुझसे उत्तर की अपेक्षा की गई थी समय-समय पर प्रश्नों के माध्यम से उत्तर की अपेक्षा की गयी है और यह अपेक्षा की गयी थी कि इस पुल को बनाया जाये और प्रश्न के उत्तर में हमने कहा था कि बी०ओ०टी० के आधार पर इसको लेने की कोशिश करेगें और इसकी फिजिबिल्टी के बारे में देखेगें। इसका अध्ययन किया गया और जब उसकी रिपोर्ट आयी, तो पता चला कि पुल की लम्बाई 1270 मीटर होगी और इस का आगणन 92 करोड़ रुपये का आया। जो बस्ती की ओर 9 किमी० और टांडा की ओर 14 मिलोमीटर सड़क को जोड़ कर इसका आगणन मान्यवर, 92 करोड़ का आया।

मान्यवर, इस सड़क पर जिस प्रकार का यातायात है, उसको देखकर और सर्वेक्षण करके यह मालूम हुआ कि उनको धन नहीं मिल पायेगा, इसलिये उन्होने इसको अमान्य कर दिया। मैने कहा था कि बी०ओ०टी० के आधार पर अध्ययन करा रहा हूं। उनकी रिपोर्ट आ गयी है और जब रिपोर्ट आ गयी तो चिन्ता हुई कि इसको कैसे किया जायोगा, और जब संसाधन उपलब्ध नहीं हुये तो मैने भारत सरकार को लिखा, भारत सरकार से संपर्क किया और भूतल परिवहन विभाग को लिखा और उनको आगणन भेजा है और आग्रह किया है कि इसकी स्वीकृति प्रदान की जाये और साथ ही साथ कहा है कि इसके लिए धन भी उपलब्ध कराया जाये और कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बात भी हुई है, उनका नाम मैं इस समय नहीं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि धन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा, जो

सड़क निधि है, उससे या और कोई व्यवस्था की जायेगी । मान्यवर, मैं आशावादी हूं और कार्य करने की इच्छा शक्ति है और मैं उसमें लगा हुआ हूं और मैं इसका शिलान्यास करूंगा और लोकार्पण भी करुंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि इसकी लम्बाई कितनी है ?

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, जहां तक इस सड़क की लम्बाई का प्रश्न है यह सड़क 500 किलोमीटर लम्बी है और इस मार्ग पर बड़े-बड़े तीर्थ स्थल हैं, काशी विश्वनाथ और मां विंध्यवासिनी जी के तीर्थ स्थल इसी मार्ग पर हैं । इससे स्वयं प्रकट होता है कि यह कितनी महत्वपूर्ण सड़क है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक है, उनके अनुसार यह सड़क है, तो इसको राष्ट्रीय मार्ग घोषित करना चाहिये । नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुये मध्य प्रदेश और बिहार को जोड़ती है । यह सड़क एक देश और 3 प्रदेशों को जोड़ती है । पुल निर्माण की दिशा में हमारी तरफ से प्रयास चल रहा है । मान्यवर, यह संकल्प में है । उसमें इस मार्ग के चौड़ीकरण के बारे में कहा गया है । मैं मा० वर्मा जी से बताना चाहता हूं कि चौड़ीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है और लगातार होता जा रहा है । मान्यवर, आप अम्बेडकर नगर जाते हैं वहां चौड़ीकरण का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है । जिस सड़क को साल भर पहले देखी गयी थी वहां चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है । 50 किलोमीटर अम्बेडकर नगर, 49 किलोमीटर जौनपुर और 34 किलोमीटर सिद्धार्थनगर में चौड़ीकरण काम चल रहा है और 21 करोड़ रुपये हमने लगाया है और चौड़ीकरण का कार्य होते ही आगे दो लेन की व्यवस्था हो जाये मेरा विश्वास है कि जिस तरह से भारत सरकार ने सहूलियत का परिचय दिया है । तो यह काम हो जायेगा । जब मैं 1997 में लोक निर्माण विभाग को देखता था तो इस सड़क की लम्बाई 4 हजार, 4 सौ 22 किलोमीटर हो गयी पहले इस सड़क की लम्बाई कम थी । 5 सौ किलोमीटर की यह भी स्वीकार हो जाये इसके पीछे मैं पड़ा हूं और मुझे आशा है कि यह स्वीकार हो जायेगी ।

मेरी कोशिश यह है कि इस सड़क की मोटाई या कृष्ट 45 सेन्टीमीटर हो । अभी सड़क मानक के अनुसार भी नहीं होगी । इसकी मोटाई या कृष्ट 20 सेन्टीमीटर की होगी । मा० पाल जी स्वीकार करेगें कि इस सड़क की स्थिति ठीक न होने के बावजूद भी, डैमेज होने के बावजूद भी इसको गड्ढा मुक्त रखा गया है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि लुम्बनी और बुद्धीमार्ग का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है । टाण्डा पर पुल बन जाये, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं । मैं मा० वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि हम आपकी ही बात कर रहे हैं । आप इसको स्वीकार करें । अब इस चर्चा को समाप्त करें । जो प्रस्ताव आपने दिया है उसको आप वापस ले लें ।

श्री लालजी वर्मा–

मा० मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं । मेरा सुझाव यह है कि मंत्रि मंडल के 75 करोड़ खर्च होने से अगर 20-20 करोड़ रुपया प्रति वर्ष दिया जाये तो 3-4- साल में यह कार्य पूरा हो जायेगा । मा० मंत्री जी इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है । तो निश्चित रूप से इस पुल का निर्माण हो सकता है । मैं चाहता हूं कि इस संबंध में मा० मंत्री जी अपने विचार रखने का कष्ट करें । इसमें क्या परेशानी है क्या दिक्कत है ? इसके लिए क्या यह सम्भव नहीं है। मैं मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री कलराज मिश्र–

मेरी तरफ से हर आर्थिक स्रोतों का उपयोग हो सके यह प्रयास चल रहा है । हमने भारत सरकार के भूतल परिवहन विभाग के पास आग्रह किया है उनसे जाकर अनुनय विनय की है मुझे विश्वास है कि धन प्राप्त होगा । पूर्वान्चल विकास निधि का जहां तक सवाल है वह पैसा बहुत सी

विकास योजनाओं पर खर्च होता है । आपने जो सुझाव दिया है हम हर प्रकार से प्रयास करेंगे जहां से आर्थिक सहायता मिलेगी उसका उपयोग करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है मुझे उनके विचारों पर कोई संदेह नहीं है । इसलिए मैं अपने संकल्प को वापस ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि माननीय लालजी वर्मा द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, क्या उनको अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

इस सदन का निश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के निवासियों को सीवर लाइन की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में श्री रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के निवासियों को सीवर लाइन की सुविधान प्रदान की जाय ।"

मान्यवर, अल्मोड़ा नगर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व चन्द्रवंशी राजाओं के द्वारा अपनी राजधानी के रूप में की गयी । जनपद अल्मोड़ा, कुमायूं और गढ़वाल की राजधानी भी रही । कालान्तर में गढ़वाल और कुमायूं का जब डिवीजन हुआ तब यह कुमायूं का प्रमुख नगर होने के कारण कमिश्नरी भी रहा है । अल्मोड़ा नगर की जो नैसर्गिक छटा और स्वास्थ्य वर्धक जलवायु है उससे पर्यटक आकर्षित होते हैं । यह नगर बहुत प्राचीन नगर है परन्तु इन 50 सालों के उपरान्त अब जब यहां की जनसंख्या 70 हजार हो गयी है परन्तु सीवर की सुविधा यहां प्रदान नहीं की गयी है । यह नगर पर्वत का प्रवेश द्वार है । सारी गन्दगी नालियों में बहती है जिसके कारण प्रदूषण फैलता है । मान्यवर, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है । इस नगर के पूर्व में सुवाल नदी है । पश्चिम में कोसी नदी के बीच में यह नगर बसा हुआ है और सीवर का पानी इन दोनों नदियों को प्रदूषित करता रहता है । इससे महामारी फैलने का भय है । इस नगर का इतिहास रहा है । इस नगर ने महान विभूतियों, देशभक्तों को जन्म दिया है । अल्मोड़ा इस प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री पं० गोविन्द बल्लभ पंत की जन्म स्थली और कर्मस्थली रही है । प्रदेश के प्रथम थल सेना अध्यक्ष बी० सी० जोशी, मानव संसाधन विकास मंत्री एम० एम० जोशी, पूर्व गवर्नर बी० डी० पाण्डेय, पूर्व पर्वतीय विकास मंत्री सोवन सिंह जीना की भी जन्म स्थली रही है । मान्यवर, यहां पर अनेक लेखक, कवि, साहित्यकार की भी जन्म भूमि रही है । पं० सुमित्रा नन्दन पंत इस नगर के थे । स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान पं० जवाहर लाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य नरेन्द्र देव, सीमान्त गांधी सहित अनेक लोग यहां पर रहे थे । महात्मा गांधी यहां पर रहे । इस नगर का अपना एक महत्व है ।

मान्यवर, अनेक सरकारें आयीं और गयीं इन 50 साल के उपरान्त भी सीवर की व्यवस्था नहीं की गयी । जनता ने मांग की कि सीवर लाइन का निर्माण किया जाये क्योंकि अल्मोड़ा पर्वतीय क्षेत्र का प्रवेश द्वार है । पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं पिंडारी ग्लेशियर यहीं से जाते हैं । इन स्थानों को जाने के लिए पर्यटक यहीं से गुजरते हैं । सीवर लाइन के अभाव में गन्दगी बनी रहती है । पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये निश्चित रूप से वहां की जो सुन्दरता है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए । पर्यटक

आयेगा तो उससे इस जिले को लाभ मिलेगा परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई बार निवेदन करने के बाद भी सीवर की व्यवस्था नहीं की गयी । अल्मोड़ा शहर की आबादी 70 हजार की है। जब से सिर से मैला ढोने की प्रथा समाप्त हुई है, गन्दगी फैली रहती है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस नगर का जो गौरव है उसके अनुरूप इसे बनाया जाये । स्वामी विवेकानन्द भी यहां आये और उन्होंने यहां तपस्या की । माननीय अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा इसे सर्वप्रिय स्थानों में चुना गया है । इसलिए करबद्ध निवेदन है इस नगर के निवासियों को सीवर की सुविधा प्रदान किये जाने की कृपा करें।

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

श्रीमन्, अभी माननीय रघुनाथ सिंह चौहान जी द्वारा जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि अल्मोड़ा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । श्रीमन्, चाहे वह साहित्यकार हो, इस देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ा हुआ कोई बिन्दु हो । चाहे पर्यटन की दृष्टि से स्वर्ग कहलाया जाने वाला अल्मोड़ा हो सभी दृष्टिकोण से अल्मोड़ा का महत्व बहुत अधिक है । यह महत्व न केवल उत्तरांचल में बल्कि पूरे देश में है । पिछले 50 वर्षों में जो मांग होती रही है सीवर लाइन की जिसके अभाव में वहां प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है । जिस कारण वहां पर्यटन कम हो रहा है । मैं श्री चौहान जी की भावना से सहमत हूं । मुझे आपको यह सूचित करते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि यह पहली सरकार है जिसने इतने महत्वपूर्ण नगर के लिये पेयजल योजना की शुरुआत की है । दशम् वित्त आयोग में हमने अल्मोड़ा के पेयजल की व्यवस्था की है । जब तक पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक जलोत्सारण की योजना सफल नहीं हो सकती है ।

यह जो अल्मोड़ा के जलोत्सारण की योजना है उसके लिए 18 करोड़ 30 लाख 93 हजार की स्वीकृति भी प्रदान की है व एक करोड़ रुपया रिलीज भी कर दिया है । यह धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है । यह एम० डी० जल निगम के पी० एल० ए० में जमा है । इसके लिये विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जाना है । 6-6 नाली भूमि 6 स्थानों पर चाहिए । विस्तृत तैयारी करने के बाद पी० आई० बी० की स्वीकृति भी जरूरी है । जैसे ही विस्तृत प्लान तैयार होगा काम शुरू होगा । काम को शुरू करने के लिए हमने एक यूनिट को अल्मोड़ा में ही तैनात किये जाने का भी निर्णय लिया है । इसके लिए मेरा श्री चौहान जी से अनुरोध है कि वह अपने प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री रघुनाथ सिंह चौहान आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

अभी माननीय मंत्री पर्वतीय विकास ने अवगत कराया है कि जलोत्सारण के लिये 18 करोड़ 30 लाख 93 हजार की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मैं धन्यवाद के साथ संकल्प को वापस ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि श्री रघुनाथ सिंह चौहान ने जो प्रस्ताव वापस लिया है उसे वापस लेने की अनुज्ञा दी जाए ।

(सर्वसम्मति से प्रस्ताव वापस लेने की अनुज्ञा दी गई)

(मद संख्या–27 व मद संख्या–28 को डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया)

यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

प्रदेश के निर्धन व्यक्तियों को आवास विकास द्वारा ई० डब्लू० एस०/आश्रय योजनान्तर्गत आवंटित क्वार्टरों के बैनामे/रजिस्ट्री में आठ प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के उन गरीब लोगों को छत मुहैया कराने की दृष्टि से आश्रय योजना बनाई गई जो लोग सड़क के किनारे, नालों के किनारे, स्तंभ में सड़कों पर पड़े थे। उनको छत मुहैया कराने की दृष्टि से पांच रुपये, दस रुपये, पन्द्रह रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा करने थे पर गरीब लोगों को जिनको इस योजना के तहत आवास उपलब्ध कराये गये हैं ऐसे लोगों से जो शुल्क लिया जा रहा है वह मकान जब उनको पंजीकृत होगा तो 8 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क उनको देना होगा। एक ओर तो हम उनको गरीब मान रहे हैं उनके सिर पर छत नहीं है व 5, 10, 15 रुपये रोज देने पर कब्जा देने को कह रहे हैं। दूसरी ओर इन लोगों से 48,000 रुपये स्टाम्प शुल्क के रूप में 4 हजार फ्री होल्ड चार्ज इस प्रकार कुल मिलाकर 52,000 रुपये लेंगे। मकान का जब बैनामा होगा तो उसमें 8 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगा दिया गया।

[5 बजकर 30 मिनट]

जो साढ़े चार हजार रुपये बैठता है और मकान की किश्त हम पांच, दस और पन्द्रह रुपये लेंगे और बैनामे के साढ़े चार हजार रुपये लेंगे इसलिए सरकार की जो भावना थी, जो मंशा थी इस प्रकार के आवासों को उपलब्ध कराने की वह 8 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के कारण विफल हो गयी है। स्वयं मेरठ में छः सौ से ऊपर लोगों ने पंजीकरण कराया है परन्तु प्रक्रिया के बोझ के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और जिन दो सौ लोगों को कब्जा दे भी दिया गया है उन्हें अब यह कहा जा रहा है कि बैनामा कराइये साढ़े चार हजार रुपया दीजिए, किश्तें बाद में देते रहना। इस प्रकार मान्यवर, सरकार ने जो कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रखा है वह कंक्रीट के जंगल के रूप में ही खड़ा रहेगा इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी बात जो ई० डब्लू० एस० के क्वार्टर हैं उन पर स्टाम्प शुल्क आठ हजार के करीब बैठता है। जिस मंशा से गरीबों को छत मुहैया कराने के लिये यह योजना लागू की गयी थी आज स्टाम्प शुल्क के कारण उस योजना पर प्रश्नचिह्न लग गया है और अब लोग उस योजना में पंजीकरण निरस्त करा रहे हैं।

मेरा कहना है कि इस योजना के अन्तर्गत जो मकान बना दिये गये हैं, बनने के प्रक्रिया में हैं और जो मकान आवंटन की प्रक्रिया में हैं वे सभी ज्यों के त्यों खड़े रह जाने वाले हैं ढोल नगाड़े के साथ जनता के बीच में तथा गरीबों के बीच में, स्लम्स में नालों के किनारे, सड़क के किनारे दबे कुचले लोगों को दिये जाने की घोषणा की गयी थी वह सब निरर्थक और हवाई होने जा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ई० डब्लू० एस० और पांच, दस तथा पन्द्रह रुपये वाली आश्रय योजना–इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट मिलनी चाहिए क्योंकि एक तरफ तो हम किश्तों में उन्हें

मकान दे रहे हैं और दूसरी तरफ एकमुश्त पैसा मांग रहे हैं । इसलिए यह तर्कसंगत नहीं है । राजनैतिक दृष्टि से भी मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव का मौका है । इस प्रकार से स्टाम्प शुल्क का संदेश गरीबों में जायेगा तो वह सरकार के पक्ष में जाने वाला नहीं है इसलिये मैं चर्चा के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि स्टाम्प शुल्क के आदेश को तात्कालिक प्रभाव से वापस लेकर इन गरीब, दबे-कुचले लोगों को राहत दें । क्योंकि योजना लागू करते समय हमारी जो मंशा थी वह मंशा सही रूप से जनता के बीच में बनी रहनी चाहिए ।

आवास राज्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं बाजपेई जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्लम्स के बारे में कितनी संवेदनशीलता और हमदर्दी का परिचय नियम–52 की चर्चा के माध्यम से उठाया । मान्यवर, इस सम्बन्ध में सरकार पूरी तरह सचेत है । हमने इसी विषय पर, चूंकि 5, 10 और 15 रुपये वाले आवास, आवास विभाग उपलब्ध कराता है और स्टाम्प शुल्क का पंजीकरण का विषय हमारे क्षेत्रान्तर्गत नहीं है । माननीय श्री हुकुम सिंह जी इस विभाग के प्रभारी हैं उनसे हमने निवेदन किया था और इस सम्बन्ध में बैठक 8-7-99 को होनी थी ।और उसमें एजेन्डे में पहला विषय यही है कि आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क लिया जा रहा है उस पर विचार होगा । लेकिन मान्यवर, विशेष परिस्थितियों में यह बैठक सम्भव नहीं हो सकी पुनः माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि 24-7-99 को एक बैठक निर्धारित की गई है और यह 12.00 बजे उन्हीं के कक्ष में की गई है । मैं समझता हूं कि उसमें इस समस्या का निदान हो जायेगा । इस सरकार की सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण ऐसी योजना है जिसमें उन लोगों को छत प्रदान की जायेगी जिनका सपना हुआ करता था मकान मालिक होने का, मकान प्राप्त करने का । मैं समझता हूं कि इसी 24 तारीख को जो माननीय सदस्य की शंका है, यह जो जिज्ञासा प्रकट की है गरीबों को स्टाम्प शुल्क से मुक्ति मिलनी चाहिए । उस समस्या का निराकरण हो जायेगा । मैं समझता हूं कि माननीय बाजपेयी जी की जिज्ञासा का मेरे उत्तर से निदान हो गया होगा । मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक शासन बैठक करे और निर्णय ले । उस निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है तब तक इस प्रतीक्षा में बहुत लोग इस योजना से पिंड छुड़ा ले जायेंगे या दम तोड़ देंगे । अगर शासन की मंशा इस बात की बन गई है कि यह गलत लिया गया है और इसको हमको वापस लेना है तो जब तक प्रक्रिया होती रहेगी मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको तत्काल स्थगित करवा दें और आदेश उस प्रक्रिया के तहत बाद में करते रहें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, चूंकि यह दूसरे विभाग से सम्बन्धित है और इससे जल्दी हो भी नहीं सकता था । आज 15 तारीख है । 24 तारीख को मीटिंग फिक्स है । 24 जुलाई को इसके संबंध में फैसला होने जा रहा है । इतना तो धैर्य रखना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया है अब चर्चा समाप्त हुई । मैं आगे की मद ले रहा हूं ।

प्रदेश में विद्युत कटौती के कारण कृषि, उद्योग, व्यापार तथा छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरठ महानगर में विद्युत आपूर्ति की जो स्थिति पिछले 15 दिनों में है और उसके कारण मेरठ के बच्चों की पढ़ाई, मेरठ के उद्योग धन्धे, कल कारखाने, व्यापार सब चौपट होने की कगार पर है। शायद कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन पुलिस को मेरठ में जाम पर लाठी चार्ज न करनी पड़ती हो और उस लाठी चार्ज का कोई निर्धारित समय नहीं है। रात के दो बजे भी हो सकता है और जब सोते हुए लोगों को पता चलता है कि 11–12 बजे लाइट चली गई 2-3 बजे तक नहीं आई तो वे लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं और जाम लग जाता है फिर पुलिस वहां पर लाठी चार्ज करती है लोग भागते हैं। दिन के दो बजे भी हो सकती है। स्थिति यह हो गयी है कि जब लाइट कटने का समय 8 बजे से 12 बजे तक का घोषित है लेकिन 2-3 बजे तक भी लाइट नहीं आती है। बार-बार प्रयास करने पर भी लाइट नहीं आती है। रुड़की से होते हुए लखनऊ तक सम्पर्क किया जाता है। अभी 15 दिन में सुबह 8 बजे से गई लाइट 12 बजे के स्थान पर तीन साढ़े तीन बजे मिली है इससे पहले कभी नहीं मिली है। इसके अलावा मेरठ मोदीपुरम बिजलीघर 132 के० वी० का है यह मेरठ का दुर्भाग्य है पहले निर्धारित कट के बाद भी बिजली नहीं जाती थी अब फ्रिकुएन्सी रिले फिक्स कर दी 49 के नीचे आता है तो बिजली कट हो जाती है पहले यह 40-38-39 पर चलता था अब मेरठ विद्युत आपूर्ति से महरूम है और बरवादी के कगार पर पहुंच गया है। कल टेलीफोन पर बात हुई कल ढाई बजे बिजली कट कर दी गई और चार घंटे बाद आई। कल रात्रि नौ बजे बिजली चली गई और सुबह सात बजे आयी पूरे शहर की जनता बदहाल है। मेरठ में मोदीपुरम के लिए ट्रांसफारमर चल चुका था लेकिन मेरठ नहीं पहुंच पाया रास्ते से ही दूसरी जगह भेज दिया गया परतापुर नहीं पहुंचा, मोहननगर से पहुंचना था।

मेरठ के नौजवानों की पढ़ाई चौपट हो गई, उद्योग धन्धे चौपट हो रहे हैं चार-पांच साल के बच्चे पानी के लिए डिब्बे लेकर सड़क पर खड़े रहते हैं जनता में आक्रोश है कि भाजपा अपने कार्यकाल में बिजली देने की स्थिति में नहीं है। पिछले 6-7 दिन के विद्युत आंकड़े देना चाहता हूं मेरठ के प्रमुख ट्यूबवेलों में कितने घंटे बिजली आयी सिविल लाइन के 1 जुलाई से 10 जुलाई के आंकड़े हैं सिविल लाइन में पम्प चला है वह 19 घंटे, 20 घंटे 10 मिनट, 17 घंटे 30 मिनट, 14 घंटे 45 मिनट, 8 घंटे, 18 घंटे, 18 घंटे 50 मिनट, 15 घंटे 40 मिनट, 17 घंटे 15 मिनट, सिविल लाइन पम्प नं०–1 चला 19 घंटे 5 मिनट, 20 घंटे 20 मिनट, 17 घंटे 50 मिनट, 17 घंटे 35 मिनट, 18 घंटे 5 मिनट, 17 घंटे 55 मिनट, 18 घंटे 45 मिनट, 15 घंटे 40 मिनट, 17 घंटे 45 मिनट, 17 घंटे 40 मिनट, टाउन हाल पम्प चला 10 घंटा 50 मिनट, 19 घंटा 5 मिनट 9 घंटा 25 मिनट 16 घंटा 40 मिनट 17 घंटा 40 मिनट, 17 घंटा 5 मिनट, 15 घंटा 25 मिनट, 8 घंटा 20 मिनट, 15 घंटा 5 मिनट। लेडीज पार्क नलकूप चला 19 घंटे 5 मिनट, 20 घंटे, 28 घंटे, 18 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे, तीन मिनट, 20 घंटे, 18 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे, ईस्माइल स्कूल नलकूप है यह 10 घंटे 50 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट, 13 घंटे 40 मिनट, 16 घंटे 45 मिनट, 14 घंटे 5 मिनट, 13 घंटे 55 मिनट, 15 घंटे 50 मिनट। इसके अलावा जो नगर निगम ट्यूबवेल की स्थिति है वहां 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे 14घंटे 50 मिनट 13 घंटे की है। मान्यवर, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो हम बिजली नहीं दे रहे हैं जिससे जनता

गर्मी में त्राहि-त्राहि कर रही है और उसमें रोष व्याप्त है वहीं दूसरी तरफ इसके कारण पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। मान्यवर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के कारण आगरा में ताज ट्रेपोजियम जोन में लगातर बिजली मिल रही है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के कारण इलाहाबाद की विद्युत आपूर्ति हो रही है तो फिर जनता की आवाज से बिजली को मांगना हमारा अधिकार है। इसके अलावा मेरा यह कहना है कि जिस शहर से जितना रेवेन्यू मिल रहा है उसके हिसाब से बिजली आपूर्ति करनी चाहिए। हो यह रहा है कि हम चार्ज तो बढ़ा दे रहे हैं लेकिन जितनी विद्युत आपूर्ति हमको जनता को देनी चाहिए उतनी हम नहीं दे पा रहे हैं जिससे जनता आक्रोशित है। बिजली हम किसी से ले नहीं रहे हैं तो हम किंकर्तव्यविमूढ़ स्थिति में हो गये हैं कि किस तरह से हम महानगर में विद्युत देकर जनता को राहत दे सकें। बिजली मिल जायेगी तो पानी भी मिल जायेगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरठ में मोदीपुरम् में 40 एम० वी० ए० का ट्रांसफार्मर तथा परतापुर में 20 एम० वी० ए० का ट्रांसफारमर तत्काल लगावें। दूसरा जो मेरठ फ्रिक्वेन्सी मीटर की बला से पीड़ित है उससे जनता में रोष है, उससे जनता को निजात दिलायें जिससे जनता शांत हो सके। इसके अलावा मेरा यह सुझाव है कि बिजली की कटौती को भी सुनिश्चित किया जाय। यदि बिजली की कटौती 8 से 12 बजे तक है तो बिजली ठीक आठ बजे जाये और 12 बजे आ भी जाय। किसी दिन समस्या हो सकती है कि 20, 25 मिनट और हो जाय। मेरा अनुरोध है कि मेरठ को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाय। जिस प्रकार से हरिद्वार को रखा है।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आज विद्युत की समस्या मूल समस्या बन गयी है। मैं आपके माध्यम से पूर्वांचल के भदोही जनपद की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। वह ऐसा जनपद है जो ग्रामीण अंचलों में बसा हुआ है। कालीन के अलावा वहां पर कोई दूसरा उद्योग नहीं है। वहां पर लोग कालीन बनाकर करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। लेकिन बिजली की व्यवस्था ने इसको ठप्प कर दिया है। मान्यवर, इसके पहले उस जनपद में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती थी। लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से मंत्री जी का ध्यान उस तरफ से हट गया है। 12–14 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मान्यवर, इस समस्या से कृषि, उद्योग धंधे, छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है सारे जनप्रतिनिधियों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मान्यवर, जिन जनपदों में कुटीर उद्योगों के माध्यम से करोड़ों रु० का अर्जन हो रहा है, वहां आज किन्हीं व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विद्युत कटौती की जा रही है। जहां खेती करने वाले लोग रात में कालीन की बुनकरी किया करते थे, घरों में बल्ब जलाकर, 4-5 जनपद–भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, बनारस–इसमें कुटीर उद्योग के रूप में कुशल कारीगर बल्ब जलाकर काम किया करते थे, वे आज प्रभावित हैं, उनकी रोजी-रोटी के साथ-साथ विदेशी मुद्रा का अर्जन भी प्रभावित हुआ है।

माननीय मुख्य मंत्री जी पूर्वान्चल के कई जनपदों में गये थे, उनके सामने इस जनपद की भी समस्या रखी गयी थी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के माध्यम से, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जहां आपूर्ति 24 घंटे की जाती थी, वहां 24 घंटे की जायेगी। लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। विद्युत जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी है इसका सुधार होना आवश्यक है। आज पूरे प्रदेश में कटौती से हाहाकार मचा हुआ है सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। शाम को एक फेज से रोशनी के लिए 7–10 बिजली दे दी जाये तो आधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। खेत खलिहान से लौटा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्ति जब शाम को बाजार जाता है तो अंधेरा के कारण उसे जल्दी लौटना पड़ जाता है । ऐसा नहीं है कि वहां विद्युत का उत्पादन घट गया है और कटौती करना आवश्यक हो गया हो ।

उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है तो फिर ऐसे जनपदों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? कुटीर उद्योगों पर आश्रित लोगों के सामने आज भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है, ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग सड़कों पर रहने के लिए उतारू हो गये हैं । उनकी तरफ ध्यान दें और पुरानी आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें । किसान, खाद, बीज की समस्या बाद में रखूंगा पहले बिजली की बात रखूंगा । विशेष रूप से उस तरफ के जनपदों में विद्युत की व्यवस्था मुहैया करायें । मान्यवर, भदोही, सन्त रविदास नगर, मिर्जापुर और जौनपुर की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां बिजली मुहैया कराई जाय । इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं साधुवाद देना चाहता हूं बाजपेयी जी और पाण्डे जी को जिन्होंने अभी तक विपक्ष की उस मांग का सपोर्ट कर दिया, विपक्ष की ओर से हमेशा यह मांग होती रही कि बिजली की आपूर्ति समुचित रूप से नहीं हो पा रही है । कृषि, उद्योग, व्यापार, छात्र सभी प्रभावित हैं केवल एक व्यक्ति नहीं प्रभावित है और वह हैं ऊर्जा मंत्री जी । आप ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराइये ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस लोकमहत्व की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मान्यवर, आज 52 साल हो गये देश को आजाद हुए । प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया बाजपेयी जी और पाण्डे जी ने एक पावर हाउस बनाने में जिस दिन शासन निश्चित करे कि पावर हाउस बनाना है चाहे 200 मेगावाट का बनाना हो या 500 मेगावाट का और समस्त धन उपलब्ध हो तो भी न्यूनतम 5 वर्ष लगते हैं । आज प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़ हो गयी और बढ़ते हुए विद्युत उपकरण, यह भी कारण है । जो विद्युत की कमी है क्या इसका दोष इस सरकार का है यह किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता । बिजली की कमी के लिए इस सरकार का दोष नहीं है । जिन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाई जिनको नये पावर हाउस बनाने थे वह नहीं बनाये उसके लिये वे दोषी हैं हमारी सरकार ने जो प्लान्ट लोड फैक्टर नीचा था उसको बढ़ाया, जो जर्जर मशीनें काम नहीं कर रही थीं, उनको चलाया इसीलिए इतनी बिजली मिल रही है नहीं तो यह भी नहीं मिलती इसके लिए यह बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, मैं आगरा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार के मामले में शपथ पत्र दिया कि जून 98 तक प्रथम चरण और जून, 99 तक दूसरा चरण पूरा करके बिजली की अबाध आपूर्ति 24 घंटे करें और 100 करोड़ रुपये उसके लिये मांगें । लेकिन अभी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने सर्वेक्षण कराने की बात स्वीकार की है, इस सर्वेक्षण में 50 लाख रुपया खर्च होना है और इसमें एक साल का समय लगना है, इसके बाद जो योजना पर काम किया जाना है, उसके लिये 400–500 करोड़ रुपये की न्यूनतम आवश्यकता होगी । मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि यह सर्वेक्षण का काम शीघ्र पूरा होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी । मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा डा० बाजपेई जी ने भी कहा कि विद्युत कम फ्रिक्वेन्सी पर भी आपूर्ति की जाये, इससे पावर हाउस की मशीनों की फ्रिक्वेन्सी गिर जाती है और तभी हम आये दिन सुनते हैं कि ग्रिड फेल, उत्तरी ग्रिड फेल, इसी कारण मशीनें बंद हो जाती हैं । इस सबके बावजूद इस सरकार ने प्रयत्न करके विद्युत की व्यवस्था को सुधारा है, इसके लिये मैं ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

* श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे विद्युत कटौती की चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज विद्युत देश और देश की जनता के लिए, उसके आम जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। बिना बिजली के किसी की जिन्दगी की कल्पना करना, विकास की कल्पना करना अपूर्ण होगा। बिजली की स्थिति क्यों खराब है, हमारी योजनायें क्या बनीं, क्या नहीं बनीं, यह अलग विषय है लेकिन आज जिस स्थिति में हम हैं और जितनी बिजली की आवश्यकता है, आज उतनी बिजली हमें नहीं मिल रही है, इसलिए यह चिन्तन का विषय है। हमारी जो कमियां पिछले दिनों रही हैं, उन कमियों का मनन करते हुए बिजली की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। माननीय पाण्डेय जी व माननीय दाजपेई जी ने जो विचार रखे हैं, उससे मैं अपने को जोड़ता हूं।

मैं बलिया जनपद से चुनकर आया हूं, यह सबसे पिछड़ा पूर्वी इलाका है। आठ घण्टे विद्युत कटौती की सरकार बात करती है, हमारे यहां पिछले 10 साल से सायं 6 बजे से रात 11 बजे तक कभी नियमित रूप से बिजली नहीं मिली। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से इस बात के लिये निवेदन भी किया और अपने स्तर से जिला योजना से, विधायक निधि से पैसा देने की वकालत की, सिफारिश की। अगर विद्युत बोर्ड इसमें कुछ मदद करे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे यहां मऊ से बलिया को विद्युत वितरण की व्यवस्था की जाती है। विद्युत कटौती शाम को होने के कारण छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाती, व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होता है, सायं कालीन कटौती से ला एंड आर्डर भी प्रभावित होता है, इसी समय में चोरी-डकैती की घटनायें भी होती हैं।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि नये गांवों में विद्युतीकरण का जो प्रस्ताव है, उसे यदि रोक दिया जाता और विद्युत उत्पादन तथा विद्युत वितरण के काम को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता तो इससे काफी सुधार हो सकता था। हम लोग बराबर नये गांवों को नई योजनाओं को विद्युत देते जा रहे हैं, अगर इसको कम करके विद्युत उत्पादन के काम में, विद्युत वितरण के काम में, पूरी शक्ति और धन का उपयोग हो तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। मैं इस चर्चा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विद्युत कटौती जनहित में नहीं है, हम लोग इसके लिये आवश्यक सहयोग देने के लिये तैयार हैं, वसूली में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं जानकारी के लिये बता दूं कि जब आपका अभियान चला था, उस समय अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में हम लोगों ने वसूली कराने में सहयोग किया था। मान्यवर, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि शासन इसको गम्भीरता से ले और जो विद्युत कटौती है, उसको समाप्त किया जाये।

---

* [illegible]

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेई का मैं आभारी हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा उन्होंने दी है। यह विषय मान्यवर, जनजीवन से जुड़ा हुआ है। जो वर्तमान बिजली की दुर्दशा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने बिजली की बुरी दशा के बारे में जो कुछ कहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। माननीय केशो मेहरा जी ने इस समस्या के कारणों की ओर इशारा किया है और जो भावनायें आयी हैं सदन में वह राजनैतिक और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर आयी हैं, और उसमे यह बात सामने आती है कि जब तक हम बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे, तब तक यह समस्या सुलझने वाली नहीं है और विद्युत आपूर्ति की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जायेगी, बिजली के संकट पर काबू पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, केवल इस पर चिन्ता ही व्यक्त कर दी जाती है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि केवल चिन्ता व्यक्त करने से काम नहीं चलने वाला है, इसके लिये कोई ठोस उपाय करने होंगे, तभी यह समस्या सुलझ पायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि पावर जनरेशन के लिये जो पावर हाउस लगे हैं, उनके पूरा करने के लिये सरकार के पास क्या रूपरेखा है। आज प्रदेश के अन्दर जो ऊर्जा उत्पादन के कार्य हो रहे हैं, लेकिन वह अधूरे हैं, वह पूरे नहीं हैं, जिसके कारण उनमें बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, सभी परियोजनाओं पर हमारी पूंजी फंस गयी है और उससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा सुझाव है और साथ ही साथ निवेदन है कि आप जिस योजना को लें, जिस परियोजना को लें, उसे पूरा कर दें, जिससे वह कार्य करने लगे और आपको बिजली मिलने लगे। आप दूसरी परियोजना को प्रारम्भ न करें जब तक कि पहली परियोजना न पूरी हो जाये। मान्यवर, मनेरी भाली परियोजना है, उसका 60 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और 40 प्रतिशत काम अभी अधूरा है। वह नहीं हो पाया है, इस कारण उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। उस परियोजना पर जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं। ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि लखवाड़ व्यासी परियोजना है, उसमें ढाई तीन सौ करोड़ रुपया खर्च हो गया है, सरकार का पैसा खर्च हो गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उसको समयबद्ध रूप से पूरा किया जाये, जिससे उससे कुछ रिटर्न मिल सके। अगर इन दोनों परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाये तो 720 करोड़ का एडीशनल जनरेशन मिल सकता है और मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा जनरेशन की आवश्यकता है भी नहीं। आप सहमत होंगे कि जो ब्लाक बिजली है, वह ढाई तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हम खरीदते हैं और जो जल विद्युत मिलती है उसकी कीमत 30 35 पैसा प्रति यूनिट होती है। मैं किसी राजनैतिक कारण से नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इसी सदन में घोषणा करें कि यह परियोजनायें एक निश्चित समय में पूरी करा दी जायेंगी, तो उत्तर प्रदेश में जो पावर की समस्या है, उससे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले हार्दिक रूप से आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने इस चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, चाहे नगर क्षेत्र में रहने वाले हों, या

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हों, विद्युत की समस्या हर जगह है । मान्यवर, विद्युत की सभी को आवश्यकता है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पिछली बार विधान सभा चल रही थी तो मेरे जिला जौनपुर में सुजानगंज में 33 के० वी० ए० के पावर स्टेशन का शिलान्यास पूर्व की सरकारों ने किया लेकिन उस पावर हाउस को बनाने का कार्य शुरू नहीं किया गया । इस पर मैंने नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी और उस पर उत्तर भी प्राप्त हुआ था, लेकिन खेद के साथ मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इसको पूरा नहीं किया गया है ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे जनपद जौनपुर में शाम को 4 बजे से रात के 11 बजे तक बिजली चली जाती है इससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है । मेरा निवेदन है कि बिजली 5 बजे से 11 बजे तक अवश्य दें, किसी दूसरे समय में उसकी कटौती कर लें । महराजगंज ब्लाक में शाम से ही बिजली चली जाती है और सुबह आती है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो लाईट हमारे यहां आती है वह शाहगंज से आती है और जब वहां पर ओवर लोड हो जाता है तो हमारे यहां की बिजली काट दी जाती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि बदलापुर में एक सब-स्टेशन बना दिया जाए और वहीं से हमारे यहां को बिजली देने की व्यवस्था की जाए । ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि 5-5 गांव के लिए पैसा मिला था उसमें मेरा भी एक गांव अचकारी भी है और बताया यह जाता है कि वहां पर 56 खम्भे की लाइन दी गयी है आप इसकी जांच करा लें और देखें कि वहां पर कहां 56 खम्भे लगे हैं । आप अचकारी और कुन्दहां गांव परीक्षण करा लें तो आपको असलियत का पता चल जाएगा । मेरा आपसे निवेदन है कि जिन समस्याओं की ओर मैंने ध्यान आकृष्ट किया है उस पर विचार किया जाए और आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

श्रीमन्, जिन माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं । यह सही है कि इस वर्ष वर्षा की कमी होने के कारण और जाड़े में पहाड़ों में वर्षा कम होने के कारण बर्फ कम गिरी, और इस कारण पानी की कमी हुई । इसके साथ ही साथ बिजली की मांग ज्यादा हुई और जितने हाइड्रोपावर उत्पादन होना चाहिए था वह नहीं हुआ है, हाइड्रोपावर के उत्पादन में 34 प्रतिशत की कमी हुई है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार कहीं पर भी विद्युत के क्षेत्र में कोताही नहीं कर रही है । मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं कि मई 98-99 में उत्पादन 860 मि० यूनिट हाइड्रो का था और 2280 मिलियन यूनिट थर्मल का था । 1530 मिलियन यूनिट हमने बिजली ली इस तरह से 4670 मिलियन यूनिट मई में पिछले साल हमने बिजली दी थी । इस साल मई में 565 मि० यूनिट हाइड्रो बिजली बनी । 2125 मि० यूनिट थर्मल बनी और इस साल मई में 4590 मिलियन यूनिट बिजली दी है । इसी तरह से पिछले साल जून में 4520 मिलियन यूनिट बिजली दी थी । इस वर्ष 4724 मिलियन यूनिट बिजली जून में दी है । पिछले साल कल के दिन तक 4346 मिलियन यूनिट बिजली दी थी और इस साल कल के दिन तक 4548 मि० यूनिट बिजली दी है । हमारा उत्पादन गिरा है । आज पूर्वान्चल में पानी ज्यादा गिर रहा है । ओबरा और आनपारा में जितना कोयला था वह पानी में भीग गया ।

हमारा कोयला गीला है जिसकी वजह से हमारा पी० एल० एफ० 50 प्रतिशत कम हो गया है। हम सेंट्रल ग्रिड से बिजली लेते हैं उसमें हमारा ग्रिड सिस्टम जुड़ा हुआ है । उनके पावर स्टेशन में उत्पादन कम हो रहा है । उत्पादन में कमी होने की हालत केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं है । दिल्ली की हमसे बुरी हालत है । मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में बिजली का उत्पादन कम है और मांग ज्यादा है । मांग इतनी ज्यादा है कि सेंट्रल सेक्टर बिजली की सप्लाई नहीं कर पा रहा है । हमारी ग्रिड उनसे जुड़ी हुई है । अगर फ्रीक्वेंसी 48 से नीचे चली गयी तो ग्रिड फेल्योर की सम्भावना रहती है । फिर भी हमने 47.1 फ्रीक्वेंसी पर ग्रिड चलाया है, रिले लगा कर ग्रिड चलाया है ताकि पूरे प्रदेश की बिजली जाने

से बच जाए । हमने बिजली की पूर्ति करने के लिए 3.00 रुपया प्रति यूनिट बिजली खरीदी है । राज्य विद्युत परिषद् को 140 करोड़ रुपया प्रति माह बिजली के लिये पिछले साल देने पड़े हैं और इस वर्ष परिषद् प्रति माह 180 करोड़ रुपये की बिजली खरीदती हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि हम ज्यादा बिजली खरीदने की कोशिश कर रहे हैं । मान्यवर, इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं, मुन्ना चौहान ने बात उठायी थी, मनेरी भाली प्रोजेक्ट 8 साल से बन्द था । हमारी सरकार ने जो विवाद था उसका अन्त कर दिया है और हमने निर्णय ले लिया है, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगर पुराना ठेकेदार काम नहीं करता तो नया ठेकेदार लगायेंगे ।

जब मैं देहरादून में था तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मैंने बुलाया था और उनसे कहा था कि टेण्डर कैंसिल कर दीजिए । हमने कहा कि जो 60 दिन का समय है उसको देकर अगर काम नहीं होता है तो नया ठेकेदार रखकर काम शुरू करवा दीजिए । राज्य सरकार इसके लिये सौ करोड़ रुपये एलाट कर चुकी है । मुझे खुशी है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश की दरों पर काम करने के लिए सहमति दे दी । इस वर्ष मनेरी भाली प्रोजेक्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं । मान्यवर, अटा औरैया में एन० टी० पी० सी० का पावर स्टेशन है उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उनकी उत्पादन दर 3 रुपया प्रति यूनिट पड़ रही थी जिस पर राज्य विद्युत परिषद् को आपत्ति थी । हमने उनके साथ पी० पी० ए० साईन किया और यह कहा है कि हम अपने शेयर की बिजली ज्यादा दाम पर भी खरीदेंगे और बिजली की कमी को समाप्त करेंगे । मान्यवर, इस तरह रोजा थर्मल पावर स्टेशन नवम्बर में शुरू हो जायेगा । आप लोगों को सरकार को बधाई देना चाहिए । हम पिछली सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, न तुलना करने आये हैं । यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिस्टम को ठीक करें और हमने सेकेण्डरी सिस्टम को बढ़ाया है । हो सकता है कि इसके कारण भी बिजली की कमी बहुत ज्यादा लोगों का महसूस हो रही है। नई 33 के० वी० ए० के सब स्टेशन हमने 90 बनाये हैं । 215 पुराने स्टेशन थे । इससे कुल 1200 मेगावाट का लोड बढ़ा है । राज्य सरकार ने इसमें 200 करोड़ रुपया खर्च किया है । यह सही है कि गांवों का विद्युतीकरण जितनी ज्यादा कर रहे हैं उतनी ज्यादा मांग बढ़ती चली जा रही है । हमारे भाई ने कहा कि गांव का विद्युतीकरण रोक दीजिए । आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर विद्युत न दे पाये तो यह उचित नहीं होगा । पिछली सरकारों ने विद्युतीकरण नहीं किया । अगर हम पूरे आंकड़े दे दें ट्रांसमिशन में क्या किया, जनरेशन में क्या किया अभी मुन्ना जी और बाजपेयी जी कह रहे थे कि आज जो भी पावर स्टेशन लगाना शुरू करेंगे उसमें मिनिमम 4 वर्ष लगेगा । 1000 करोड़ रुपया खर्च करके ओबरा जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश का है उसका रिप्लेसमेंट करेंगे और 85 प्रतिशत लोड फैक्टर लेंगे । इसके लिये दो महीने का समय मांगा था हमने बहुत सख्ती की थी परन्तु काम उन्हीं को करना है ।

उन्होंने दो महीने का समय और लिया है । अगले महीने 30 तारीख को दो महीना पूरा हो रहा है । रिप्लेसमेंट पूरा होगा तो हमारी जनरेशन 1200 मेगावाट हो जायेगी । जो हमारा जलीय उत्पादन 800–900 का है तापीय उत्पादन 2100–2200 मेगावाट का है और आयात 17–18 सौ मेगावाट का है और वह किसी दिन 2100 मेगावाट तक पहुंच जाता है । यह सब मिलाकर 4600 मेगावाट हो जाता है । जिसमें कटौती 800 मेगावाट की करते हैं । आवश्यकता 5200 से 5500 मेगावाट की रहती है । आज शहरों में लोग ज्यादा दिक्कत महसूस कर रहे होंगे लेकिन गांवों की भी प्रतिबद्धता सरकार की है । पिछले वर्ष से कम बिजली दे पाये हैं । हमने पिछले वर्ष 3333 गांवों का लक्ष्य रखा था । इस वर्ष 4000 गांवों का लक्ष्य रखा है । सभी सम्मानित विधायकों को पिछले वर्ष 5-5 गांव दिये गये थे इस वर्ष भी 5-5 गांव दिये गये उनकी मर्जी से बिजली उन गांवों में लगी है । हमारे जो निवर्तमान एम०पी० हैं उन्हें 20-20 गांव दिये लेकिन यह प्रतिबंध लगाया गया कि हर विधान सभा क्षेत्र में 4-4 गांव ऊर्जीकृत करेगें । हमने सिस्टम को बढ़ाया है । हमने विद्युत का उत्पादन भी बढ़ाया है, इम्पोर्ट को भी बढ़ाया है

ताकि ज्यादा क्षेत्रों में बिजली दें । लोगों को लगता है कि विद्युत कटौती ज्यादा हो रही है । अगर बरसात हो गयी तो मशीनों को बैकअप करना पड़ेगा । 5-6 दिन पहले पूर्वांचल में काफी पानी गिरा उसमें हमें मशीनों को बन्द करना पड़ा । हम चाहते हैं कि पानी गिरे जिससे बिजली का डिमाण्ड कम हो । उत्तर प्रदेश में जो कटौती हो रही है उस कटौती को बन्द कर दें । जहां तक एम०सी०जी० की बात है ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

अभी आपने एम०सी०जी० की बात की तो क्या आप इतनी बिजली दे रहे हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इस सदन के सामने हम यही सिद्ध करने जा रहे हैं कि अगर एक घण्टा 50 मिनट प्रति दिन कन्जूम करेगें तो एम०सी०जी० पूरी हो जायेगी । 200 यूनिट जो प्रतिमाह खर्च कर रहे हैं वह अगर 1.37 मिनट कन्जयूम करेगें तो हमारी एम०सी०जी० पूरी हो जायेगी । 200 से ऊपर वाले 1.22 मिनट बिजली कंजूम करेगें तो एक महीने में एम०सी०जी० पूरी हो जायेगी । इतना तो आप भी स्वीकार करते होगें ।

[6 बजकर 30 मिनट]

यह बात सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है । उत्तर प्रदेश में तीन-चार जिले ऐसे हैं जिन जिलों में महीने में जितना रुपया मिलता है वह इस्टेब्लिसमेंट के बराबर नहीं है । मऊ, बलिया, गाजीपुर, सिद्धार्थ नगर । हम तो घाटा सहकर बिजली दे रहे हैं । श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर दे सकते हैं तो जनता के आदेश पर क्यों नहीं दे सकते । अगर उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं मानेंगे तो न्यायालय की अवमानना हो जायेगी। ताज ट्रिपेजियम जोन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां 24 घंटे बिजली दें यह भी मानना पड़ा । बुन्देलखण्ड और उत्तरांचल की जो भौगोलिक परिस्थिति है वहां विद्युत कटौती में छूट दे रखे हैं । इन सबके लिए दूसरी जगह विद्युत काटनी पड़ती है । डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी आपके यहां 40 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एलाट कर रहे हैं । परतबपुर में ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ा रहे हैं । सीमा जी ने बात उठाई । उसे हम दिखलवा देंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

लाबी में बैठे हुए अधिकारियों का संज्ञान सदन में नहीं लिया जा सकता है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मनेरी भाली परियोजना के लिए धन्यवाद । लेकिन लखवार ब्यासी परियोजना है जिस पर काफी पैसा भी शासन का लग चुका है उसको पूरा करने की कोई समयबद्ध योजना हो तो मैं आपका आभारी हूंगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

लखवार ब्यासी की भी बात तय हो जायेगी । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जो रिकमण्डेशन भेजी हैं जिस पर राज्य सरकार का निर्णय होना है । उस पर जल्दी निर्णय लेंगे । हमने 1000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट का एम०ओ०यू० किया हुआ है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

500-500 मेगावाट के 8 निजी लोगों के प्रस्ताव है इस कार्य के लिए जो दो-दो हजार करोड़ वर्ड बैंक से लाये उसका क्या कारण है ? मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बैठक हो चुकी है वह क्लियर क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

राज्य विद्युत परिषद् की तरफ से कोई कमी नहीं है चाहे विष्णु प्रयाग योजना हो, श्रीनगर परियोजना हो, चाहे जवाहरपुर परियोजना हो, सभी में औपचारिकतायें पूरी कर दी गयी हैं और फाइनेन्सियल क्लोजर उनको करना है । 23 फरवरी को हमने मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमने निश्चित कर दिया था कि यदि आपने यह नहीं किया तो हम पी० पी० ए० निरस्त कर देंगे । वह लोग फाइनेन्सियल क्लोजर के लिये गये हुए हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

सरकार को पैसा भी नहीं लगाना है तो फिर डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी वह क्यों नहीं लग पा रहे हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हम कारगिल की लड़ाई लड़ते हैं कोई पाकिस्तान वाले सैनिकों की तरह काम करने वाले नहीं हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इसके प्रति गम्भीर है और भारत सरकार के एन० टी० पी० सी० पर हम दबाव डाल रहे हैं कि वह हमें हमारा 27 हजार मेगावाट बिजली दे ताकि विद्युत के इस संकट को हम दूर कर सकें । यही मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं ।

* श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, उत्पादन और कटौती बिजली की समस्या नहीं है जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं । आज इस महकमे से लोग बहुत परेशान हैं । 6 घंटे आप बिजली दे नहीं पा रहे हैं । ट्रांसफारमर जल गया तो उसे बदलने के लिये जूनियर इंजीनियर से लेकर सुपरिंटेण्डेन्ट इंजीनियर के चक्कर लगाने पड़ते हैं कोई सुनने वाला नहीं है और यदि किसी ने 3 हजार रुपया दे दिया तो उसे ट्रांसफारमर मिल जाता है, यदि किसी गांव में बिजली देनी हो चाहे आप कितनी दरख्वास्त दे दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रश्न पूछिये । यह तो आप भाषण कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री वसीम अहमद–

हमने 15 ट्रांसफारमर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिये विधायक निधि से पैसा दिया और पता चला कि 100 के० वी० ए० करने के लिये एक गांव के लोगों ने 30 हजार रुपये दिये । जनता इन्हीं समस्याओं से ज्यादा दुखी है कटौतियों से नहीं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सन्त कवि रविदास नगर की तरफ जो कुटीर उद्योग में कालीन का निर्यात प्रदेश में सबसे अधिक करता है जहां पर उद्योग नष्ट होने की कगार पर हैं । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में और बिन्दुओं की ओर तो ध्यान दिया लेकिन संत कवि रविदास नगर की तरफ कुछ नहीं कहा । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां पर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती थी जहां के बारे में माननीय मंत्री जी ने दौरा किया था और आश्वासन दिया था कि कटौती नहीं होगी वहां पर 10 घंटे से अधिक कटौती हो रही है । इसी तरह से ज्ञानपुर में दो 35 के० वी० ए० के लिये शिलान्यास हो गया है सिमराजनाथपुर और रमईपुर के लिये वहां से किसानों, मजदूरों, गरीबों को और सामान्य वर्ग के लोगों को बिजली की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपूर्ति होनी थी वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गई आज कल यह वहां पर चर्चा का विषय बना है कि शिलान्यास होने के बाद भी अभी तक कार्यवाही नहीं की गयी है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पाण्डेय जी हमारे बड़े भाई हैं हम उन्हें बुलाकर बात कर लेंगे कोई समस्या की बात नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत उपलब्ध कराने के जो प्रयास किये जा रहे हैं उनकी जानकारी सदन को दी । लेकिन इसके साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने चर्चा में जिक्र किया था कि मेरठ में बिजली कटौती का जो निर्धारित समय है उससे अधिक समय तक विद्युत की कटौती हो रही है ।

(व्यवधान)

विद्युत कटौती से मुक्ति के बारे में, उसकी समय सीमा के बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है । इसके अलावा यह जो टेपिंग होती है ट्रांसफारमर उसको 5 से 9 के बीच में कर रखा है अगर वह टेपिंग 9 से 12–14 तक बढ़ा दी जाय तो अच्छा वोल्टेज मिल सकता है । मेरा निवेदन है कि अपने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निदेश दें । 8 बजे से 12 तक बिजली कटती है तो ठीक 12 बजे आ जानी चाहिए लेकिन वह 2-3 बजे तक भी नहीं आती है । कृपया इसको स्पष्ट करें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, कल बाजपेयी जी को बुला लेंगे और अधिकारियों के साथ मिलकर बात कर लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा समाप्त की जाती है । अगली मद ले रहा हूं ।

भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप राशन की दुकानों पर कम चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय की नियम 52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस चर्चा को कल तक के लिये जारी कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है चर्चा जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 15 जुलाई, 1999 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुई :––

पहली सूचना श्री श्रीराम पाल की है इन्होंने जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोगों की निरन्तर हो रही हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह सूचना नियम–56 में प्राप्त हुई थी इसको नियम–51 में परिवर्तित कर दिया गया है । यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

दूसरी सूचना श्री रामजग की है । इन्होंने जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर डीहा मार्ग पर डीहा बाजार के पास मगई नदी पर पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने की सूचना दी है । इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है ।

तीसरी सूचना डा० राम बाबू हरित की है इन्होंने प्रदेश में निरन्तर भूगर्भ का जलस्तर नीचे गिरने से पेयजल की विकराल समस्या के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है। इन्होंने प्रदेश में शासन से व्यापार कर में टेन्ट व्यवसाय में स्थायी रूप से समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में सूचना दी है। यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की है। इन्होंने प्रदेश में हजारों प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्वीकृत विद्यालयों के अधूरे भवनों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठी सूचना श्री अफजाल अहमद एवं श्री बाबू खां की है। इन्होंने प्रदेश के निवर्तमान सांसद श्री पारसनाथ यादव को समुचित सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी जिसे नियम–51 के अन्तर्गत परिवर्तित कर दिया गया। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सातवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है। इन्होंने जनपद गाजियाबाद के जनता इण्टर कालेज, छज्जूपुर डहाना में शिक्षा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्य की अर्हता का शासनादेशों के तहत अवलोकन न किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी।

आठवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की है। इन्होंने जनपद बहराइच के महाजनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राइमरी अनुभाग की शिक्षिकाओं को अप्रैल, 1993 से वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

नवीं सूचना श्री सन्तराम सिंह की है। इन्होंने प्रदेश की मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमा के जनपदों का सीमांकन कर दस्यु प्रभावी क्षेत्र घोषित करके विशेष दस्यु उन्मूलन अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में दी है। यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दसवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है। इन्होंने जनपद अम्बेडकरनगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत पकड़िया घाट पर पिकिया नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में दी है। यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

ग्यारहवीं सूचना डा० कौशल किशोर की है। इन्होंने नगर पालिका लखीमपुर में व्याप्त जल भराव तथा कतिपय अन्य समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में दी है। यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार हुई।

12वीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी की है। इन्होंने जनपद एटा के विद्युत उपकेन्द्र गंजडुंडवारा के अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी है। यह सूचना केवल ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

तेरहवीं सूचना श्री सीताराम निषाद की है। इन्होंने जनपद फैजाबाद की मिल्कीपुर व बीकापुर तहसीलों के अन्तर्गत बरसाती नदियां मड़हा व विसुही के नहरीकरण न होने से किसानों की फसलों को हो रही क्षति के सम्बन्ध में दी है। यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी इसको नियम–51 में परिवर्तित कर दिया गया है। यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार हुई।

चौदहवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की है। इन्होंने जनपद चित्रकूट की तीन लिफ्ट कैनालों का समुचित संचालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

पन्द्रहवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की है । इन्होंने जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द अन्तर्गत नगर पंचायत मटौंध में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है । यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

सोलहवीं सूचना श्री शिव बहादुर सक्सेना की है । इन्होंने जनपद रामपुर में मुख्यालय स्थित शुगर कारपोरेशन की मिल द्वारा किसानों का गन्ना मूल्य का बकाये का भुगतान न किये जाने तथा मिल बंदी की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

सत्रहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की है । इन्होंने जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के अब्राहीमपुर किसौलीखेड़ा गांव में भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जेदारी किये जाने के संबंध में सूचना दी है । यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

अट्ठारहवीं सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की है । इन्होंने जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अब्राहीमपुर तालाब की खुदाई में की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सूचना दी है । यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

उन्नीसवीं सूचना श्री राम चन्दर यादव की है । इन्होंने प्रदेश में बी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बी० टी० सी० कैडर की नियुक्ति दिये जाने में मेरिट सूची में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में सूचना दी है । यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :--

1-श्री अकबर हुसैन, 2-डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री मुन्ना चौहान, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री विजयपाल सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री सीताराम निषाद, श्री अम्बरीष कुमार, श्री श्रीराम पाल एवं श्री विजय कुमार ।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं । 22 तारीख को पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 45 मिनट पर गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई, 1999 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

15 जुलाई, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

उत्तर प्रदेश में इकाईवार एस० एस० पी० (सिंगिल सुपर फास्फेट) का उत्पादन मै० टन में

क्रमांक	विनिर्माता यूनिट	1996-97	1997-98
1	नीरा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, गाजियाबाद	14292	7929
2	विजय फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, गाजियाबाद	48000	18576
3	नटराज आर्गेनिक्स प्रा० लि०, मुजफ्फरनगर	—	26753
4	गिरिराज फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, शिकोहाबाद	1359	3744
5	बिज फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, शिकोहाबाद	1692	उत्पादन नहीं
6	खेतान फर्टिलाइजर्स, रामपुर	45738	74612
7	वैम आर्गेनिक्स, गजरौला, ज्योतिबा फुलेनगर	75057	93451
8	श्रीएसिडॅस एण्ड केमिकल्स गजरौला, ज्योतिबा फुलेनगर	54253	63946
9	त्रिमूर्ति फर्टिलाइजर्स लि०, भोगनीपुर, कानपुर	उत्पादन नहीं	87208
10	श्री बिहारी जी फर्टिलाइजर्स, रनिया, कानपुर	10120	उत्पादन नहीं
11	एस० डी० फर्टिलाइजर्स रनिया, कानपुर	उत्पादन नहीं	26753
12	गैजेज फर्टिलाइजर्स, फर्रुखाबाद	44044	53952
13	मदन माधव फर्टिलाइजर्स, फर्रुखाबाद	2907	13588
14	श्री दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर्स, फैजाबाद	—	—
15	काशी उर्वरक लि०, सुल्तानपुर	755	278
16	डाईना टैग पेट्रो केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, गाजियाबाद	8679	14500
17	अवध फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, बहराइच	3932	6209
18	महादेव फर्टिलाइजर्स, मलवा, फतेहपुर	43938	43342
19	श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स, झांसी	33706	20779
20	एशियन फर्टिलाइजर्स सरदार नगर, गोरखपुर	49265	51100
21	शक्ति फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, मेरठ	—	23442
22	जय भारत फर्टिलाइजर्स प्रा० लिमि०, मेरठ	10026	21228
23	शुभम फर्टिलाइजर्स, मुजफ्फरनगर	1682	—
24	ओम फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, उन्नाव	—	—
25	रवि फर्टि० एण्ड पेस्टी साइस, बिजनौर	3018	4535
	योग =	452463	655825

उत्तर प्रदेश में इकाईवार एन० पी० के० मिश्रण का उत्पादन मै० टन में

क्रमांक	विनिर्माता यूनिट	1996-97	1997-98
1	खुशाल फर्टिलाइजर्स, रुड़की, हरिद्वार	2390	2390
2	डी० आर० केमिकल्स एण्ड फर्टि०, गोरखपुर	2533	2633
3	इनकेन फर्टिलाइजर्स, रायबरेली	3233	3133
4	यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन, बाराबंकी	2500	2450
5	केमिकल एण्ड फर्टि० इंडिया, मुजफ्फरनगर	1882	1932
6	नीरा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, गाजियाबाद	इकाई बन्द	340
7	रवि पेस्टीसाइड्स बिजनौर	212	210
8	जय भारत फर्टिलाइजर्स, धीरखेड़ा, मेरठ	137	2914
9	पी० एम० के० एग्रो प्रा० लि०, मेरठ	—	670
10	शक्ति फर्टिलाइजर्स, धीरखेड़ा, मेरठ	–	1923
11	काशी उर्वरक लिमिटेड, सुल्तानपुर	523	213
12	सपन फर्टिलाइजर्स इण्डिया, मुजफ्फरनगर	3331	1523
13	पूर्वांचल फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, गोरखपुर	19752	21327
14	शुभम फर्टिलाइजर्स, मुजफ्फरनगर	1024	1336
15	पारस पेपर पैकेजिंग, गाजियाबाद	–	1721
16	दिगम्बर सीमेन्ट एजेन्सी, बिजनौर	2756	2918
17	गंगधारा फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, बिजनौर	–	302
18	ओम फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०, उन्नाव	–	4039
19	ब्लू डायमण्ड इंड० मुजफ्फरनगर,	–	2167
20	राजा केमिकल्स सहारनपुर	–	68
21	शिवम फर्टिलाइजर्स लि०, रामपुर	–	966
	योग =	40,273	55,175

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 262 विधान सभा (712)-2001-813 (डी०टी०पी०) ।